

19 MAR 2008
दिनांक..... को विधानसभा
में प्रस्तुत की गई।

भारत के
नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
का
प्रतिवेदन

31 मार्च 2007 को समाप्त वर्ष

(राजस्व प्राप्तियाँ)

मध्य प्रदेश सरकार

विषय सूची

कंडिका		*पृष्ठ*
	प्रस्तावना	V
	विहंगावलोकन	VII
	अध्याय – 1 : सामान्य	
1.1	राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	1
1.2	बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों में भिन्नतायें	4
1.3	संग्रहण की लागत	5
1.4	बकाया राजस्व का विश्लेषण	6
1.5	निर्धारण का बकाया	7
1.6	कर अपवंचन	8
1.7	वापसियां	9
1.8	लेखा परीक्षा के परिणाम	9
1.9	उत्तरदायित्व लागू करने एवं शासकीय हितों की रक्षा कर पाने में विफलता	10
1.10	प्रारूप लेखा परीक्षा कंडिकाओं पर विभागों के प्रत्युत्तर	11
1.11	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का अनुवर्तन	11
1.12	पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन	12
	अध्याय – 2 : वाणिज्यिक कर	
2.1	लेखा परीक्षा के परिणाम	13
2.2	बंद हुई इकाईयों से वाणिज्यिक कर की वसूली न होना	14
2.3	कर प्रदत्त विक्रय की गलत कटौती	14
2.4	कर मुक्ति की गलत स्वीकृति	16
2.5	कर की गलत दर का लागू किया जाना	17

कंडिका		पृष्ठ
2.6	क्रय कर का अमान्य आस्थगन	19
2.7	प्रवेश कर का अनारोपण/कम आरोपण	19
2.8	कर का अनारोपण	20
2.9	ब्याज का अनारोपण	21
2.10	गलत ढंग से कर मुक्त माने गये विक्रयों पर कर का अनारोपण	22
2.11	अधिभार का भुगतान न होना/अनारोपण	23
2.12	मूल्य संवर्धित कर का अनारोपण/कम आरोपण	24
2.13	गलत कटौती की छूट प्रदान करने के कारण कर का कम आरोपण	24
	अध्याय – 3 : राज्य उत्पाद शुल्क	
3.1	लेखा परीक्षा के परिणाम	27
3.2	मदिरा पर आबकारी प्राप्तियों का संग्रहण	28
	अध्याय – 4 : वाहनों पर कर	
4.1	लेखा परीक्षा के परिणाम	47
4.2	परिवहन विभाग में कम्प्यूटरीकरण परियोजना	48
4.3	वाहनों पर वाहन कर एवं शास्ति की वसूली न होना	65
4.4	ठेका गाड़ी अनुज्ञापत्रों पर संचालित लोक सेवा वाहनों पर कर का कम आरोपण तथा शास्ति का अनारोपण	66
4.5	निम्नतर दरों पर कर जमा करने के कारण कर का कम आरोपण तथा शास्ति का अनारोपण	67
	अध्याय – 5 : अन्य कर प्राप्तियॉं	
5.1	लेखा परीक्षा के परिणाम	69
	क : मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस	
5.2	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की प्रतिपूर्ति न होना	71
5.3	विलेखों के गलत वर्गीकरण के कारण राजस्व की प्राप्ति न होना	72
5.4	सम्पत्ति का कम मूल्यांकन करने के कारण राजस्व की कम प्राप्ति	73

5.5	सहकारी गृह निर्माण समितियों द्वारा/के पक्ष में निष्पादित विलेखों में राजस्व की कम प्राप्ति	74
5.6	व्यापारिक खदानों से मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की कम प्राप्ति	75
5.7	पट्टा विलेखों में मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की कम वसूली	76
	ख : मनोरंजन शुल्क	
5.8	केबल ऑपरेटरों से मनोरंजन शुल्क की वसूली न करना	77
	ग : भू – राजस्व	
5.9	प्रक्रिया व्यय का अनारोपण/वसूली न होना	78
5.10	व्यपवर्तन लगान, प्रब्याजि एवं अर्थदण्ड की मांग सृजित न करना	78
5.11	वसूली प्रभार की वसूली न होना	79
5.12	व्यपवर्तन लगान पर पंचायत उपकर का अनिर्धारण	80
5.13	नजूल भू–खण्डों के अस्थायी पट्टों का नवीनीकरण न करना	80
	अध्याय – 6 : खनन प्राप्तियॉं	
6.1	लेखापरीक्षा के परिणाम	83
6.2	पट्टा विलेखों का नवीनीकरण न किए जाने के कारण राजस्व की वसूली न होना	84
6.3	खनिज पट्टाधारकों से ग्रामीण अवसंरचना एवं सड़क विकास कर की वसूली न होना	84
6.4	राज्यांश की कम वसूली होना	85
6.5	उत्खनि पट्टाधारकों से राज्यांश की कम वसूली	86
6.6	विलंबित भुगतान पर ब्याज का अनारोपण	86
6.7	संविदा राशि की कम वसूली	87
6.8	अनिवार्य किराये की वसूली न होना/कम होना	87
6.9	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण	88
	अध्याय 7 : अन्य कर–भिन्न प्राप्तियॉं	
7.1	लेखापरीक्षा के परिणाम	89

क : वित्त विभाग		
7.2	ब्याज प्राप्तियां	92
ख : लोक निर्माण विभाग		
7.3	सांविदा राशि की प्राप्ति न होना	102
	ग : विद्युत शुल्क एवं सुरक्षा	
7.4	विद्युत संस्थापनाओं का निरीक्षण न किये जाने के कारण हानि	103
	वन विभाग	
7.5	पट्टा किराया की वसूली न करने के परिणामस्वरूप मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम को अनुचित लाभ	104

प्रस्तावना

31 मार्च 2007 को समाप्त वर्ष का यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अन्तर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है ।

नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अन्तर्गत राज्य शासन की राजस्व प्राप्तियों की लेखा परीक्षा की जाती है । इस प्रतिवेदन में राज्य के वाणिज्यिक कर, राज्य उत्पाद शुल्क, वाहनों पर कर, भू–राजस्व, अन्य कर प्राप्तियां, वन प्राप्तियां, खनन प्राप्तियॉं तथा अन्य कर–भिन्न प्राप्तियों से संबंधित राजस्व प्राप्तियों के लेखा परीक्षा परिणाम प्रस्तुत किये गए हैं ।

इस प्रतिवेदन में वर्णित प्रकरण उनमें से हैं जो वर्ष 2006–07 की अवधि के मध्य नमूना लेखा परीक्षा के समय दृष्टिगत हुए अथवा पूर्व वर्षों में दृष्टिगत हुए परन्तु पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं हो सके थे ।

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में कर, ब्याज, शास्ति आदि के अनारोपण/कम आरोपण से संबंधित तीन समीक्षाओं सहित 41 कंडिकायें सम्मिलित हैं जिनमें 318.57 करोड़ रूपये की राशि अंतर्निहित है। कुछ मुख्य निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं :

I. सामान्य

- विगत वर्ष में 20,596.79 करोड़ रूपये के विरूद्ध, वर्ष के दौरान राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां 25,694.28 करोड़ रूपये थीं । इस राशि का 51 प्रतिशत राज्य द्वारा कर राजस्व (10,473.13 करोड़ रूपये) तथा कर–भिन्न राजस्व (2,658.46 करोड़ रूपये) के रूप में वसूल किया गया । शेष 49 प्रतिशत भारत सरकार से विभाज्य संघीय करों के राज्यांश (8,088.54 करोड़ रूपये) तथा सहायक अनुदान (4,474.15 करोड़ रूपये) के रूप में प्राप्त हुआ।

(कंडिका 1.1)

- विक्रय कर, भू राजस्व, राज्य उत्पाद शुल्क, मोटर वाहन कर, मुद्रांक एवं पंजीयन फीस, अन्य कर प्राप्तियां, वन प्राप्तियां तथा अन्य कर–भिन्न प्राप्तियों के अभिलेखों की वर्ष 2006–07 के दौरान की गई नमूना जांच में 1,28,644 प्रकरणों में 958.30 करोड़ रूपये के राजस्व का अवनिर्धारण/कम आरोपण/हानि का पता चला ।

(कंडिका 1.8)

II *वाणिज्यिक कर*

- पात्रता प्रमाण पत्रों का निरस्तीकरण न किए जाने के परिणामस्वरूप बंद इकाइयों से 6.77 करोड़ रूपये के वाणिज्यिक कर की प्राप्ति नहीं हुई ।

(कंडिका 2.2)

- कर प्रदत्त विक्रयों की गलत कटौती के परिणामस्वरूप 1.17 करोड़ रूपये के कर तथा 2.92 करोड़रूपये की शास्ति का कम आरोपण हुआ ।

(कंडिका 2.3)

- कर भुगतान से गलत छूट प्रदान किए जाने के परिणामस्वरूप 3.75 करोड़ रूपये के कर का कम आरोपण हुआ ।

(कंडिका 2.4)

- कर की गलत दर लागू किए जाने के परिणामस्वरूप 2.61 करोड़ रूपये के कर का कम आरोपण हुआ ।

(कंडिका 2.5)

- क्रय कर के अमान्य आस्थगन के परिणामस्वरूप 1.49 करोड़ रूपये के राजस्व की कम प्राप्ति हुई ।

(कंडिका 2.6)

- प्रवेश कर के अनारोपण/कम आरोपण के परिणामस्वरूप 69.66 लाख रूपये के राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई ।

(कंडिका 2.7)

III राज्य उत्पाद शुल्क

मदिरा पर आबकारी प्राप्तियों के संग्रहण पर समीक्षा में निम्नलिखित तथ्य प्रकट हुए :

- सत्यापन प्रतिवेदनों की प्राप्ति पर निगरानी रखने के लिए अभिलेखों के संधारण तथा उच्च प्राधिकारियों को प्रस्तुत की जाने वाली आवधिक विवरणियों को निर्धारित करने में विभाग की विफलता के परिणामस्वयप 10.93 करोड़ रूपये के आबकारी शुल्क की प्राप्ति नहीं हुई ।

(कंडिका 3.2.8)

- आसवनी में स्पिरिट के न्यूनतम स्टॉक का संधारण न करने संबंधी प्रकरण परिवहन आयुक्त को भेजने के लिए समय सीमा निर्धारित न होने के परिणामस्वरूप 4.29 करोड़ रूपये की शास्ति का अनारोपण हुआ ।

(कंडिका 3.2.9)

- मदिरा के पारगमन के दौरान हानियों के परिवीक्षण के अभाव में 74.19 लाख रूपये के आबकारी शुल्क का अनारोपण हुआ ।

(कंडिका 3.2.11)

- विक्रय की शर्तो में वसूली हेतु प्रावधान का अभाव तथा विभाग की निष्क्रियता के परिणामस्वरूप 3.31 करोड़ रूपये की हानि हुई ।

(कंडिका 3.2.14)

- अनियमित रूप से लाइसेंस जारी करने तथा लाइसेंस फीस के भुगतान में चूक के लिए कार्रवाई करने में विफलता के परिणामस्वरूप 2.37 करोड़ रूपये की प्राप्ति नहीं हुई ।

(कंडिका 3.2.17)

- मदिरा की फुटकर दुकानों के पुनर्विक्रय में हुई हानि की वसूली में निष्क्रियता के परिणामस्वरूप 1.05 करोड़ रूपये के राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई ।

(कंडिका 3.2.18)

- होटल/रेस्टॉरेन्ट बार के 55 लाइसेंसों पर लाइसेंस फीस की गलत दरें लागू किए जाने के परिणामस्वरूप 71.43 लाख रूपये का कम आरोपण हुआ ।

(कंडिका 3.2.19)

IV वाहनों पर कर

परिवहन विभाग में कम्प्यूटरीकरण परियोजना की सूचना प्रौद्योगिकी समीक्षा में निम्नलिखित तथ्य प्रकट हुए :

- परिवहन विभाग स्मार्ट कार्डों में संग्रहीत डाटा को अद्यतन न किए जाने तथा एच.एच.टी. उपकरणों, जो डाटा को पढ़ने के लिए आवश्यक हैं, को उपयोग में न लाने के कारण स्मार्ट कार्ड जारी करने के उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रहा । स्मार्ट कार्डों में वांछित सुरक्षात्मक विशिष्टियों का भी अभाव था ।

(कंडिका 4.2.6)

- सॉफ्टवेयर में अनुप्रयोग नियंत्रणों के अभाव के परिणामस्वरूप राजस्व के अपवंचन को रोकने का उद्देश्य अप्राप्त रहा ।

(कंडिका 4.2.7)

- अनुप्रयोग नियंत्रणों के अभाव के परिणामस्वरूप जाली बीमा कवर नोटों के उपयोग तथा दोहरे पंजीयन, चैसिस तथा इंजन संख्याओं का पता नहीं चला । कूटरचित तथा जाली दस्तावेजों के उपयोग को रोकने का उद्देश्य अप्राप्त रहा ।

(कंडिका 4.2.8)

- आवश्यक नियंत्रणों के अभाव में काफी मात्रा में डाटा अशुद्ध, डुप्लीकेट तथा लुप्त हो जाने के परिणामस्वरूप बहुत से प्रकरणों में कम्प्यूटर डाटाबेस अविश्वसनीय तथा अपूर्ण हो गया ।

(कंडिका 4.2.10.2)

- विक्रेता के साथ संविदा करते समय राज्य शासन अपने हितों की रक्षा करने में विफल रहा ।

(कंडिका (4.2.13)

- 1,171 वाहनों पर 3.34 करोड़ रूपये के वाहन कर तथा 1.71 करोड़ रूपये की शास्ति का आरोपण न किए जाने के परिणामस्वरूप 5.05 करोड़ रूपये के राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई ।

(कंडिका 4.3)

V अन्य कर प्राप्तियां

मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस

- 341 विलेखों पर मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस की प्रतिपूर्ति न किए जाने के परिणामस्वरूप 1.29 करोड़ रूपये के राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई ।

(कंडिका 5.2)

- 6 लिखतों में गलत वर्गीकरण तथा गलत दरें लागू करने के परिणामस्वरूप 71.57 लाख रूपये के राजस्व की कम प्राप्ति हुई ।

(कंडिका 5.3)

भू–राजस्व

- जारी किए गए राजस्व वसूली प्रमाण पत्रों के विरूद्ध 14.30 करोड़ रूपये की मूल राशि पर 42.91 लाख रूपये के प्रक्रिया व्यय के अनारोपण के परिणामस्वरूप 42.91 लाख रूपये के राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई ।

(कंडिका 5.9)

VI खनन प्राप्तियां

- चार पट्टों का नवीनीकरण न किए जाने के परिणामस्वरूप 7.29 करोंड़ रूपये के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की प्राप्ति नहीं हुई ।

(कंडिका 6.2)

- खनन पट्टाधारियों से ग्रामीण अवसंरचना तथा सड़क विकास कर की वसूली करने में विभाग की निष्क्रियता के परिणामस्वरूप 3.18 करोड़ रूपये के राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई ।

(कंडिका 6.3)

VII अन्य कर–भिन्न प्राप्तियां

(क) वित्त विभाग

ब्याज प्राप्तियों पर समीक्षा में निम्नलिखित तथ्य प्रकट हुए :

- ऋण संवितरक विभागों द्वारा अभिलेखों के संधारण का परिवीक्षण तथा विवरणियों की नियमित प्रस्तुति सुनिश्चित करने में वित्त विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप विलंबित देय मूलधन तथा ब्याज से संबंधित पूर्ण जानकारी का अभाव था ।

(कंडिका 7.2.6)

- यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रशासनिक विभागों द्वारा निबंधनों एवं शर्तों को निर्दिष्ट करने के बाद ही ऋण संवितरित किए गए थे, वित्त विभाग की ओर से परिवीक्षण के अभाव के परिणामस्वरूप अवधि 2001–02 से 2005–06 के दौरान ऋण के पुनर्भुगतान तथा उस पर ब्याज/दाण्डिक ब्याज हेतु निबंधनों एवं शर्तों को निर्धारित किए बगैर विभिन्न ऋण गृहीताओं को

कुल 678.66 करोड़ रूपये के ऋण स्वीकृत किए गए । इसके परिणामस्वरूप 263.81 करोड़ रूपये के ब्याज तथा दाण्डिक ब्याज की हानि हुई ।

(कंडिका 7.2.7)

- मूलधन तथा उस पर ब्याज की वसूली पर निगरानी रखने के लिए आवश्यक संबंधित अभिलेख संधारित करने में प्रशासनिक विभागों की विफलता तथा इन विभागों द्वारा ऋणों के संवितरण तथा वसूली का परिवीक्षण करने के लिए वित्त विभाग में प्रणाली के अभाव के परिणामस्वरूप 114.95 करोड़ रूपये के ब्याज तथा दाण्डिक ब्याज का अनिर्धारण हुआ । मांग सृजित नहीं की गई।

(कंडिका 7.2.8)

- ऋणों के संवितरण में विलम्ब के परिणामस्वरूप 96 लाख रूपये के ब्याज की हानि हुई ।

(कंडिका 7.2.9)

विद्युत शुल्क एवं सुरक्षा

- विद्युत संस्थापनाओं का निरीक्षण करने में विफलता के परिणामस्वरूप 92.93 लाख रूपये के निरीक्षण शुल्क की हानि हुई ।

(कंडिका 7.4)

वन प्राप्तियां

- मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम से पट्टा किराये की वसूली न किए जाने के कारण शासन 36.50 करोड़ रूपये के राजस्व से वंचित हो गया ।

(कंडिका 7.5)

अध्याय – 1 सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1 मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2006–07 के दौरान वसूल किया गया कर एवं कर–भिन्न राजस्व, वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त विभाज्य संघीय करों का राज्य अंशदान एवं सहायता अनुदान तथा पूर्ववर्ती चार वर्षों के तदनुरूप ऑकड़े नीचे दर्शाये गये हैं :

(करोड़ रूपयों में)

क्र. सं	*विवरण*	*2002–2003*	*2003–2004*	*2004–05*	*2005–06*	*2006–07*
I	**राज्य शासन द्वारा वसूल किया गया राजस्व**					
(क)	• कर राजस्व	6,164.55	6,788.86	7,772.97	9,114.70	10,473.13
(ख)	• कर–भिन्न राजस्व	1,635.48	1,479.82	4,461.86	2,208.20	2,658.46
	योग	**7,800.03**	**8,268.68**	**12,234.83**	**11,322.90**	**13,131.59**
II	**भारत सरकार से प्राप्तियां**					
(क)	• विभाज्य संघीय करों में राज्य का अंश	3,728.73	4,247.14	5,076.68	6,341.35	8,088.54[1]
(ख)	• सहायता अनुदान	1,861.64	1,773.14	2,431.74	2,932.54	4,474.15
	योग	**5,590.37**	**6,020.28**	**7,508.42**	**9,273.89**	**12,562.69**
III	**राज्य की कुल प्राप्तियां**	**13,390.40**	**14,288.96**	**19,743.25**	**20,596.79**	**25,694.28**
IV	***III से I का प्रतिशत***	**58**	**58**	**62**	**55**	**51**

उपरोक्त सारणी दर्शाती है कि पूर्ववर्ती वर्ष में 55 प्रतिशत के विरूद्ध वर्ष 2006–07 के दौरान राज्य शासन द्वारा वसूल किया गया राजस्व कुल राजस्व प्राप्तियों (25,694.28 करोड़ रूपये) का 51 प्रतिशत था। वर्ष 2006–07 के दौरान प्राप्तियों का शेष 49 प्रतिशत भारत सरकार से प्राप्त हुआ ।

1 *विस्तृत विवरण के लिए कृपया मध्य प्रदेश शासन के वर्ष 2006–07 के वित्त लेखे के विवरण पत्रक क्रमांक 11 "राजस्व का विस्तृत लेखा लघु शीर्षों से" का अवलोकन करें । शीर्ष "0021 निगम कर से भिन्न आय पर कर राज्यों को समनुदेशित निवल प्राप्तियों का अंश" के आंकड़ों, जो वित्त लेखे में क–कर राजस्व के अन्तर्गत लेखांकित हैं, को राज्य द्वारा वसूल की गई राजस्व प्राप्तियों में से हटा दिया गया है और इस विवरण पत्रक में विभाज्य संघीय करों में राज्य के अंश में शामिल किया गया है ।*

1.1.2 वर्ष 2002–03 से 2006–2007 के अवधि के दौरान वसूल किए गए कर राजस्व का विवरण नीचे दर्शाया गया है :

(करोड़ रूपयों में)

क्रम संख्या	*राजस्व शीर्ष*	*2002–2003*	*2003–2004*	*2004–05*	*2005–06*	*2006–07*	*2005–06 की तुलना में 2006–07 में वृद्धि (+) / कमी (–) का प्रतिशत*
1	• विक्रय कर • केन्द्रीय विक्रय कर	2,906.20	3,293.26	3,912.01	4,508.42	5,261.41	(+) 16.70
2	राज्य उत्पाद शुल्क	890.32	1,085.89	1,192.36	1,370.38	1,546.68	(+) 12.86
3	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस	535.05	614.49	788.71	1,009.48	1251.10	(+) 23.94
4	विद्युत पर कर एवं शुल्क	801.26	697.06	707.18	842.27	714.55	(-) 15.16
5	वाहनों पर कर	428.64	454.92	488.65	556.02	634.30	(+) 14.08
6	माल एवं यात्रियों पर कर	351.20	390.99	468.07	578.58	744.60	(+) 28.69
7	आय एवं व्यय पर अन्य कर, वृत्ति, व्यापार, व्यवसाय तथा रोजगार पर कर	187.44	188.90	150.21	153.08	163.81	(+) 7.01
8	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	20.08	15.32	14.28	14.15	19.55	(+) 38.16
9	भू–राजस्व	40.44	43.63	46.80	77.16	132.21	(+) 71.35
10	होटल प्राप्तियां	3.92	4.40	4.75	5.37	4.92	(-) 8.38
11	कृषि भूमि से अतिरिक्त स्थायी सम्पत्ति पर कर	–	–	(–) 0.05	(–) 0.21	0.00	
	योग	*6,164.55*	*6,788.86*	*7,772.97*	*9,114.70*	*10,473.13*	

यद्यपि सम्बंधित विभागों से भिन्नता के कारण मांगे गये थे (नवम्बर,2007) लेकिन प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 2008) ।

1.1.3 वर्ष 2002–03 से 2006–07 के अवधि के दौरान वसूल किए गए प्रमुख कर– भिन्न राजस्व का विवरण निम्नानुसार है :

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	*राजस्व शीर्ष*	*2002–03*	*2003–04*	*2004–05*	*2005–06*	**2006-07**	*2005–06 की तुलना मे 2006–07 में वृद्धि (+)/कमी (–) का प्रतिशत*
1	ब्याज प्राप्तियां	32.05	19.22	25.90	527.20	132.73	(-) 74.82
2	अन्य कर–भिन्न प्राप्तियाँ	249.32	144.57	157.48	151.94	159.29	(+) 4.84
3	वानिकी एवं वन्य जीवन	497.30	496.75	559.11	490.40	536.50	(+) 9.40
4	अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग	590.69	646.71	733.72	815.31	923.91	(+) 13.32
5	विविध सामान्य सेवाऐं (लाटरी प्राप्तियाँ सहित)	120.94	22.92	79.61	21.30	736.58	(+) 3,358.12
6	शक्ति	0.24	0.12	2,749.49	0.08	0.01	(-) 87.50
7	वृहद एवं मध्यम सिंचाई	24.64	37.80	37.92	29.57	29.82	(+) 0.85
8	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	20.36	10.98	16.76	11.73	20.88	(+) 78.01
9	सहकारिता	14.45	15.60	17.92	14.23	18.54	(+) 30.29
10	लोक निर्माण	8.57	9.09	9.94	53.08	16.39	(-) 69.12
11	पुलिस	39.23	24.99	23.23	26.16	24.26	(-) 7.26
12	अन्य प्रशासनिक सेवाऐं	37.69	51.07	50.78	67.20	59.55	(-) 11.38
	योग	*1,635.48*	*1,479.82*	*4,461.86*	*2,208.20*	*2,658.46*	

यद्यपि सम्बंधित विभागों से भिन्नता के कारण मांगे गए थे (नवम्बर,2007) लेकिन प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 2008) ।

1.2 बजट अनुमानों एवं वास्तविक प्राप्तियों में भिन्नताएं

(क) कर एवं कर–भिन्न राजस्व के प्रमुख शीर्षो में वर्ष 2006–07 के बजट अनुमानों तथा वास्तविक राजस्व प्राप्तियों में भिन्नताऐं नीचे दर्शाई गई हैं :

(करोड़ रूपयों में)

क्र. सं.	*राजस्व शीर्ष*	*बजट अनुमान*	*वास्तविक प्राप्तियां*	*भिन्नता अधिकता (+) या कमी (–)*	*बजट अनुमानों की तुलना में वृद्धि (+)/कमी (–) का प्रतिशत*
क.	**कर राजस्व**				
1.	विक्रय कर	5,357.00	5,261.41	(-) 95.59	(-) 1.78
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	1,430.00	1,546.68	(+) 116.68	(+) 8.16
3.	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस	1,000.00	1,251.10	(+) 251.10	(+) 25.11
4.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	763.36	714.55	(-) 48.81	(-) 6.39
5.	भू राजस्व	84.21	132.21	(+) 48.00	(+) 57.00
ख	**कर–भिन्न राजस्व**				
1.	वानिकी एवं वन्य जीवन	450.00	536.50	(+) 86.50	(+) 19.22
2.	अलौह धातु खनन एवं धातु कर्म उद्योग	1100.00	923.91	(-) 176.09	(-) 16.01
3.	सहकारिता	16.43	18.54	(+) 2.11	(+) 12.84

वर्ष 2006–07 के दौरान बजट अनुमानों एवं वास्तविक प्राप्तियों में सारभूत भिन्नता के कारण संबंधित विभागों द्वारा निम्नानुसार बताये गये हैं :

मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस

दस्तावेजों की संख्या एवं अचल संपत्ति के बाजार मूल्य में वृद्धि के कारण वर्ष 2006–07 के दौरान 25.11 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

भू–राजस्व

ग्रामों में नियमित रूप से कैम्प लगाकर वसूली करने के विशेष प्रयास के फलस्वरूप बजट अनुमान की तुलना में वास्तविक प्राप्तियों में 57 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

भिन्नता के कारण यद्यपि अन्य विभागों से मांगे गये थे (नवम्बर,2007) जो प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 2008) ।

1.3 संग्रहण की लागत

वर्ष 2004–05, 2005–06 तथा 2006–07 के दौरान प्रमुख राजस्व प्राप्तियों के सकल संग्रहण, संग्रहण पर किया गया व्यय तथा सकल संग्रहण पर ऐसे किए गए व्यय का प्रतिशत, वर्ष 2005–06 में सकल संग्रहण पर व्यय के राष्ट्रीय औसत प्रतिशत के साथ नीचे दर्शाये अनुसार था :

(करोड़ रूपयों में)

क्र. सं.	*राजस्व शीर्ष*	*वर्ष*	*संग्रहण*	*राजस्व संग्रहण पर व्यय*	*संग्रहण पर व्यय का प्रतिशत*	*वर्ष 2005–06 में राष्ट्रीय औसत प्रतिशत*
1	विक्रय कर	2004–05	3,912.01	45.06	1.15	
		2005–06	4,508.42	50.41	1.12	0.91
		2006–07	5,261.41	48.20	0.92	
2	वाहनों पर कर तथा माल एवं यात्रियों पर कर	2004–05	956.72	11.87	1.24	
		2005–06	1,134.60	19.35	3.47	2.67
		2006–07	1,378.90	26.29	1.91	
3	राज्य उत्पाद शुल्क	2004–05	1,192.36	230.92	19.37	
		2005–06	1,370.38	289.53	21.13	3.40
		2006–07	1,546.68	303.79	19.64	
4	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस	2004–05	788.71	75.28	9.54	
		2005–06	1,009.48	94.79[2]	9.39	2.87
		2006–07	1,251.10	119.01	9.51	

2 *विभाग द्वारा संशोधित आंकड़े*

इस प्रकार " राज्य उत्पाद शुल्क " तथा " मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस " के संग्रहण पर व्यय का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत की तुलना में काफी अधिक था। शासन द्वारा इस संबंध में ध्यान देने की जरूरत है ।

1.4 बकाया राजस्व का विश्लेषण

31 मार्च 2007 को राजस्व के कुछ प्रमुख शीर्षों में बकाया राजस्व की राशि 903.45 करोड़ रूपये थी जिसमें से 191.22 करोड़ रूपये (परिवहन विभाग तथा वाणिज्यिक कर विभाग को छोड़कर) की राशि निम्न तालिका में दिए गए विवरण के अनुसार 5 वर्षों से अधिक समय से बकाया थी ।

(करोड़ रूपये में)

क्रम संख्या	*राजस्व शीर्ष*	*31 मार्च 2007 को बकाया राशि*	*31 मार्च 2007 को 5 वर्षों से अधिक समय से बकाया राशि*
1.	वाहनों पर कर	34.95	उपलब्ध नहीं कराई गयी
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	58.28	51.25
3.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	26.67	11.07
4	विक्रय कर	584.25	उपलब्ध नहीं कराई गयी
5	अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग	113.25	113.25
6	सहकारिता	8.87	5.31
7	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस	77.18	10.34
	योग	**903.45**	**191.22**

अनुरोध किए जाने के बाद भी (नवम्बर 2007) अन्य विभागों के संबंध में वर्ष 2006–07 के अन्त में राजस्व के बकाया की स्थिति शासन द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई । इसके अतिरिक्त विभागों द्वारा यह भी उपलब्ध नहीं कराया गया कि बकाया राजस्व का संग्रहण किन स्तरों पर लंबित है (जनवरी, 2008)।

1.5 निर्धारण का बकाया

विक्रय कर , व्यवसाय कर , प्रवेश कर, विलासिता कर तथा निर्माण संविदाओं आदि पर कर के संबंध में विक्रय कर विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गये वर्ष के प्रारम्भ में निर्धारण हेतु लंबित प्रकरण, वर्ष के दौरान निर्धारण योग्य हो चुके अतिरिक्त प्रकरण, वर्ष के दौरान निराकृत किए गए प्रकरण तथा वर्ष 2005–06 से 2006–07 के अंत में निराकरण हेतु लंबित प्रकरणों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है :

कर का नाम		प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान निर्धारण किए जाने योग्य नये प्रकरण	निर्धारण के लिए शेष कुल प्रकरण	वर्ष के दौरान निराकृत किए गए प्रकरण	वर्ष के अंत में शेष	कालम 4 से 5 का प्रतिशत
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
वाणिज्यिक कर विभाग							
विक्रय कर	2005-06	2,80,710	3,56,948	6,37,658	3,76,866	2,60,792	59.10
	2006-07	2,60,792	4,02,291	6,63,083	2,99,596	3,63,487	45.18
व्यवसाय कर	2005-06	1,16,477	75,403	1,91,880	79,956	1,11,924	41.67
	2006-07	1,11,924	1,10,091	2,22,015	1,06,502	1,15,513	47.97
प्रवेश कर	2005-06	1,59,557	1,87,572	3,47,129	2,05,971	1,41,158	59.34
	2006-07	1,41,158	2,40,983	3,82,141	1,97,047 .	1,85,094	51.56
विलासिता कर	2005-06	469	931	1,400	810	590	57.86
	2006-07	590	819	1,409	711	698	50.46
निर्माण संविदाओं पर कर	2005-06	3,207	1,726	4,933	3,212	1,721	65.11
	2006-07	1,721	5,487	7,208	3,707	3,501	51.43
योग	**2005-06**[3]	**5,60,420**	**6,22,580**	**11,83,000**	**6,66,815**	**5,16,185**	**56.37**
	2006-07	**5,16,185**	**7,59,671**	**12,75,856**	**6,07,563**	**6,68,293**	**47.62**

इस प्रकार विगत वर्ष के तदनुरूपी आंकड़ों के संदर्भ में व्यवसाय कर को छोड़कर सभी अन्य श्रेणियों के अंतर्गत वर्ष 2006–07 में निर्धारित प्रकरणों के प्रतिशत में कमी आई ।

[3] *वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा पूर्व में प्रस्तुत अनन्तिम आंकड़ों को अंतिम रूप दिये जाने के कारण वर्ष 2005–06 के आंकड़ों में परिवर्तन हुआ है ।*

1.6 कर अपवंचन

विक्रय कर, राज्य उत्पाद शुल्क तथा मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस विभागों द्वारा प्रतिवेदित जानकारी के अनुसार कर अपवंचन का विवरण निम्नानुसार है :

क्रम संख्या	*कर/शुल्क का नाम*	*31 मार्च 2006 को लंबित प्रकरण*	*2006-07 के दौरान पकड़े गए प्रकरण*	*योग*	*उन प्रकरणों की संख्या जिनमें निर्धारण/जांच पूर्ण हो चुकी थी तथा शास्ति आदि सहित अतिरिक्त मांग सृजित की गई*		*31 मार्च 2007 को निराकरण हेतु लंबित प्रकरणों की संख्या*
					प्रकरणों की संख्या	*मांग की राशि (करोड़ रू. में)*	
1.	विक्रय कर	278	139	417	134	15.31	283
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	330	46	376	372	0.09	4
3.	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस	6,246	9,929	16,175	8,990	14.27	7,185

इस प्रकार, विक्रय कर तथा मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के अंतर्गत लंबित प्रकरणों की संख्या में वृद्धि हुई । मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के अंतर्गत विशेष तौर पर वृद्धि तीव्र थी ।

1.7 वापसियां

विभागों द्वारा प्रतिवेदित जानकारी के अनुसार वर्ष 2006–07 के प्रारंभ में लंबित वापसी प्रकरणों, वर्ष के दौरान प्राप्त दावों, वर्ष के दौरान अनुमत्य वापसियों तथा वर्ष 2006–07 के अंत में लंबित प्रकरणों की संख्या निम्नानुसार है :

(करोड़ रूपयों में)

क्र. सं.	*श्रेणी*	*राज्य उत्पाद शुल्क*		*विक्रय कर*		*मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस*	
		प्रकरणों की संख्या	*राशि*	*प्रकरणों की संख्या*	*राशि*	*प्रकरणों की संख्या*	*राशि*
1	वर्ष के प्रारम्भ में लंबित दावे	336	3.46	1486[4]	158.27	290	0.25
2	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	22	0.27	8112	757.98	368	0.56
3	वर्ष के दौरान की गई वापसियां	337	2.43	7995	676.80	319	0.47
4	वर्ष के अन्त में बकाया शेष	21	1.30	1603	239.45	339	0.34

अनुरोध किए जाने के बाद भी निर्माण संविदा से संबंधित वापसी प्रकरणों के संबंध में जानकारी विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गई ।

1.8 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 2006–07 में विक्रय कर, भू–राजस्व, राज्य उत्पाद शुल्क, मोटर वाहन कर, मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस, अन्य कर प्राप्तियां, वन प्राप्तियां तथा अन्य कर–भिन्न प्राप्तियों के अभिलेखों की नमूना जांच में 1,28,644 प्रकरणों में 958.30 करोड़ रूपये की राजस्व राशि का अवनिर्धारण/कम आरोपण/हानि प्रकट हुई । वर्ष के दौरान विभागों द्वारा 2006–07 एवं पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गए 1,31,768 प्रकरणों में 772.28 करोड़ रूपये के अवनिर्धारण तथा अन्य हानियों को स्वीकार किया गया।

इस प्रतिवेदन में 318.57 करोड़ रूपये के वित्तीय प्रभाव से अन्तर्निहित तीन समीक्षाओं सहित 41 कंड़िकाऐं सम्मिलित हैं। विभागों/शासन ने 288.61 करोड़ रूपये की लेखा परीक्षा अभ्युक्तियों को

[4] *वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा पूर्व में प्रस्तुत किये गये वर्ष 2005–06 के अनन्तिम आंकड़ों को अंतिम रूप दिए जाने के कारण प्रारम्भिक शेष के आंकड़ों में परिवर्तन आया है।*

स्वीकार किया जिसमें से 1.93 करोड़ रूपये की वसूली की जा चुकी थी । विभाग द्वारा स्वीकार न की गई अभ्युक्तियों के संबंध में, संबंधित कंड़िकाओं में ही विभाग की अस्वीकृति के कारणों को सम्मिलित किया गया है। तथापि, शासन का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ।

1.9 उत्तरदायित्व लागू करने एवं शासकीय हितों की रक्षा कर पाने में विफलता ।

महालेखाकार (निर्माण एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) मध्य प्रदेश निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार शासकीय विभागों के लेन देन की नमूना जांच तथा महत्वपूर्ण लेखांकन तथा अन्य अभिलेखों के संधारण का सत्यापन करने हेतु शासकीय विभागों का आवधिक निरीक्षण किया जाता है । इन निरीक्षणों के पश्चात निरीक्षण प्रतिवेदन तैयार किए जाते हैं जिनमें निरीक्षण के दौरान संसूचित ऐसी अनियमितताओं को सम्मिलित किया जाता है जिनका स्थल पर निराकरण नहीं हो पाता है । इन्हें निरीक्षण किए गए कार्यालयों के प्रमुखों को त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए जारी किया जाता है तथा उच्च प्राधिकारियों को इनकी प्रतिलिपियां प्रेषित की जाती है । कार्यालय प्रमुखों/शासन से निरीक्षण प्रतिवेदनों में सन्निहित अभ्युक्तियों का अनुपालन कर कमियों तथा चूकों में त्वरित सुधार करने के उपरांत निरीक्षण प्रतिवेदनों के जारी होने के दिनांक से 6 सप्ताह के भीतर प्रारम्भिक उत्तर के माध्यम से अनुपालन के संबंध में महालेखाकार को प्रतिवेदित किया जाना अपेक्षित है । गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं को विभाग प्रमुखों तथा शासन को प्रतिवेदित किया जाता है ।

वाणिज्यिक कर, भू–राजस्व, पंजीयन तथा अन्य विभागों के विभिन्न कार्यालयों से संबंधित दिसम्बर 2006 तक जारी किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों से पता चला कि 1980–81 से दिसम्बर 2006 के अंत तक 6,257 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित 19,401 कंडिकाऐं लंबित थीं ।

अक्टूबर 2007 में स्थिति को शासन के प्रधान सचिवों/सचिवों के ध्यान में लाया गया था । हालांकि कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ।

उत्तर प्राप्त न होने के कारण काफी संख्या में लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों से यह इंगित होता है कि कार्यालय/विभाग प्रमुख निरीक्षण प्रतिवेदनों में इंगित की गई कमियों, चूकों तथा अनियमितताओं में सुधार करने के लिए कार्रवाई प्रारम्भ करने में विफल रहे । यह सुनिश्चित करने के लिए कि राजस्व की वसूली करने के लिए कार्रवाई कालातीत न हो, यह सिफारिश की जाती है कि शासन को यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करना चाहिए कि लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का त्वरित तथा उपयुक्त प्रत्युत्तर दिया जाए, निर्धारित समय अनुसूची के अनुसार निरीक्षण प्रतिवेदनों/कंडिकाओं का उत्तर भेजने में विफल रहने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई प्रारम्भ की जाए तथा एक समयवद्ध प्रक्रिया से हानि/लंबित मांगों की वसूली के लिए कार्रवाई की जाए ।

1.10 प्रारूप लेखा परीक्षा कंडिकाओं पर विभागों के प्रत्युत्तर

लेखापरीक्षा कार्यालय द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में समावेश करने हेतु प्रस्तावित प्रारूप लेखा परीक्षा कंडिकाओं को सम्बंधित विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों को लेखापरीक्षा के निष्कर्षों के प्रति उनका ध्यान आकर्षित करते हुए छः सप्ताह के अन्दर उनके प्रत्युत्तर भेजने के लिए निवेदन करते हुए अग्रेषित किया जाता है। विभागों से उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति को लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में समाविष्ट प्रत्येक कंडिका के अंत में निरपवाद रूप से दर्शाया जाता है ।

इस प्रतिवेदन में समाविष्ट प्रारूप कंडिकाओं को संबंधित विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों को भेजा गया था । इनमें से भू–राजस्व तथा वन विभाग ने कोई उत्तर प्रेषित नहीं किया। इन विभागों से संबंधित कंडिकाओं को विभागों के प्रत्युक्तर के बिना ही इस प्रतिवेदन में समाविष्ट किया गया है । समीक्षाओं में सम्मिलित लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा करने के लिए लेखापरीक्षा समीक्षा समिति की बैठकें दिनांक 13 एवं 14 अगस्त 2007 को संपन्न हुई । प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग एवं वित्त सचिव ने 13 अगस्त 2007 को सम्पन्न हुई बैठक में भाग लिया तथा प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर ने 14 अगस्त 2007 को सम्पन्न हुई बैठक में भाग लिया ।

1.11 लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों का अनुवर्तन

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का 31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष का प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) 29 मार्च 2007 को विधानसभा के पटल पर रखा गया था । वर्ष 2004–05 तक के प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति (पी.ए.सी.) द्वारा चर्चा की जा चुकी है तथा वर्ष 2005–06 के प्रतिवेदन पर भी आंशिक रूप से चर्चा की जा चुकी है । विभिन्न वर्षों से संबंधित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति की अनुशंसाएं प्राप्त हो चुकी हैं ।

लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं पर वर्ष 1992–93 तक के अनुवर्तन पालन प्रतिवेदन प्राप्त हो चुके हैं। वर्ष 1993–94 तथा आगामी वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर संबंधित विभागों से अनुवर्तन पालन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं यद्यपि म.प्र. शासन संसदीय कार्य विभाग द्वारा नवम्बर 1994 में जारी अनुदेशों में निर्देशित किया गया है कि लोक लेखा समिति की सिफारिशों की प्राप्ति के दिनांक से 6 माह के भीतर इन्हें जारी किया जाना चाहिए।

1.12 पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन

वर्ष 2001–02 तथा 2005–06 के मध्य विभागों/शासन ने 369.25 करोड़ रूपये की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया जिसमें से 31 मार्च 2007 तक केवल 3.80 करोड़ रूपये की राशि वसूल कर ली गई थी जिसका विवरण निम्नानुसार है :

(करोड़ रूपयों में)

क्र.	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष	प्रतिवेदन की कुल राशि	स्वीकार की गई राशि	वसूल की गयी राशि
1.	2001-02	221.22	56.21	0.65
2.	2002-03	295.70	240.98	0.16
3.	2003-04	125.53	26.26	0.29
4.	2004-05	41.96	13.24	0.28
5.	2005-06	85.85	32.56	2.42
	योग	**770.26**	**369.25**	**3.80**

2.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 2006–07 के दौरान वाणिज्यिक कर विभाग से सम्बंधित कर निर्धारण प्रकरणों एवं अन्य अभिलेखों की नमूना जांच में 623 प्रकरणों में अंतर्निहित 66.37 करोड़ रूपये की राशि के अवनिर्धारण, कर एवं शास्ति का अनारोपण/कम आरोपण, कर की गलत दर लागू किये जाने आदि से सम्बंधित प्रकरण दृष्टिगत हुए, जिन्हें मोटे तौर पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है :

(करोड़ रूपयों में)

क्रम संख्या	*श्रेणी*	*प्रकरणों की संख्या*	*राशि*
1.	कर का अनारोपण/ कम आरोपण	184	26.33
2.	छूट/कटौती/मुजराई की गलत स्वीकृति	95	6.28
3.	कर की गलत दर का लागू किया जाना	91	4.53
4.	कर योग्य विक्रय राशि का गलत निर्धारण	40	2.45
5.	अन्य अनियमितताऐं	213	26.78
	योग	***623***	***66.37***

वर्ष 2006–07 के दौरान, विभाग ने 149 प्रकरणों में अंतर्निहित 15.33 करोड़ रूपये के कर अवनिर्धारण को स्वीकार किया। ये समस्त प्रकरण वर्ष 2006–07 से संबंधित थे । वर्ष के दौरान सात प्रकरणों में 95.10 लाख रूपये की राशि वसूल की गई थी।

कुछ उदाहरणात्मक प्रकरणों, जिनमें 21.20 करोड़ रूपये की राशि अंतर्निहित है, की विवेचना अनुवर्ती कंडिकाओं में की गई है :

2.2 बंद हुई इकाईयों से वाणिज्यिक कर की वसूली न होना

मध्य प्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम के अंतर्गत जारी 1994 की कर मुक्ति योजना के अनुसार पात्रता प्रमाण पत्र धारक नयी औद्योगिक इकाई के पात्रता अवधि के दौरान तथा पात्रता अवधि की समाप्ति से पांच वर्ष की आगामी अवधि तक इकाई को चालू रखना होगा जिसमें असफल रहने पर पात्रता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत जिला स्तरीय समिति/राज्य स्तरीय समिति द्वारा पात्रता प्रमाणपत्र निरस्त किया जा सकेगा । इकाई द्वारा ली गयी कर आस्थगन/छूट की राशि की वसूली भी की जा सकेगी ।

अप्रैल 2006 तथा जनवरी 2007 के मध्य चार[1] कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि 1994 की योजना के अंतर्गत दो औद्योगिक इकाइयों को 4.70 करोड़ रूपये के कर आस्थगन की स्वीकृति दी गयी तथा तीन ईकाईयों को 2.07 करोड़ रूपये के कर भुगतान से मुक्ति की स्वीकृति दी गयी । इनमें से चार इकाईयों द्वारा पात्रता की अवधि के दौरान अपना व्यवसाय बंद कर दिया गया जबकि एक इकाई द्वारा पात्रता की अवधि की समाप्ति के पांच वर्ष के अंदर व्यवसाय बंद कर दिया गया। कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा पात्रता प्रमाणपत्र निरस्त करने तथा रकम की वसूली के लिये प्रकरण को जिला स्तरीय समिति/राज्य स्तरीय समिति को नहीं भेजा गया ।

प्रकरणों को इंगित किये जाने पर, शासन ने (नवम्बर, 2007) बताया कि दो प्रकरणों में वसूली हेतु कार्रवाई जारी है। तीन प्रकरणों में यह बताया गया कि पात्रता प्रमाण पत्र भूतलक्षी प्रभाव से निरस्त नहीं किया जा सकता है । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि भूतलक्षी प्रभाव से पात्रता प्रमाण पत्र का निरस्तीकरण कर छूट अधिसूचना के प्रावधानों के अंतर्गत अनुमत्य है जिसके लिये कार्रवाई नहीं की गयी है ।

2.3 कर प्रदत्त विक्रय की गलत कटौती

अधिनियम, नियमों और उसके अधीन जारी की गई अधिसूचनाओं के अंतर्गत जिन कर प्रदत्त मालों पर, कर का भुगतान राज्य के भीतर किया गया है, कर योग्य टर्नओवर का निर्धारण करते समय उन पर कर प्रदत्त विक्रय की कटौती की छूट देने का प्रावधान है । यदि व्यवसायी द्वारा अपनी विवरणियों में किए गए विक्रय अथवा क्रय संबंधी गलत विवरण प्रस्तुत किया जाता है तो आयुक्त द्वारा कम से कम देय कर

[1] तीन क्षेत्रीय कार्यालय सहायक आयुक्त : भोपाल, खण्डवा एवं खरगौन तथा एक वाणिज्यिक कर अधिकारी – इंदौर

की तीन गुना शास्ति आरोपित की जायेगी । अधिनियम के तहत संवेष्ठन सामग्री पर कर की वही दर लागू होगी जो उसमे पैक किये गए माल पर लागू होती है ।

अक्टूबर 2005 तथा दिसम्बर 2006 के मध्य चार कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा जुलाई 2003 से जनवरी 2006 के मध्य 2000–01 से 2002–03 तक की अवधि हेतु कर निर्धारित पांच व्यवसाईयों के प्रकरण में कर प्रदत्त वस्तुओं/संवेष्ठन सामग्री की गलत कटौती की छूट प्रदान की गई । इसके परिणामस्वरूप 1.17 करोड़ रूपये के कम कर का आरोपण तथा 2.92 करोड़ रूपये की शास्ति का आरोपण हुआ जिसका विवरण निम्नानुसार दर्शाया गया है :

क्र.सं.	इकाई का नाम	कर निर्धारण वर्ष तथा निर्धारण का दिनांक	आपत्तियों का स्वरूप
1.	क्षे.स.आ.[2] इन्दौर क्षे.स.आ. मुरैना	2002–03 जनवरी 2006 2002–03 सितम्बर 2005	आयरन एवं स्टील तथा वनस्पति तेल के लेनदेन को पंजीकृत व्यवसाइयों से राज्य के भीतर क्रय मानते हुए, कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा कर निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय क्रमशः 23.50 करोड़ रूपये तथा 86.42 लाख रूपये के कर प्रदत्त विक्रय की कटौती की छूट दी गई। लेकिन लेनदेनों के सत्यापन में पाया गया कि जिन व्यवसाईयों से मालों का क्रय राज्य के भीतर किया गया था, वे अस्तित्व में ही नहीं थे । इस प्रकार कर चुके माल की छूट गलत थी जिसके परिणामस्वरूप 2.92 करोड़ रूपये की न्यूनतम शास्ति सहित 97.46 लाख रूपये के कर का कम आरोपण हुआ।
दिसम्बर, 2006 में प्रकरण को इंगित करने पर शासन ने लेखापरीक्षा आपत्ति को नवम्बर 2007 में स्वीकार किया। यद्यपि आगामी कार्यवाही से अभी तक सूचित नहीं किया गया है ।			
2.	क्षे.स.आ. इन्दौर	2002–03 जनवरी 2006	एक व्यवसाई द्वारा करयोग्य दवाईयों के साथ 30.37 लाख रूपये मूल्य के कर चुके बारदाने का विक्रय किया गया । लेकिन कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा कर प्रदत्त संवेष्ठन सामग्री की कटौती की छूट प्रदान की गई जो गलत था। इससे 2.56 लाख रूपये के कर का कम आरोपण हुआ ।

[2] क्षे.स.आ. : क्षेत्रीय सहायक आयुक्त

शासन ने नवम्बर, 2007 में बताया कि माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय के निर्णय 1997[3] के परिप्रेक्ष्य में कर कटौती की अनुमति सही थी जिसमें कहा गया कि कर चुके बारदाने का अन्य वस्तुओं के संवेष्ठन में प्रयोग करने पर दी गई छूट स्वीकार्य थी । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय[4] के 1999 के निर्णयानुसार यदि अन्य माल के संवेष्ठन हेतु प्रयुक्त संवेष्ठन सामग्री कराधीन है तो इस पर भी इसके अंदर पैक किये गये माल पर लागू कर की दर से करारोपण किया जाएगा।			
3.	क्षे.स.आ. छिंदवाडा	2001–02 दिसम्बर 2004	छिंदबाड़ा के एक सीमेंट व्यवसाई द्वारा प्रस्तुत लेखों में वास्तविक कर योग्य विक्रय राशि 1.36 करोड़ रूपये के स्थान पर 1.16 करोड़ रूपये की गलत कर योग्य विक्रय राशि दर्शाई गई। इस प्रकार 20.25 लाख रूपये का कम टर्नओवर निर्धारित होने के परिणामस्वरूप 2.79 लाख रूपये के कर का कम आरोपण हुआ ।
आयुक्त, वाणिज्यिक कर ने जून, 2007 में सूचित किया कि 2.79 लाख रूपये की मांग सृजित की जा चुकी है ।			
4.	वा.क.का.[5] शाजापुर	2000–01 2001–02 सितम्बर 2003 दिसम्बर 2003 मार्च 2004	छत्तीसगढ़ राज्य की एक कम्पनी से 1 नवम्बर 2000[6] के पश्चात क्रय किए गए 99.70 लाख रूपये के सीमेंट का राज्य के भीतर विक्रय कर योग्य था लेकिन कर निर्धारण प्राधिकारी ने माल को गलत ढंग से स्थानीय पंजीकृत व्यवसाइयों से क्रय मानते हुए कर प्रदत्त माल की कटौती की छूट प्रदान की । इसके परिणामस्वरूप 13.8 प्रतिशत की दर से 13.76 लाख रूपये के कर का कम आरोपण हुआ ।
शासन ने नवम्बर 2007 में बताया कि जनवरी 2007 में धारा 28(1) के अंतर्गत प्रकरणों में पुनः कर निर्धारण करने के पश्चात 13.69 लाख रूपये की मांग सृजित की गयी थी ।			

2.4 कर मुक्ति की गलत स्वीकृति

2.4.1 अधिनियम के तहत जारी कर मुक्ति अधिसूचना दिनांक 6 जून 1995 के अनुसार, पात्रता प्रमाणपत्र धारक कोई व्यवसायी पात्रता प्रमाण पत्र में उसके लिये निर्दिष्ट अधिकतम संचयी कर की मात्रा तक कर मुक्ति के लिये पात्र होगा ।

3 रेमंड सीमेंट वर्कस विरूद्ध एस.टी.ओ. (1997) 30 बी.के.एन. 219 (एम.पी.)

4 मैसर्स प्रीमियर ब्रेवरीज विरूद्ध केरल राज्य के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय (1999–32–व्ही.के.एन.317)

5 वा.क.का. – वाणिज्यिक कर कार्यालय

6 मध्य प्रदेश के विभाजन का दिनांक

मार्च 2007 में क्षेत्रीय सहायक आयुक्त ग्वालियर के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि पात्रता प्रमाणपत्र धारक एक व्यवसायी 60.33 लाख रूपये की सीमा तक कर मुक्ति के लिये पात्र था, जबकि कर निर्धारण प्राधिकारी ने अवधि 2002–03 का जुलाई 2005 में कर निर्धारण सम्पन्न करते हुये पात्रता की तिथि से 3.90 करोड़ रूपये की सीमा तक कर मुक्ति की अनुमति दे दी । इसके परिणामरूवरूप पात्रता से 3.29 करोड़ रूपये के कर की अधिक कर मुक्ति प्रदान की गयी ।

2.4.2 मध्य प्रदेश सामान्य विक्रय कर अधिनियम के अंतर्गत जारी कर मुक्ति अधिसूचना दिनांक 6 अक्टूबर 1994 के अनुसार, प्राप्त विस्तारित क्षमता के संबंध में कर से मुक्ति हेतु पात्रता प्रमाणपत्र धारक व्यवसायी इसकी मूल क्षमता के 100 प्रतिशत टर्नओवर पर कर के भुगतान का दायी होगा ।

सितम्बर 2006 में क्षेत्रीय कार्यालय ग्वालियर के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि वर्ष 2002–03 के दौरान विस्तारित क्षमता से संबंधित टर्नओवर के संबंध में कर भुगतान से छूट हेतु पात्रता प्रमाणपत्र धारक व्यवसायी विस्तारित क्षमता के अंतर्गत 13.20 करोड़ रूपये मूल्य की बिक्री तक कर मुक्ति का पात्र था। जबकि कर निर्धारण प्राधिकारी ने दिसम्बर 2005 में कर निर्धारण सम्पन्न करते हुये 44.75 करोड़ रूपये के कुल टर्नओवर में से 25.36 करोड़ रूपये के मूल्य के विक्रय पर कर की छूट प्रदान की। इसके परिणामस्वरूप 12.16 करोड़ रूपये मूल्य के विक्रय पर कर मुक्ति की गलत स्वीकृति प्रदान की गई जिसमें 46.12 लाख रूपये का कर प्रभाव सन्निहित था ।

प्रकरणों को सितम्बर 2006 में इंगित किये जाने के बाद, शासन ने लेखापरीक्षा अभियुक्तियों को नवम्बर 2007 में स्वीकार किया । यद्यपि आगामी कार्यवाही के संबंध में कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2008)।

2.5 कर की गलत दर का लागू किया जाना

अधिनियम सहपठित केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 तथा उसके तहत जारी अधिसूचनाओं के अंतर्गत विभिन्न वस्तुओं के विक्रय पर आरोपणीय वाणिज्यिक कर की दरों को विनिर्दिष्ट किया गया है।

मई 2005 तथा मार्च 2007 के मध्य नौ क्षेत्रीय कार्यालयों[7] और चार वृत्त कार्यालयों[8] के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि अप्रैल 2003 और जनवरी 2006 के मध्य अप्रैल 1999 से मार्च 2003 तक की अवधि के लिए कर निर्धारित 19 प्रकरणों में 49.02 करोड़ रूपये की विक्रय राशि पर गलत दरों से

7 क्षेत्रीय कार्यालय – भोपाल, छिंदवाड़ा, ग्वालियर (2), इंदौर (3), जबलपुर तथा सतना

8 वृत्त कार्यालय – भोपाल (2), इन्दौर तथा ग्वालियर

करारोपण किया गया । इसके परिणामस्वरूप 2.61 करोड़ रूपये के कर का कम आरोपण हुआ । कुछ उदाहरणों का नीचे उल्लेख किया गया है :

(करोड़ रूपये में)

क्रं. सं.	इकाई का नाम एवं प्रकरणों की संख्या	कर निर्धारण की अवधि एवं माह	वस्तु का नाम	विक्रय राशि	आरोपित कर की दर (प्रतिशत)	आरोपणीय कर की दर (प्रतिशत)	कर का कम आरोपण
1.	क्षे.स.आ. भोपाल, 1	2002–03 नवम्बर 2005	एल.ए.बी[9]	28.10	4.6	9.2	1.29
2.	क्षे.स.आ. जबलपुर, 3	2001–02 एवं 2002–03 जनवरी 2005 एवं जनवरी 2006	टॉवर	9.84 0.71	4 8	13.8 13.8	0.97
3.	क्षे.स.आ. ग्वालियर, 1	2002–03 जुलाई 2005	सरसों के तेल की खली	2.18	1.15	4.6	0.08
4.	वा.क.अ.[10] 13 इन्दौर, 1	2002–03 नवम्बर 2005	फोटो कॉपियर मशीन एवं पार्टस	1.02	9.2	13.8	0.05
5.	क्षे.स.आ. इन्दौर 1	2002–03 जनवरी 2006	औद्योगिक विलायक	0.35	4.6	13.8	0.03

प्रकरणों को मार्च 2007 में इंगित किए जाने के पश्चात शासन ने नवम्बर 2007 में लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया तथा बताया कि विभाग द्वारा तीन व्यवसाइयों के प्रकरणों का पुनः कर निर्धारण कर कुल 9.53 लाख रूपये की मांग सृजित की गयी, जिसमें से 8.45 लाख रूपये का समायोजन कर में दी गई छूट की राशि के विरूद्ध किया । शेष प्रकरणों में यह बताया गया कि कार्रवाई की जाएगी ।

9 एल.ए.बी. – लीनियर एल्काइल बेन्जीन

10 वाणिज्यिक कर अधिकारी

2.6 क्रय कर का अमान्य आस्थगन

1986 की कर आस्थगन योजना के अनुसार, दिनांक 19 फरवरी 1991 की कर मुक्ति अधिसूचना के अंतर्गत यदि सम्पूर्ण कर (अर्थात विक्रय कर तथा क्रय कर) के भुगतान से छूट के लिए पात्र कोई नयी औद्योगिक इकाई कर मुक्ति के बदले में कर आस्थगन की सुविधा का लाभ लेती है तो वह आस्थगन के लिये कर की केवल उस सीमा तक पात्र होगी जो कि उसके द्वारा निर्मित माल के विक्रय के संबंध में उसके द्वारा देय है ।

मार्च 2007 में क्षेत्रीय सहायक आयुक्त ग्वालियर के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि कर के आस्थगन हेतु पात्रता प्रमाणपत्र धारक एक व्यवसायी द्वारा 32.32 करोड़ रूपये मूल्य का कच्चा माल क्रय किया गया जिस पर क्रय कर देय था । कर निर्धारण प्राधिकारी ने जनवरी 2006 में अवधि 2002–03 का कर निर्धारण सम्पन्न करते हुये 1.49 करोड़ रूपये का क्रय कर आरोपित किया लेकिन उतनी ही राशि के कर आस्थगन की अनुमति दे दी जो मान्य नहीं थी । इसके परिणामस्वरूप 1.49 करोड़ रूपये के कर की कम वसूली हुई ।

प्रकरण को मार्च 2007 में इंगित किये जाने के बाद शासन ने नवम्बर 2007 में उत्तर दिया कि दिनांक 19 फरवरी 1991 के अधिसूचना के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में कर आस्थगन की सही अनुमति दी गयी थी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि व्यवसायी आस्थगन योजना के अंतर्गत क्रय कर के आस्थगन का पात्र नहीं था ।

2.7 प्रवेश कर का अनारोपण/कम आरोपण

मध्य प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम 1976 तथा नियमों और उनके अधीन जारी की गई अधिसूचना के अंतर्गत, खपत्, उपयोग अथवा विक्रय के लिए स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश करने वाली वस्तुओं पर विनिर्दिष्ट दरों पर प्रवेश कर आरोपणीय है । दिनांक 14 दिसम्बर 2001 को जारी अधिसूचना के अनुसार यदि बिलेट्स (ऑयरन व स्टील की एक श्रेणी) का प्रयोग स्टील की छड़ों के निर्माण में किया जाता है तो उस पर प्रवेशकर से मुक्ति की पात्रता होगी लेकिन यदि इसका उपयोग वायर रॉड के निर्माण में किया जाता है तो उस पर प्रवेश कर आरोपणीय होगा ।

दिसम्बर 2005 से दिसम्बर 2006 के मध्य पांच क्षेत्रीय कार्यालयों[11] एवं एक वृत्त कार्यालय[12] के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि दिसम्बर 2004 तथा जनवरी 2006 के मध्य कर निर्धारित छः व्यवसाइयों के अवधि 2001–02 तथा 2002–03 के प्रकरणों में 21.11 करोड़ रूपये के सौंदर्य प्रसाधनों, ऑयरन एवं स्टील, स्टेपल/विस्कॉज फायबर, डीजल ऑयल, सीमेंट आदि के स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश पर 69.66 लाख रूपये के प्रवेश कर का आरोपण नहीं किया गया/कम आरोपण किया गया ।

प्रकरणों को दिसम्बर 2006 में इंगित किए जाने के पश्चात शासन ने नवम्बर 2007 में पांच प्रकरणों में अंतनिर्हित 55 लाख रूपये के लेखापरीक्षा अभियुक्तियों को स्वीकार किया तथा बताया कि तीन प्रकरणों में पुनः कर निर्धारण के पश्चात कुल 9.25 लाख रूपये की मांग सृजित की गई । दो प्रकरणों में कार्यवाही प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। एक प्रकरण में यह बताया गया कि चूंकि ऑयरन एवं स्टील (बिलेट्स) का उपयोग स्टील रॉड के निर्माण में किया गया था अतः दिनांक 14 दिसम्बर 2001 की अधिसूचना के अंतर्गत् उसे प्रवेशकर से मुक्ति की पात्रता थी । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि बिलेट्स का उपयोग वॉयर रॉड के निर्माण में किया गया था । अतः दी गई छूट सही नहीं थी ।

2.8 कर का अनारोपण

2.8.1. 1994 की कर मुक्ति योजना के अंतर्गत पात्रता प्रमाणपत्र धारक एक नयी इकाई पर विनिर्मित माल की बिक्री के संबंध में कर की पात्रता होती है जो कि पात्रता प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट कर मुक्ति की मात्रा के विरूद्व समायोजन योग्य है ।

क्षेत्रीय सहायक आयुक्त, मुरैना के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि जनवरी 2006 में कर निर्धारित एक व्यवसाई ने, जो 1994 की योजना के तहत पात्रता प्रमाणपत्र धारक था, 11.32 करोड़ रूपये मूल्य के माल का विनिर्माण एवं विक्रय किया किन्तु कर निर्धारण प्राधिकारी ने कर निर्धारण सम्पन्न करते हुये उस पर 45.29 लाख रूपये का कर आरोपित नहीं किया । इसके परिणामस्वरूप उक्त सीमा तक कर लाभ की गलत स्वीकृति प्रदान की गई ।

मार्च 2007 में प्रकरण इंगित किये जाने के पश्चात, क्षेत्रीय सहायक आयुक्त मुरैना ने प्रकरण का पुनः कर निर्धारण जून 2007 में किया तथा 45.29 लाख रूपये की मांग सृजित की जिसे कर मुक्ति की मात्रा के विरूद्व समायोजित किया गया ।

11 क्षेत्रीय कार्यालय – गुना, इन्दौर (2), जबलपुर एवं मुरैना

12 वृत्त कार्यालय – भोपाल

2.8.2 अधिनियम, नियमों तथा उनके अधीन जारी की गयी अधिसूचना के अंतर्गत, कच्चे माल, अनुषांगिक माल तथा संवेष्ठन सामग्री के क्रय मूल्य पर कर आरोपण का प्रावधान है जब कर का भुगतान किये बगैर उनका क्रय किया जाय तथा तैयार माल के निर्माण में उनकी खपत या उपयोग किया जाए । यदि इस प्रकार क्रय किया माल अथवा ऐसे माल से विनिर्मित वस्तुओं को राज्य के बाहर स्थानान्तरित किया जाता है तो क्रय कर आरोपणीय है ।

नवम्बर 2006 तथा मार्च 2007 के मध्य इंदौर तथा ग्वालियर के दो क्षेत्रीय कार्यालयों तथा इंदौर के एक वृत्त कार्यालय के अभिलेखों की नमूना जाँच में पता चला कि अवधि 2002–03 के लिए नवम्बर 2005 तथा जनवरी 2006 के मध्य कर निर्धारित तीन व्यवसाइयों ने, जो 1994 योजना के अंतर्गत कर मुक्ति हेतु पात्रता प्रमाण पत्र धारक थे, कर का भुगतान किए बगैर घोषणा पत्रों पर, अन्य वस्तुओं के विनिर्माण में उपयोग हेतु 4.12 करोड़ रूपये का कच्चा माल क्रय किया जबकि कर निर्धारण प्राधिकारियों ने कर निर्धारण सम्पन्न करते समय क्रय कर आरोपित नहीं किया । इसके परिणामस्वरूप 18.96 लाख रूपये के क्रय कर का अनारोपण हुआ ।

प्रकरणों को इंगित किये जाने (मार्च 2007) के पश्चात शासन ने नवम्बर 2007 में लेखापरीक्षा अभियुक्ति को स्वीकार किया तथा बताया कि दो प्रकरणों में 8.14 लाख रूपये की अतिरिक्त मांग सृजित कर उसे कर मुक्ति की शेष राशि के विरूद्व समायोजित किया जा चुका है । शेष प्रकरण में कार्यवाही प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2008) ।

2.9 ब्याज का अनारोपण

अधिनियम की धारा 26(4)(अ) के अंतर्गत यदि कोई व्यवसाई जो विवरणी दाखिल करने के दायित्वाधीन है तथा बिना किसी पर्याप्त कारण के विवरणी के अनुसार कर की राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो वह उसके द्वारा देय कर के संबंध में ब्याज के भुगतान के लिए दायी होगा ।

अक्टूबर 2006 में क्षेत्रीय कार्यालय, गुना के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि जनवरी 2006 में अवधि 2002–03 के लिए कर निर्धारित एक व्यवसाई ने कर के भुगतान से छूट हेतु उद्योग विभाग द्वारा पात्रता प्रमाण पत्र जारी किये जाने की प्रत्याशा में संबंधित अवधि के लिए दाखिल की गई विवरणयों में दर्शाये गये कर योग्य टर्नओवर पर 1.15 करोड़ रूपये के कर का भुगतान नहीं किया । व्यवसाई के विलायक निस्सारण संयंत्र को 22 अगस्त 1998[13] के बाद छूट की पात्रता नहीं थी और इसलिए वह उसके द्वारा देय कर की राशि पर ब्याज का भुगतान करने का दायी था। लेकिन कर निर्धारण प्राधिकारी

[13] अधिसूचना क्रमांक ए–3–96–95–एस.टी.व्ही.(54)/(55) दिनांक 22.8.1998

द्वारा कर निर्धारण सम्पन्न करते समय व्यवसाई को ब्याज के भुगतान से छूट प्रदान की गई । इसके परिणामस्वरूप 63.19 लाख रूपये के ब्याज का अनारोपण हुआ ।

प्रकरण को इंगित किए जाने (अक्टूबर 2006) पर शासन ने नवम्बर 2007 में बताया कि चूंकि विवरणियों के अनुसार, देय कर की राशि निरंक थी अतः ब्याज का भुगतान करने की देयता नहीं बनती है । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विवरणियों में दिखाये गये मालों के विक्रय पर कर आरोपणीय था । अतः अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वह ब्याज के भुगतान का दायी था ।

2.10 गलत ढंग से कर मुक्त माने गये विक्रयों पर कर का अनारोपण

अधिनियम, सहपठित केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, नियमों तथा उनके अंतर्गत जारी की गई अधिसूचनाओं के अनुसार अधिनियम की अनुसूची–I में विनिर्दिष्ट वस्तुओं अथवा शासन द्वारा जारी अधिसूचना द्वारा कर से मुक्त वस्तुओं को छोड़कर, माल के विक्रय पर वाणिज्यिक कर आरोपणीय है ।

सितम्बर 2006 तथा जनवरी 2007 के मध्य ग्वालियर एवं इन्दौर के तीन क्षेत्रीय कार्यालयों तथा इन्दौर के दो वृत्त कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि अक्टूबर 2005 से जनवरी 2006 के मध्य 2002–03 की अवधि के लिए कर निर्धारित पांच व्यवसाइयों के प्रकरणों में 3.34 करोड़ रूपये मूल्य के एच.डी.पी.ई.[14]/पी.पी.[15] फैब्रिक्स की बिक्री को कर मुक्त मानकर गलत कटौती की अनुमति प्रदान की गई थी जबकि यह अधिनियम के अंतर्गत् कर योग्य था । इसके परिणामस्वरूप 16.41 लाख रूपये के कर का अनारोपण हुआ ।

प्रकरणों को इंगित किये जाने (जनवरी 2007)पर शासन ने बताया कि कर मुक्ति का लाभ दिनांक 24 अगस्त 2000 की अधिसूचना के आधार पर दिया गया । उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि उक्त अधिसूचना के अंतर्गत केवल सभी प्रकार के कपड़ों को कर मुक्त किया गया था, न कि एच.डी.पी.ई./ पी.पी. फैब्रिक्स को जो अधिनियम के अनुसूची –II के भाग – 5 के प्रविष्टि क्रमांक 28 के अनुसार कर योग्य है ।

[14] एच.डी.पी.ई–उच्च घनत्व पॉली एथिलीन

[15] पी.पी. – पॉली प्रोपिलीन

2.11 अधिभार का भुगतान न होना/अनारोपण

अधिनियम की धारा 10(क) एवं इसके अधीन जारी अधिसूचना के अंतर्गत, देय कर की राशि पर 15 प्रतिशत की दर से अधिभार आरोपणीय है । अधिनियम के अंतर्गत, यदि कोई पंजीकृत व्यवसायी उसके द्वारा की गई निर्माण कार्य संविदा के निष्पादन हेतु पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से माल की आपूर्ति का कार्य करता है तो उस अधिनियम के अंतर्गत उसके द्वारा देय कर के बदले में एक मुश्त कर अथवा ऐसी दर पर जो निर्धारित की जाए, का भुगतान करने की अनुमति दी जा सकती है।

2.11.1 मार्च 2005 तथा मार्च 2007 के मध्य ग्वालियर, मुरैना तथा सैंधवा के तीन क्षेत्रीय कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि जनवरी 2002 तथा जनवरी 2006 के मध्य 1999–2000 से 2002–03 की अवधि के लिए कर निर्धारित पांच निर्माण कार्य संविदा व्यवसाइयों ने कर के बदले में निर्धारित एक मुश्त दर पर 78.04 लाख रूपये की राशि का भुगतान किया । लेकिन उन्होंने 15 प्रतिशत की दर से अधिभार का भुगतान नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप 11.71 लाख रूपये के अधिभार की वसूली नहीं हुई ।

प्रकरणों को इंगित किये जाने (मार्च 2007) पर, शासन ने नवम्बर 2007 में बताया कि निर्धारित एक मुश्त दर में अधिभार शामिल है । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अधिभार जमा किये गए कर के अतिरिक्त देय होता है ।

2.11.2 मई 2003 तथा अप्रैल 2004 में क्षेत्रीय कार्यालय, मुरैना के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि नवम्बर 2003 तथा दिसम्बर 2003 में कर निर्धारित दो व्यवसाईयों के कर निर्धारण अवधि 2000–01 के दो प्रकरणों में ट्रेक्टरों के विक्रय पर देय 25.11 लाख रूपये की कर राशि पर 15 प्रतिशत की दर से अधिभार आरोपित नहीं किया गया । इसके परिणामस्वरूप 3.77 लाख रूपये के अधिभार का अनारोपण हुआ ।

प्रकरण को इंगित किये जाने (अप्रैल 2004) के पश्चात कर निर्धारण प्राधिकारी ने लेखापरीक्षा अभियुक्तियों को स्वीकार किया तथा मई 2005 में मांग सृजित की ।

मई 2007 में प्रकरण विभाग को तथा नवम्बर 2007 में शासन को प्रतिवेदित किया गया । उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2008) ।

2.12 मूल्य संवर्धित कर का अनारोपण/कम आरोपण

अधिनियम की धारा 9–ख के अन्तर्गत, मूल्य संवर्धित कर (वैट) अधिनियम की अनुसूची–II के भाग–II से VI में विनिर्दिष्ट मालों के पुनर्विक्रय के संवर्धित मूल्य पर निर्धारित दरों से आरोपणीय है।

अक्टूबर 2004 तथा सितम्बर 2006 के मध्य देवास तथा इंदौर के दो क्षेत्रीय कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि दिसम्बर 2002 और दिसम्बर 2005 में 1999–2000 और 2002–03 की अवधि के लिये कर निर्धारित दो व्यवसाईयों के प्रकरणों में माल के पुनर्विक्रय पर 1.29 करोड़ रूपये के संवर्धित मूल्य पर 10.90 लाख रूपये के वैट का अनारोपण हुआ/कम आरोपण किया गया।

प्रकरणों को इंगित किये जाने पर शासन ने नवम्बर 2007 में लेखापरीक्षा अभियुक्तियों को स्वीकार किया तथा बताया कि एक प्रकरण में 2.81 लाख रूपये की मांग सृजित की जा चुकी थी । अन्य प्रकरणों में आगामी कार्यवाही प्रतिवेदन अप्राप्त था (जनवरी 2008) ।

2.13 गलत कटौती की छूट प्रदान करने के कारण कर का कम आरोपण

अधिनियम की धारा 2(w)(v) में कर योग्य विक्रय राशि (टर्न ओवर) की गणना करने के लिये एक फार्मूला[16] निर्धारित किया गया है । इसमें यह भी प्रावधान है कि यदि पंजीकृत व्यवसायी द्वारा कर के रूप में संग्रहीत राशि को समग्र विक्रय मूल्य में से अन्यथा घटा दिया गया हो अथवा उसे विक्रय मूल्य में शामिल नहीं किया गया हो तो फार्मूला के आधार पर कटौती नहीं की जायेगी ।

नवम्बर 2006 तथा फरवरी 2007 में इंदौर तथा मुरैना के दो क्षेत्रीय कार्यालयों तथा ग्वालियर के एक वृत्त कार्यालय के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि जनवरी 2005 तथा जनवरी 2007 के मध्य 2001–02 तथा 2002–03 की अवधि के लिए कर निर्धारित तीन व्यवसाइयों के चार प्रकरणों में निर्धारित फार्मूला के अनुसार 9.39 लाख रूपये के कर की कटौती की अनुमति प्रदान की गयी । चूंकि व्यवसाईयों के पास कर मुक्ति पात्रता प्रमाणपत्र थे तथा उनके द्वारा कोई कर संग्रहीत नहीं किया गया था, इसलिये कटौती प्रदान करना सही नहीं था । इसके परिणामस्वरूप 9.39 लाख रूपये के कर का कम आरोपण हुआ ।

[16] $\frac{\text{कर की दर} \times \text{समग्र विक्रय मूल्य}}{100 + \text{कर की दर}}$

प्रकरणों को इंगित किये जाने (फरवरी 2007) पर शासन ने नवम्बर 2007 में लेखापरीक्षा अभियुक्तियों को स्वीकार किया तथा बताया कि एक व्यवसायी के प्रकरण में 1.25 लाख रूपये की मांग सृजित की गई थी । अन्य प्रकरणों में कार्यवाही प्रतिवेदन अप्राप्त था (जनवरी 2008) ।

अध्याय – 3 : राज्य उत्पाद शुल्क

3.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2006–07 के दौरान राज्य उत्पाद शुल्क के अभिलेखों की नमूना जांच में 4,183 प्रकरणों में 109.24 करोड़ रूपये की राशि का अनिर्धारण, अवनिर्धारण, राजस्व की हानि एवं शास्ति का अनारोपण प्रकट हुआ, जिन्हें निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है :

क्रम संख्या	*श्रेणी*	*प्रकरणों की संख्या*	*राशि (करोड़ रूपये में)*
1	समीक्षा : मदिरा पर आबकारी प्राप्तियों का संग्रहण	01	31.08
2	आबकारी दुकानों से लाइसेंस फीस की वसूली न होना	239	11.48
3	आबकारी दुकानों की पुनर्नीलामी/पुनः बोली लगाने में हानि	207	5.57
4	देशी स्पिरिट/परिशोधित स्पिरिट का न्यूनतम स्टॉक न रखने पर शास्ति का अनारोपण	221	4.18
5	लाइसेंस की शर्तों के उल्लंधन पर शास्ति का अनारोपण	234	1.11
6	अधिक हानियों पर शुल्क का अनारोपण/वसूली न करना	359	0.73
7	अन्य	2,922	55.09
	योग	***4,183***	***109.24***

वर्ष 2006–07 के दौरान, विभाग ने 4,285 प्रकरणों में अन्तर्निहित 91.13 करोड़ रूपये के कर के अवनिर्धारण को स्वीकार किया। इनमें से 30.50 करोड़ रूपये की अंतर्निहित राशि के 2,793 प्रकरणों को वर्ष 2006–07 के दौरान तथा शेष प्रकरणों को पूर्ववती वर्षों में इंगित किया गया था। 1,311 प्रकरणों में 11.35 करोड़ रूपये की राशि की वसूली की गई है ।

प्रारूप कंडिकाओं को जारी किए जाने के बाद विभाग ने 138 प्रकरणों में 9.31 लाख रूपये की राशि वसूल की । **" मदिरा पर आबकारी प्राप्तियों का संग्रहण "** पर समीक्षा, जिसमें 4.57 करोड़ रूपये की राशि अन्तर्निहित है, का उल्लेख आगामी कंडिकाओं में किया गया है ।

3.2 मदिरा पर आबकारी प्राप्तियों का संग्रहण

प्रमुख विशेषताऐं

- सत्यापन प्रतिवेदनों की प्राप्ति पर निगरानी रखने के लिए अभिलेखों का संधारण तथा उच्च प्राधिकारियों को प्रस्तुत किए जाने वाली आवधिक विवरणियों को निर्धारित करने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप 10.93 करोड़ रूपये के राज्य उत्पाद शुल्क की वसूली नहीं हुई।

(कंडिका 3.2.8)

- आसवनी में स्पिरिट के न्यूनतम स्टॉक का संधारण न किए जाने संबंधी प्रकरणों को आबकारी आयुक्त को भेजने के लिए समय सीमा निर्धारित न किए जाने के परिणामस्वरूप 4.29 करोड़ रूपये की शास्ति का अनारोपण हुआ।

(कंडिका 3.2.9)

- मदिरा के परिवहन में अधिक हानियों के परिवीक्षण के अभाव में 74.19 लाख रूपये के राज्य उत्पाद शुल्क का अनारोपण हुआ ।

(कंडिका 3.2.11)

- विक्रय शर्तो में वसूली प्रावधान के अभाव में तथा विभाग की निष्क्रियता के कारण 3.31 करोड़ रूपये की हानि हुई ।

(कंडिका 3.2.14)

- लाइसेंस की अनियमित स्वीकृति तथा लाइसेंस शुल्क के भुगतान में चूक के लिए कार्रवाई करने में विफलता के परिणामस्वरूप 2.37 करोड़ रूपये की वसूली नहीं हुई ।

(कंडिका 3.2.17)

- फुटकर मदिरा दुकानों के पुनर्विक्रय में हानि की वसूली में निष्क्रियता के परिणामस्वरूप 1.05 करोड़ रूपये के राजस्व की वसूली नहीं हुई ।

(कंडिका 3.2.18)

- होटल/रैस्टोरेंट बार के 55 लाइसेंसों पर लाइसेंस फीस की गलत दरें लागू करने के परिणामस्वरूप 71.43 लाख रूपये का कम आरोपण हुआ ।

(कंडिका 3.2.19)

3.2.1 प्रस्तावना

"मदिरा" से तात्पर्य है मादक मदिरा और इसके अन्तर्गत मद्यसार, स्पिरिट, मद्य, ताड़ी, बीयर, ऐसे समस्त तरल पदार्थ जो अल्कोहल से बने है या जिनमें अल्कोहल है, और कोई भी ऐसा पदार्थ जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा मदिरा घोषित करे, सम्मिलित किए जाते हैं । आसवनियों में उत्पादित अल्कोहल से सम्मिश्रण[1]/न्यूनीकरण, संयुक्तीकरण[1] और सुवासन[1] अथवा रंजन अथवा दोनों प्रक्रियाओं द्वारा देशी और विदेशी मदिरा का निर्माण किया जाता है । बीयर का निर्माण यवासवनियों में जौ, अनाज, शक्कर और हॉप आदि से किया जाता है । मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (अधिनियम) के प्रावधानों के तहत आबकारी आयुक्त मदिरा के विनिर्माण, वितरण तथा विक्रय को वार्षिक लाइसेंस प्रदान कर नियंत्रित करते हैं, लाइसेंस का वार्षिक नवीनीकरण अधिनियम और उसके तहत बनाये गये नियमों के प्रावधानों के अनुसार विहित फीस के भुगतान पर किया जाता है । राज्य में मदिरा के उत्पादन, आधिपत्य, विक्रय, निर्यात, आयात तथा परिवहन पर विभिन्न प्रकार के शुल्कों एवं फीसों का आरोपण और संग्रहण अधिनियम और उसके तहत बनाये गये नियमों के तहत नियंत्रित किया जाता है । आबकारी विभाग के राजस्व के ये मुख्य स्रोत हैं ।

मदिरा पर आबकारी प्राप्तियों के संग्रहण से संबंधित आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली की लेखापरीक्षा में समीक्षा की गई । इसमें प्रणाली एवं अनुपालन संबंधी बहुत सी कमियां प्रकट हुईं जिनकी चर्चा अनुगामी कंडिकाओं में की गई है ।

3.2.2 संगठनात्मक संरचना

राज्य आबकारी विभाग, मध्य प्रदेश शासन के वाणिज्यिक कर विभाग के अधीन कार्यरत है । आबकारी आयुक्त (ई.सी.) विभाग प्रमुख हैं, जिनकी सहायता के लिए मुख्यालय ग्वालियर तथा जिलों, दोनों में अपर आबकारी आयुक्त (एडीशनल ई.सी.), उपायुक्त आबकारी (डी.ई.सी.), सहायक आयुक्त आबकारी (ए.ई.सी.), और जिला आबकारी अधिकारी (डी.ई.ओ.) होते हैं । जिले में कलेक्टर आबकारी प्रशासन का प्रमुख है तथा मदिरा एवं अन्य मादक द्रव्यों के फुटकर विक्रय की दुकानों के व्यवस्थापन के लिए सक्षम है तथा आबकारी राजस्व की वसूली के लिए उत्तरदायी है ।

1 मदिरा से अवशिष्ट पदार्थ को निकालकर समतापूर्ण संयोजनों में मिश्रित करने की प्रक्रिया

आसवनियों तथा बोतल भराई संयंत्रों (विदेशी मदिरा) तथा यवासवनियों में कार्य संचालन के परिवीक्षण के लिए जिला आबकारी अधिकारी की सहायता के लिए सहायक जिला आबकारी अधिकारी तथा उप निरीक्षक पदस्थ किये जाते हैं ।

3.2.3 लेखापरीक्षा का क्षेत्र तथा कार्यविधि

कार्यालय आबकारी आयुक्त, 48 में से 16[2] जिला आबकारी कार्यालयों, 22 में से 19 बोतल भराई संयंत्रों, सभी दस आसवनियों और पांच यवासवनियों के पांच वर्षो (2002–03 से 2006–07 तक) के अभिलेखों की नमूना जांच जून 2006 से जून 2007 के मध्य की गई ।

3.2.4 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

समीक्षा यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से निष्पादित की गई थी कि : –

- क्या स्पिरिट/मदिरा के विनिर्माण, आधिपत्य और विक्रय पर आरोपणीय शुल्क और फीस अधिनियम तथा उसके तहत बनाये गये नियमों के तहत वसूल की गई थी ?

- क्या मदिरा पर आबकारी प्राप्तियों के संग्रहण की सुरक्षा के लिए विभाग के पास समुचित तथा प्रभावी आंतरिक नियंत्रण कार्य प्रणाली थी ?

3.2.5 अभिस्वीकृति

अभिलेखों की नमूना जांच के फलस्वरूप लेखापरीक्षा के निष्कर्षो को जून 2007 में शासन/विभाग को प्रतिवेदित किया गया था । अगस्त 2007 में आयोजित लेखापरीक्षा समिति की बैठक में इन पर चर्चा की गई । विभाग का प्रतिनिधित्व ई.सी.ने किया तथा शासन के प्रतिनिधि के रूप में प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग उपस्थित हुए । शासन ने अधिकांश लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया और उनके उत्तरों को समीक्षा में सम्मिलित किया गया है ।

2 भोपाल, छतरपुर, दतिया, धार, ग्वालियर, होशंगाबाद, इंदौर, जबलपुर, खरगौन, मुरैना, मन्दसौर, राजगढ़, रतलाम, रायसेन, सतना और उज्जैन

3.2.6 राजस्व की प्रवृत्ति

31 मार्च 2007 को समाप्त विगत पांच वर्षो में अर्जित राजस्व का विवरण निम्नानुसार है : –

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	लक्ष्य	प्राप्ति	भिन्नता (+) वृद्धि (–) कमी	भिन्नता का प्रतिशत (%)
2002–03	890	890.32	(+) 0.32	(+) 0.04
2003–04	1,070	1,085.89	(+) 15.89	(+) 1.49
2004–05	1,185	1,192.36	(+) 7.36	(+) 0.62
2005–06	1,300	1,370.38	(+) 70.38	(+) 5.41
2006–07	1,450	1,536.31	(+) 86.31	(+) 5.95

3.2.7 बकाया आबकारी राजस्व की स्थिति

असंग्रहीत राजस्व की स्थिति का परिवीक्षण आबकारी आयुक्त स्तर पर जिला आबकारी अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गई मासिक विवरणियों के माध्यम से किया जाता है । 31 मार्च 2007 को 1971–72 से 2006–07 की अवधि से संबंधित 60.22 करोड़ रूपये का राजस्व बकाया था ।

(करोड़ रूपये में)

क्र.सं.	विवरण	राशि
1	अपलेखन हेतु शासन को अग्रेषित किये गये प्रकरण	8.73
2	आबकारी आयुक्त के पास अपलेखन हेतु लंबित प्रकरण	5.71
3	विभिन्न न्यायालयों में निर्णय हेतु लंबित प्रकरण	2.10
4	जिला आबकारी कार्यालयों में लंबित प्रकरण	43.68
	योग	**60.22**[3]

[3] प्रारम्भिक शेष, जोड़ तथा वर्ष के दौरान प्रकरणों की संख्या सहित वसूली जैसे विवरणों को विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया।

शासन ने अगस्त 2007 में बताया कि चूककर्ताओं का पता न लगने के कारण बकाया राशि अपलेखन योग्य है ।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

प्रणालीगत कमियां

3.2.8 निर्यात की गई मदिरा की अभिस्वीकृति प्राप्त न होने पर आबकारी शुल्क की वसूली न होना

आबकारी अधिनियम तथा उसके तहत बनाये गये नियमों में प्रावधान है कि यदि कोई निर्यातक भारत के अन्दर विदेशी मदिरा/बीयर तथा देशी मदिरा का निर्यात बिना शुल्क भुगतान किये करता है, तो वह आयातक इकाई के प्रभारी अधिकारी से सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त करेगा तथा इसे अनुज्ञापत्र की वैद्यता अवधि की समाप्ति के 21 दिवस/एक माह के अन्दर निर्यात अनुज्ञापत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा । अगर निर्यातक ऐसा करने में विफल रहता है तो निर्यात की गई मदिरा पर नियमों के अंतर्गत किसी अन्य आरोपणीय शास्ति के अतिरिक्त आरोपणीय शुल्क की वसूली निर्यातक से की जाएगी । सत्यापन प्रतिवेदनों की प्राप्ति का परिवीक्षण करने हेतु यह आवश्यक है कि अभिलेख जिसमें सत्यापन प्रतिवेदन की प्राप्ति का नियत दिनांक, निर्यात की गई मदिरा की मात्रा, सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने का वास्तविक दिनांक आदि विवरण हो, विनिर्माता इकाईयों में संधारित किये जाएं । **सत्यापन प्रतिवेदनों की प्राप्ति पर निगरानी रखने हेतु उच्च प्राधिकारियों को प्रस्तुत करने के लिए कोई ऐसा अभिलेख अथवा आवधिक विवरणियां नियमों में निर्धारित नहीं की गई हैं ।**

आठ जिला आबकारी कार्यालयों[4] के अभिलेखों की जुलाई 2006 और अप्रैल 2007 के मध्य नमूना जांच में प्रकट हुआ कि सात लाइसेंसधारियों ने मई 2003 से मार्च 2007 के दौरान 202 अनुज्ञापत्रों से 6,48,523.65 प्रूफ लीटर विदेशी मदिरा, 99,642 बल्क लीटर बीयर तथा 45,000 प्रूफ लीटर देशी मदिरा का निर्यात किया । अनुज्ञापत्रों की वैद्यता अवधि समाप्ति के दिनांक के बाद एक से 36 माह की अवधि व्यतीत होने के बाद भी इन प्रकरणों में सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए थे । विभाग द्वारा शुल्क की वसूली हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई । विभाग द्वारा सत्यापन प्रतिवेदनों की प्राप्ति का परिवीक्षण करने में विफलता के परिणमस्वरूप 10.93 करोड़ रूपये के आबकारी शुल्क की प्राप्ति नहीं हो सकी ।

[4] भोपाल, धार, ग्वालियर, जबलपुर, खरगौन, मुरैना, रायसेन और उज्जैन

प्रकरणों को लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने के बाद, लेखापरीक्षा आपत्तियों को शासन ने स्वीकार किया (अगस्त 2007) तथा शुल्क/शास्ति के आरोपण हेतु समुचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

शासन द्वारा सत्यापन प्रतिवेदनों की प्राप्ति का परिवीक्षण करने के लिए उपयुक्त अभिलेखों के संधारण को निर्धारित करने पर विचार किया जा सकता है तथा शासन द्वारा ऐसे प्रकरणों में प्रभावी नियंत्रण एवं परिवीक्षण हेतु इस संबंध में आबकारी आयुक्त को प्रस्तुत करने के लिए एक आवधिक विवरणी निर्धारित करने के संबंध में भी विचार किया जा सकता है ।

3.2.9 आसवनियों में स्पिरिट के न्यूनतम स्टॉक का परिवीक्षण न किया जाना

मध्य प्रदेश आसवनी नियमों (एम.पी.डी.आर.) के अन्तर्गत लाइसेंसधारियों द्वारा आसवनी में स्पिरिट के निर्धारित न्यूनतम स्टॉक का संधारण किया जाना अपेक्षित है । न्यूनतम स्टाक संधारित करने में विफल रहने की स्थिति में आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित न्यूनतम स्टॉक से कम पाई गई मात्रा पर 5 रूपये प्रति प्रूफ लीटर से अनधिक की दर से शास्ति आरोपित की जा सकेगी । यह शास्ति, इस तथ्य पर विचार किये बिना कि सरकार को उससे वास्तव में कोई हानि हुई है या नहीं लाइसेंसधारी द्वारा देय होगी । आसवनी अधिकारी से अपेक्षित है कि वह आसवनी में स्पिरिट के न्यूनतम स्टॉक संधारित न किये जाने संबंधी प्रकरण शास्ति के आरोपण हेतु आबकारी आयुक्त को अग्रेषित करेगा । ऐसे प्रकरणों को आबकारी आयुक्त को भेजने के लिए नियमों में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है । इसके अतिरिक्त ऐसे प्रकरणों के प्रभावी परिवीक्षण हेतु आबकारी आयुक्त को प्रस्तुत करने के लिए इस संबंध में कोई आवधिक विवरणी भी निर्धारित नहीं की गई है ।

पांच जिला आबकारी कार्यालयों[5] के अभिलेखों की नमूना जांच में प्रकट हुआ कि छः आसवकों द्वारा सितम्बर 2004 तथा फरवरी 2007 के मध्य कुल 1115 अवसरों पर स्पिरिट का निर्धारित न्यूनतम स्टॉक संधारित नहीं किया गया । जिला आबकारी अधिकारियों (आसवनी) द्वारा 85.81 लाख प्रूफ लीटर कम पाई गई स्पिरिट पर 4.29 करोड़ रूपये की शास्ति के आरोपण हेतु इन प्रकरणों को आबकारी आयुक्त को प्रस्तुत करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई । इस प्रकार आसवनियों में स्पिरिट के न्यूनतम स्टॉक का परिवीक्षण करने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप 4.29 करोड़ रूपये की शास्ति का अनारोपण हुआ ।

5 छतरपुर, धार, ग्वालियर, खरगौन तथा रायसेन

इन प्रकरणों को लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने के बाद, आबकारी आयुक्त ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (सितम्बर 2007) तथा बताया कि सम्बन्धित आसवनियों से जानकारी मांगने के बाद शास्ति के आरोपण हेतु कार्रवाई की जाएगी ।

शासन द्वारा शास्ति के आरोपण हेतु आसवनी में स्पिरिट के न्यूनतम स्टॉक का संधारण न किये जाने संबंधी प्रकरणों को आबकारी आयुक्त को भेजने के लिए समय सीमा निर्धारित करने पर विचार किया जा सकता है तथा शासन द्वारा इस बात पर भी विचार किया जा सकता है कि प्रभावी परिवीक्षण हेतु इस संबंध में जिला आबकारी अधिकारी द्वारा आबकारी आयुक्त को प्रस्तुत किये जाने के लिए एक आवधिक विवरणी निर्धारित की जाए ।

3.2.10 परिवहन की गई विदेशी मदिरा की मात्रा पर शुल्क की वसूली न होना

अधिनियम में प्रावधान है कि किसी भी आसवनी, यवासवनी, भण्डागार अथवा भण्डारण के किसी अन्य स्थान से कोई भी मादक द्रव्य शुल्क का भुगतान किये बिना या शुल्क के भुगतान के लिए बंध–पत्र निष्पादित किये बिना परिवहित नहीं किया जाएगा । उन प्रकरणों में जहां शुल्क का भुगतान किये बिना मादक द्रव्यों का परिवहन किया जाता है तो लाइसेंसधारी से अपेक्षित है कि वह गन्तव्य स्थान से सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त कर उसे परिवहन अनुज्ञापत्र जारी करने वाले आबकारी प्राधिकारी को प्रस्तुत करे । **मदिरा के परिवहन संबंधी सत्यापन प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने के लिए नियमों में कोई समय सीमा विहित नहीं की गई है । इसके अतिरिक्त, सत्यापन प्रतिवेदनों की प्राप्ति पर निगरानी रखने हेतु आबकारी आयुक्त को प्रस्तुत किये जाने वाले सुसंगत अभिलेख तथा आवधिक विवरणियां भी विहित नहीं की गई हैं ।**

पांच आबकारी कार्यालयों[6] के अभिलेखों की नमूना जांच में प्रकट हुआ कि बोतल भराई इकाईयों/यवासवनियों से सितम्बर 2002 तथा फरवरी 2007 के मध्य 2,10,299.51 प्रूफ लीटर विदेशी मदिरा तथा 4,36,020 बल्क लीटर बीयर जिसमें 4.06 करोड़ रूपये का आबकारी शुल्क अंतर्निहित था, विदेशी मदिरा भण्डागारों और सैनिक केन्टीनों को शुल्क का भुगतान किये बिना अथवा बन्ध पत्र के निष्पादन के बगैर परिवहित की गई । इसके अतिरिक्त विदेशी मदिरा भण्डागारों/सैनिक केन्टीनों से इन परेषणों का सत्यापन प्रतिवेदन 1 से 49 माह व्यतीत होने के बाद भी प्राप्त नहीं हुआ था । सत्यापन प्रतिवेदनों के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि क्या परिवहित की गई विदेशी मदिरा/बीयर पर वास्तव में 4.06 करोड़ रूपये का शुल्क आरोपित और वसूल किया गया था ।

6 भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, मुरैना तथा उज्जैन

इन प्रकरणों को लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने के बाद, शासन ने लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया (अगस्त 2007) तथा शुल्क/शास्ति के आरोपण हेतु समुचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

विदेशी मदिरा के परिवहन के ऐसे प्रकरणों में सत्यापन प्रतिवेदनों के प्रभावी परिवीक्षण हेतु शासन उपयुक्त अभिलेखों तथा विवरणियों के संधारण को निर्धारित करने के संबंध में विचार कर सकता है । मदिरा के परिवहन से संबंधित सत्यापन प्रतिवेदनों को आबकारी आयुक्त को प्रस्तुत करने के लिए किसी समय सीमा को निर्धारित किए जाने के संबंध में भी शासन द्वारा विचार किया जा सकता है ।

3.2.11 मदिरा की अमान्य हानियां

अधिनियम के तहत बनाये गये नियमों में प्रावधान है कि बोतल बन्द मदिरा के परिवहन और निर्यात के दौरान मान्य सीमा से अधिक हानियाँ होने पर लाइसेंसधारियों से निर्धारित दरों पर शुल्क की वसूली की जाएगी । इसके अतिरिक्त, **बोतल बन्द मदिरा के निर्यात और परिवहन के दौरान हानियों पर निगरानी रखने के लिए यह आवश्यक है कि परिवहित/निर्यात की गई मदिरा की मात्रा, गन्तव्य स्थान पर प्राप्त मदिरा की मात्रा, हानि की मात्रा तथा अमान्य हानियों पर वसूली आदि सम्बंधी विवरण रखने वाले अभिलेख आबकारी अधिकारियों द्वारा संधारित किए जाएं । लेखापरीक्षा में पाया गया कि अमान्य हानियों पर शुल्क वसूली के लिए आबकारी आयुक्त द्वारा परिवीक्षण हेतु ऐसा कोई अभिलेख अथवा आवधिक विवरणी अथवा समय सीमा नियमों में निर्धारित नहीं की गयी है ।**

छः जिला आबकारी अधिकारियों[7] के अभिलेखों की नमूना जांच में प्रकट हुआ कि नवम्बर 2002 और मार्च 2007 के मध्य मदिरा की भरी बोतलों के परिवहन तथा निर्यात के दौरान मान्य सीमा से अधिक हानियों पर 1,838 प्रकरणों में 74.19 लाख रूपये का शुल्क वसूली योग्य था, लेकिन आबकारी अधिकारियों द्वारा इसका आरोपण तथा वसूली नहीं की गई थी । इसके परिणामस्वरूप 74.19 लाख रूपये के आबकारी शुल्क की वसूली नहीं हुई ।

इन प्रकरणों को इंगित किये जाने के बाद, शासन ने लेखापरीक्षा आक्षेपों को स्वीकार किया (अगस्त 2007) तथा आश्वासन दिया कि शुल्क के आरोपण हेतु समुचित कार्रवाई की जाएगी । सहायक आयुक्त आबकारी भोपाल ने जुलाई 2007 में 6.66 लाख रूपये का शुल्क वसूल किया ।

7 भोपाल, छतरपुर, धार, ग्वालियर, मुरैना तथा रायसेन

मदिरा के परिवहन और निर्यात के दौरान हानियों के प्रभावी परिवीक्षण के लिए उपयुक्त अभिलेखों के संधारण को निर्धारित करने पर शासन द्वारा विचार किया जा सकता है । अमान्य हानियों पर आबकारी शुल्क की वसूली के लिए समय सीमा तथा आबकारी आयुक्त स्तर पर परिवीक्षण हेतु आवधिक विवरणी भी निर्धारित की जा सकती है ।

3.2.12 स्प्रिरिट की अमान्य छीजन

अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों में प्रावधान है कि टैंकरों में परिवहन/निर्यात, भण्डारण तथा मदिरा के विनिर्माण के दौरान विहित सीमा से अधिक स्प्रिरिट की छीजन पर निर्धारित दर से शास्ति आरोपणीय होगी । यद्यपि विभाग ने परिवहन भण्डारण तथा मदिरा के विनिर्माण के दौरान स्पिरिट की छीजन का परिवीक्षण करने के लिए एक प्रणाली निर्धारित की है, लेकिन **अमान्य छीजनों के प्रकरणों को शास्ति के आरोपण हेतु सक्षम प्राधिकारी[8] के पास भेजने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है । इसके अतिरिक्त, नियमों में स्पिरिट के निर्यात प्रकरणों में छीजन की निगरानी के लिए संबंधित अभिलेखों का संधारण, आबकारी आयुक्त को आवधिक विवरणी भेजना तथा शास्ति आरोपित करने के लिए छीजन प्रकरणों को प्रस्तुत करने की समय सीमा नियमों मे निर्धारित नहीं की गई है। इसके परिणामस्वरूप बहुत से प्रकरणों में शास्ति आरोपण लंबित था।**

3.2.12.1 छः जिला आबकारी कार्यालयों[9] में नवम्बर 2002 तथा मार्च 2007 के मध्य स्प्रिट के परिवहन, निर्यात, भण्डारण एवं न्यूनीकरण क्रियाओं के दौरान मान्य सीमा से अधिक रिपरिट की छीजन के 581 प्रकरणों में 9.35 लाख रूपये की शास्ति आरोपणीय थी। लेकिन इसका आरोपण और वसूली नहीं की गई थी । परिवहन/निर्यात, भण्डारण और न्यूनीकरण के दौरान छीजन के प्रकरणों के परिवीक्षण में विभाग की असफलता के परिणामस्वरूप 9.35 लाख रूपये का अनारोपण हुआ ।

इन प्रकणों को लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने के बाद, शासन ने लेखापरीक्षा आक्षेपों को स्वीकार किया (अगस्त 2007) और यह आश्वासन दिया कि शास्ति आरोपण के लिए समुचित कार्रवाई की जाएगी । **अमान्य छीजनों पर शास्ति आरोपित करने के प्रकरणों को सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करने के लिए समय–सीमा निर्धारित करने के संबंध में शासन द्वारा विचार किया जा सकता है। स्पिरिट के निर्यात के दौरान छीजन के प्रभावी परिवीक्षण हेतु उपयुक्त अभिलेखों के संधारण तथा आवधिक विवरणियों के प्रस्तुतीकरण को भी शासन द्वारा निर्धारित किया जा सकता है ।**

8 परिवहन के दौरान छीजनों के लिए आबकारी उपायुक्त सक्षम प्राधिकारी हैं तथा अन्य प्रकरणों में आबकारी आयुक्त सक्षम प्राधिकारी हैं ।

9 भोपाल, छतरपुर, धार, ग्वालियर, जबलपुर और खरगौन ।

3.2.12.2 मदिरा के परिवहन, भण्डारण तथा विनिर्माण में छीजनों को मान्य करने के लिए नियमों में प्रावधान है लेकिन **एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ई.एन.ए.) के विनिर्माण के लिए पुनर्आसवन के दौरान परिशोधित स्पिरिट (आर.एस.) की छीजन के लिए नियमों में छूट का कोई प्रावधान नहीं है ।**

राजगढ़ तथा रायसेन की आसवनियों के अभिलेखों की नमूना जांच में प्रकट हुआ कि मार्च 2003 तथा फरवरी 2007 के मध्य ई.एन.ए. का उत्पादन करने के लिए 576 प्रकरणों में 218.42 लाख प्रूफ लीटर परिशोधित स्पिरिट का पुनर्आसवन किया गया तथा 1.16 लाख प्रूफ लीटर आर.एस.की छीजन की छूट प्रदान की गई । यह स्वीकार्य नहीं थी एवं परिणामस्वरूप 1.22 करोड़ रूपये के आबकारी शुल्क की हानि हुई ।

प्रकरणों को इंगित किये जाने के बाद, शासन ने अगस्त 2007 में बताया कि ई.एन.ए. के विनिर्माण में परिशोधित स्पिरिट की छीजन मध्य प्रदेश आसवनी नियम के नियम 6(2) के अनुसार मान्य की गयी है । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नियम 6(2) सहपठित नियम 4 मानव उपयोग हेतु अनुपयुक्त अथवा अधोमानक स्तर की स्प्रिट के पुनर्आसवन के दौरान छीजन की छूट से संबंधित हैं । दूसरी तरफ उपरोक्त प्रकरण वे प्रकरण हैं जहां परिशोधित स्प्रिट का पुनर्आसवन ई.एन.ए. बनाने के लिए किया गया था । ये मानव उपयोग के लिए अनुपयुक्त अथवा अधोमानक स्तर की परिशोधित स्पिरिट के पुनर्आसवन के प्रकरण नहीं थे ।

3.2.13 विदेशी मदिरा का निवर्तन न किये जाने से आबकारी शुल्क प्राप्त न होना

मध्य प्रदेश विदेशी मदिरा नियमों में प्रावधान है कि लाइसेंस की समाप्ति, नवीनीकरण न होने और लाइसेंस या नामपत्रों को निरस्त किये जाने पर लाइसेंसधारी मदिरा का सम्पूर्ण स्टॉक जिला आबकारी अधिकारी के नियंत्रणाधीन रखेगा । तथापि लाइसेंसधारी को ऐसे शेष स्टॉक को अनुज्ञप्ति की समाप्ति या निरस्त किये जाने के 30 दिवस के अन्दर किसी अन्य लाइसेंसधारी को निवर्तित करने की अनुमति प्रदान की जा सकती है जिसमें असफल रहने पर आबकारी आयुक्त राज्य के किसी पात्र लाइसेंसधारी को ऐसे स्टॉक को क्रय करने या स्टाक के निवर्तन के लिए आवश्यक निर्देश देगा । **ऐसे प्रकरणों में आबकारी शुल्क के आरोपण के प्रभावी नियंत्रण एवं परिवीक्षण हेतु आबकारी आयुक्त को प्रस्तुत करने के लिए कोई आवधिक विवरणी नियमों में निर्धारित नहीं की गई है ।**

जिला आबकारी अधिकारी, छतरपुर तथा उज्जैन के अभिलेखों की नमूना जांच में प्रकट हुआ कि लाइसेंसों/नामपत्रों की समाप्ति के उपरान्त 23 से 36 माह व्यतीत होने के बाद भी 23,722.5 प्रूफ लीटर विदेशी मदिरा तथा 16,500.25 बल्क लीटर बीयर जिसमें 41.26 लाख रूपये का आबकारी शुल्क सन्निहित था, का निवर्तन नहीं हुआ । विभाग द्वारा स्टॉक के निवर्तन हेतु कोई प्रयास नहीं किये गये ।

विदेशी मदिरा स्टॉक के निवर्तन का परिवीक्षण करने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप शासन को 41.26 लाख रूपये के राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई ।

इन प्रकरणों को इंगित किए जाने के बाद, शासन ने लेखापीरक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (अगस्त 2007) तथा बताया कि स्टॉक के निवर्तन की कार्रवाई प्रगति पर थी ।

आबकारी आयुक्त द्वारा विदेशी मदिरा स्टॉक के प्रभावी नियंत्रण एवं निवर्तन के परिवीक्षण हेतु आवधिक विवरणियों के प्रस्तुतीकरण को निर्धारित करने के संबंध में शासन द्वारा विचार किया जा सकता है ।

3.2.14 लाटरी पद्धति के तहत दुकानों के पुनर्विक्रय के दौरान हुई हानियों की वसूली का प्रावधान न होना

शासन ने वर्ष 2004–05 से मदिरा दुकानों के विक्रय के लिए लाटरी पद्धति लागू की । यद्यपि लाटरी पद्धति में विक्रय न की जा सकी दुकानों को निविदा प्रक्रिया के माध्यम से विक्रय किया जाना था । वर्ष 2004–05 तथा 2005–06 के दौरान निविदा प्रक्रिया के माध्यम से मदिरा दुकानों की विक्रय शर्तो में प्रावधान है कि यदि कोई उच्चतम बोलीदाता अपने प्रस्ताव से पीछे हटता है, आधारभूत लाइसेंस फीस का भुगतान/सुरक्षा निधि समय पर जमा करने में विफल रहता है, अथवा विक्रय की किसी शर्त का उल्लंघन करता है तो दुकान का पुनर्विक्रय किया जाएगा । पुनर्विक्रय के कारण शासन को हुई किसी हानि की स्थिति में ऐसी हानि की वसूली चूककर्ता से की जाएगी । **लाटरी पद्धति के तहत शासन द्वारा अधिसूचित विक्रय की शर्तो में दुकानों के पुनर्विक्रय के दौरान शासन को हुई हानि की वसूली के लिए प्रावधान नहीं है ।**

छः जिला आबकारी कार्यालयों[10] के अभिलेखों की नमूना जांच में प्रकट हुआ कि वर्ष 2004–05 तथा 2005–06 के लिए क्रमशः 18.62 करोड़ रूपये तथा 11.27 करोड़ रूपये के वार्षिक मूल्य पर 21 तथा 20 मदिरा दुकानों के आवंटन हेतु लाटरी पद्धति के तहत 19 तथा 10 आवेदकों को सफल घोषित किया गया । सफल आवेदकों द्वारा आधारभूत लाइसेंस फीस और सुरक्षा निधि विहित तिथियों तक जमा करने में विफल रहने के कारण दुकानों का पुनर्विक्रय किया गया । वर्ष 2004–05 तथा 2005–06 के दौरान इन दुकानों के पुनर्विक्रय की प्रक्रिया में, दुकानों के विभागीय संचालन के दौरान हुई आय तथा धरोहर राशि निक्षेप को राजसात कर लेखों में लेने के बाद शासन को क्रमशः 2.29 करोड़ रूपये तथा 1.02 करोड़ रूपये की राजस्व हानि हुई थी । वर्ष 2004–05 के दौरान हुई हानि की वसूली के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी क्योंकि लाटरी पद्धति में ऐसी हानियों की वसूली चूककर्ताओं से करने

10 दतिया, ग्वालियर, होशंगाबाद, इंदौर, जबलपुर तथा रायसेन

का प्रावधान विक्रय शर्तो में नहीं था । 2005–06 के दौरान हुई हानि के लिए यद्यपि आबकारी अधिकारियों द्वारा दुकानों के पुनर्विक्रय के दौरान हुई हानि की वसूली के लिए आवेदकों से वचन पत्र प्राप्त किये गये थे, लेकिन उनके द्वारा चूककर्ताओं से इसकी वसूली करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई ।

इन प्रकरणों को इंगित किये जाने के बाद, शासन ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (अगस्त 2007) तथा बताया कि दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई प्रारम्भ की जा चुकी है ।

शासन द्वारा लाटरी पद्वित के तहत मदिरा की दुकानों के पुनर्विक्रय के कारण हुई हानि की वसूली चूककर्ताओं से किये जाने के संबंध में प्रावधान किए जाने पर विचार किया जा सकता है ।

3.2.15 राशि प्रेषण में विलम्ब

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग – I के अनुसार, शासन के उत्तरदायित्व पर प्राप्त किये धन को पूर्णतः अविलम्ब कोषालय को प्रेषित किया जाएगा ।

राज्य आबकारी विभाग ने पंजाब नेशनल बैंक (पी.एन.बी.) के साथ एक व्यवस्था प्रारम्भ की जिसके तहत पी.एन.बी. विभाग की ओर से फुटकर लाइसेंसधारियों से दैनिक विक्रय आगम संग्रहीत करेगा तथा पाक्षिक रूप से कोषालय में जमा करेगा । हालांकि यह व्यवस्था मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के अनुरूप नहीं थी क्योंकि इसमें प्रावधान है कि शासकीय धन को कोषालय में अविलम्ब जमा किया जाना चाहिए।

आबकारी आयुक्त कार्यालय, ग्वालियर के अभिलेखों की नमूना जांच में प्रकट हुआ कि नवम्बर 2002 से मार्च 2007 तक की अवधि में पी.एन.बी. द्वारा सात भण्डागारों[11] से मदिरा विक्रय द्वारा प्राप्त 916.89 करोड़ रूपये संग्रहीत किये गये । 127 प्रकरणों में से 126 प्रकरणों में इन निधियों को कोषालय में अनुचित विलम्ब से जमा करना पाया गया । संचित पाक्षिक संग्रहणों को कोषालय में चार से 40 दिनों के विलम्ब से जमा किया जा रहा था । यह केवल कोषालय संहिता के विरूद्ध नहीं था बल्कि पी.एन.बी. द्वारा निधियों की राशि को विलम्ब से जमा करने से शासन 1.56 करोड़ रूपये[12] के ब्याज से भी वंचित रहा ।

11 भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, रीवा, सागर तथा उज्जेन

12 शासन द्वारा अवधि 2002–03 से 2006–07 के दौरान बाजार से उधार लिए ऋणों पर देय ब्याज न्यूनतम 5.6 प्रतिशत की दर से संगणित किया गया।

इन प्रकरणों को इंगित किये जाने के बाद, शासन ने बताया (अगस्त 2007) कि पाक्षिक रूप से जमा कराने की प्रक्रिया मध्य प्रदेश वित्त विभाग (म.प्र. वि.वि.) के आदेशों के तहत अपनाई गई जिससे नकली तथा कूटरचित चालानों की सम्भावनाओं को रोका जा सके । शासन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कूटरचित चालानों की निगरानी के लिए विभागीय चालानों को कोषालय प्राप्तियों से पुनर्मिलान की व्यवस्था पूर्व से ही विद्यमान है । इसके अलावा, मध्य प्रदेश कोष संहिता पी.एन.बी. को दैनिक विक्रयागमों का संचय पर उन्हें प्रत्येक पखवाड़े में कोषालय में जमा करवाने की अनुमति प्रदान नहीं करता है । मध्य प्रदेश कोष संहिता में धन को तत्काल कोषालय में जमा करने का प्रावधान है ।

3.2.16 आन्तरिक लेखापरीक्षा

किसी विभाग की आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा उसकी आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अवयव है तथा इसको सामान्यतः सभी नियंत्रणों के नियंत्रण के रूप में परिभाषित किया जाता है जो विभाग को यह सुनिश्चित करने में सहायता करता है कि निर्धारित प्रणालियां यथोचित रूप से कार्य कर रहीं हैं ।

आबकारी आयुक्त कार्यालय में वर्ष 1978 में आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा की स्थापना की गई थी । इसकी नामावली (रोस्टर) के अनुसार 2002–03 से 2006–07 तक की अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष 48 इकाईयों की लेखापरीक्षा संचालित की जानी थी । अभिलेखों की संवीक्षा में निम्नलिखित स्थिति का पता चला :

वर्ष	लेखापरीक्षा की गई इकाईयों की संख्या	नामावली के संदर्भ में कमी	कमी का प्रतिशत
2002–03	41	07	14.58
2003–04	28	20	41.67
2004–05	21	27	56.25
2005–06	14	34	70.83
2006–07	23	25	52.08

इस प्रकार आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा, विभाग द्वारा निर्धारित किये गये लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकी। इसके अतिरिक्त, आन्तरिक लेखापरीक्षा द्वारा उठाई गई आपत्तियों की संख्या, अंतर्निहित धन राशि, वसूल की गई राशि इत्यादि के संबंध में विवरण आन्तरिक लेखापरीक्षा के पास उपलब्ध नहीं थे । लेखापरीक्षा आपत्तियों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई से संबंधित अभिलेख निर्धारित नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, विभाग का आन्तरिक लेखापरीक्षा कार्य निष्प्रभावी रहा ।

लेखापरीक्षा आपत्ति को शासन द्वारा स्वीकार किया गया । यह आश्वासन दिया गया कि भविष्य में लेखापरीक्षा नामावली का अनुसरण किया जाएगा । अभिलेखों का संधारण न किये जाने के संबंध में आबकारी आयुक्त ने अक्टूबर 2007 में बताया कि लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर अब वर्ष 2007–08 से अभिलेख संधारित किये जा रहे हैं ।

अनुपालन में कमियां

3.2.17 अनियमित रूप से लाइसेंस जारी करना/लाइसेंस शुल्क की वसूली न होना

अधिनियम तथा फुटकर दुकानों के विक्रय की शर्तो में प्रावधान है कि सफल आवेदक/निविदादाता लाइसेंस जारी किये जाने से पूर्व निर्धारित आधारभूत लाइसेंस शुल्क तथा प्रतिभूति जमा राशि का भुगतान करेगा। यदि वह इन्हें निर्धारित अवधि के भीतर जमा करने में असफल रहता है अथवा आंशिक रूप से जमा करता है तो उसके द्वारा जमा की गई धन राशि राजसात कर दुकान का पुनर्विक्रय कर दिया जाएगा । वार्षिक लाइसेंस शुल्क[13] लाइसेंसधारियों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से 24 समान पाक्षिक किस्तों में देय है । चूक होने की स्थिति में, लाइसेंस जारी करने वाले प्राधिकारी को लाइसेंस निरस्त करने अथवा निलम्बित करने का अधिकार है । उस स्थिति में जब लाइसेंस निरस्त किया जाता है तो कलेक्टर ऐसी दुकानों का प्रबंधन अपने प्रभार में ले सकता है अथवा भूतपूर्व लाइसेंसधारियों के जोखिम तथा व्यय पर दुकानों का पुनर्विक्रय कर सकता है । इस प्रक्रिया में यदि कोई हानि होती है तो चूककर्ता से उसकी वसूली आबकारी राजस्व के रूप में की जाएगी ।

चार जिला आबकारी कार्यालयों[14] के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि वर्ष 2004–05 तथा 2005–06 के दौरान 9.35 करोड़ रूपये की कुल वार्षिक लाइसेंस शुल्क पर एक वर्ष अथवा उसके किसी भाग के लिए 46 मदिरा दुकानों के लिए लाइसेंस जारी किए गये थे । 17 सफल आवेदकों द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर प्रतिभूति जमा तथा आधारभूत लाइसेंस शुल्क की वांछित राशि जमा करने में विफल रहने के बावजूद भी उन्हें फुटकर मदिरा दुकानों हेतु लाइसेंस जारी किए गये थे। लाइसेंस जारी करने के बजाय, सफल आवेदकों द्वारा जमा की गई प्रतिभूति जमा तथा आधारभूत लाइसेंस शुल्क की

13 वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क, दुकान के मूल्य में से आधारभूत अनुज्ञप्ति शुल्क घटाने से प्राप्त राशि के बराबर होता है ।

14 दतिया, होशंगाबाद, जबलपुर तथा रायसेन

आंशिक/अपर्याप्त राशि 24.04 लाख रूपये को राजसात कर दुकानों का पुनर्विक्रय किया जाना चाहिए था।

इसके अतिरिक्त, इन सभी 46 लाइसेंसधारियों द्वारा लाइसेंस शुल्क की पाक्षिक किस्त का भुगतान करने में चूक की गई लेकिन 19 प्रकरणों में लाइसेंसों के निरस्तीकरण हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई थी । चूक के दिनांक से एक से चार माह तक व्यतीत होने के बाद 26 दुकानों के लाइसेंस निरस्त किए गये तथा विभाग द्वारा दुकानों का पुनर्विक्रय/संचालन किया गया । शेष बची एक दुकान का प्रबंधन लाइसेंस के निरस्तीकरण के बगैर चूक के दिनांक से 6 माह व्यतीत हो जाने के बाद लिया गया । परिणामस्वरूप विभाग को 2.37 करोड़ रूपये की राजस्व हानि उठानी पड़ी जो चूककर्ताओं से वसूली योग्य थी । विभाग द्वारा इस राशि की वसूली के लिए कोई कार्रवाई न किये जाने के परिणामस्वरूप राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई । जिला आबकारी कार्यालय, रायसेन में यह भी देखा गया कि एक देशी मदिरा की दुकान की प्रतिभूति जमा राशि के विरूद्ध प्राप्त 3.25 लाख रूपये की बैंक गारन्टी, दावे को समय पर बैंक को प्रस्तुत करने में विभाग की विफलता के कारण भुनाई नहीं जा सकी ।

इन प्रकरणों को इंगित किये जाने के बाद, शासन/आबकारी आयुक्त ने बताया (अगस्त तथा सितम्बर 2007) कि वसूली के लिए आवश्यक कार्रवाई प्रगति पर है तथा दोषी जिला आबकारी अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई भी की जा रही थी । प्रकरण में आगामी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी, 2008) ।

3.2.18 मदिरा की दुकानों के पुनर्विक्रय के कारण हानि

वर्ष 2005–06 तथा 2006–07 के दौरान निविदा प्रक्रिया के माध्यम से मदिरा दुकानों के विक्रय की शर्तो में प्रावधान है कि यदि कोई उच्चतम बोली लगाने वाला अपने प्रस्ताव से पीछे हटता है, आधारभूत लाइरोंस शुल्क/प्रतिभूति जमा राशि का समय पर भुगतान करने में असफल रहता है या विक्रय की किसी शर्त का उल्लंघन करता है तो दुकान का पुनर्विक्रय कर दिया जाएगा । पुनर्विक्रय के कारण शासन को हुई किसी हानि की स्थिति में, ऐसी हानि चूककर्ता से वसूली योग्य होगी ।

चार जिला आबकारी कार्यालयों[15] के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि वर्ष 2005–06 तथा 2006–07 के लिए क्रमशः एक तथा 14 मदिरा दुकानों के संबंध में सफल बोली लगाने वाले आधारभूत लाइसेंस शुल्क तथा प्रतिभूति जमा राशि की निर्धारित राशि का भुगतान करने में असफल रहे । परिणामस्वरूप, दुकानों का पुनर्विक्रय करना पड़ा । सुरक्षा तथा बयाना जमा धन राशि को राजसात कर हिसाब में लेने के बाद शासन को पुनर्विक्रय के कारण 1.05 करोड़ रूपये की हानि हुई । चूककर्ताओं से

15 भोपाल, होशंगाबाद, इंदौर तथा जबलपुर

इस राशि की वसूली हेतु विभाग द्वारा कोई कार्रवाई न किये जाने के परिणामस्वरूप 1.05 करोड़ रूपये के राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई । आगे यह देखा गया कि सहायक आयुक्त आबकारी, भोपाल एक दुकान के संबंध में 2.49 लाख रूपये की बयाना जमा धन राशि को राजसात करने में विफल रहे ।

इन प्रकरणों को इंगित किये जाने के बाद, शासन ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (अगस्त 2007) तथा बताया कि दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई प्रारम्भ की जा चुकी थी ।

3.2.19 गलत दरों को लागू करने के कारण लाइसेंस फीस का कम आरोपण

जनवरी 2005 के शासन के अनुदेश सहपठित अप्रैल 2005 में जारी अधिसूचना में निर्धारित दरों पर लाइसेंस फीस के भुगतान पर रेस्टोरैन्ट तथा होटल बारों को लाइसेंस जारी किये जाने का प्रावधान था। लाइसेंस फीस की स्लैब दरें उस शहर की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की गई थीं जिसमें बार स्थित थे । फरवरी 2005 के विभागीय अनुदेशों में लाइसेंस फीस के पूर्ण आरोपण का प्रावधान था भले ही लाइसेंस वर्ष के किसी भाग के लिए ही क्यों न जारी किया जाए । अप्रैल 2005 में जारी अधिसूचना में वर्ष 2005–06 के लिए मध्य प्रदेश पर्यटन निगम के होटलों के संबंध में रियायती दरों का भी प्रावधान किया गया था।

आबकारी आयुक्त कार्यालय तथा सात जिला आबकारी कार्यालयों[16] के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि वर्ष 2004–05 से 2006–07 के दौरान 2.48 करोड़ रूपये की आरोपणीय राशि के विरूद्ध 1.90 करोड़ रूपये की राशि पर निजी व्यक्तियों के होटल बारों के लिए 47 लाइसेंस जारी किये गये । यह जबलपुर शहर की जनसंख्या को 10 लाख से कम मानते हुए लाइसेंस फीस की निम्नतर स्लैब दरें लागू कर तथा उन प्रकरणों में, जिसमें लाइसेंस वर्ष के किसी भाग के लिए जारी किया गया था, आनुपातिक रूप से लाइसेंस फीस में कमी किए जाने के कारण हुआ । इसके अतिरिक्त, मध्य प्रदेश पर्यटन निगम के होटलों/रेस्टोरैन्ट बारों को वर्ष 2006–07 के लिए 27.80 लाख रूपये की आरोपणीय सामान्य फीस के विरूद्ध 14 लाख रूपये की रियायती फीस पर आठ लाइसेंस जारी किये गये । मध्य प्रदेश पर्यटन निगम के लिए रियायती दरें अधिनियम के अंतर्गत कोई अधिसूचना जारी किये बगैर शासन के निर्देशों के आधार पर वर्ष 2006–07 तक के लिए बढ़ा दी गई थीं। होटलों/रेस्टोरैन्ट बारों को जारी किये गये 55 लाइसेंसों पर लाइसेंस फीस के कम आरोपण के परिणामस्वरूप 71.43 लाख रूपये के राजस्व की कम प्राप्ति हुई ।

16 भोपाल, छतरपुर, ग्वालियर, होशंगाबाद, जबलपुर,रायसेन, उज्जैन

इन प्रकरणों को इंगित किये जाने के बाद, शासन ने जबलपुर के 47 प्रकरणों के संबंध में लाइसेंस फीस के कम आरोपण को स्वीकार किया (अगस्त, 2007)। आबकारी आयुक्त ने सितम्बर 2007 में उत्तर दिया कि 13 प्रकरणों में 15.60 लाख रूपये की लाइसेंस फीस वसूल की जा चुकी है । जुलाई 2007 में लाइसेंसधारियों द्वारा स्थागन आदेश प्राप्त कर लेने के कारण शेष प्रकरणों में वसूली नहीं की जा सकी। मध्य प्रदेश पर्यटन निगम के होटल/रेस्टोरैन्ट बारों को जारी किये गये लाइसेंस पर लाइसेंस फीस के कम आरोपण के संबंध में शासन ने बताया कि मध्य प्रदेश पर्यटन निगम के लिए रियायती दरें वर्ष 2006–07 तक बढ़ाने के संबंध में अधिसूचना भूतलक्षी प्रभाव से अगस्त 2007 में जारी की गई थी । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि यद्यपि अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत शासन को भूतलक्षी प्रभाव से लाइसेंस फीस में वृद्धि अथवा कमी करने का अधिकार है लेकिन वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होने से पूर्व के दिनांक से उक्त परिवर्तन नहीं किया जा सकता है । अतः वर्ष 2006–07 से संबंधित प्रकरण अगस्त 2007 की अधिसूचना के विचारण क्षेत्र के बाहर हैं ।

3.2.20 परिवहन/आयात शुल्क का अनारोपण/कम आरोपण

मध्य प्रदेश विदेशी मदिरा नियमों में विदेशी मदिरा, परिशोधित रिपरिट (आर.एस.) तथा एक्सट्रा न्यूट्रल एल्कोहल (ई.एन.ए.) को विदेशी मदिरा की बोतल भराई इकाईयों को परिवहित/आयातित किये जाने पर समय–समय पर निर्धारित दरों से परिवहन/आयात शुल्क के आरोपण का प्रावधान है ।

सहायक आयुक्त आबकारी कार्यालय भोपाल के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि अप्रैल 2006 में 2.62 लाख बल्क लीटर ई.एन.ए. आसवनियों से विदेशी मदिरा की बोतल भराई इकाईयों को परिवहिंत किया गया था। लाइसेंसधारियों ने 6.55 लाख रूपये के आरोपणीय शुल्क के विरूद्ध केवल 550 रूपये के परिवहन शुल्क का भुगतान किया । धार तथा ग्वालियर में लाइसेंसधारियों द्वारा अप्रैल तथा अगस्त 2006 के मध्य 2.76 लाख बल्क लीटर ई.एन.ए. का आयात किया गया । लायसेंसधारियों ने 13.50 लाख रूपये के आरोपणीय आयात शुल्क के विरूद्ध 6.72 लाख रूपये के आयात शुल्क का भुगतान किया । छतरपुर में, जनवरी 2007 में उत्तर प्रदेश से लाई गई 28,790 बीयर की बोतलों पर 2.02 लाख रूपये के आयात शुल्क का आरोपण तथा वसूली नहीं की गई । परिवहन/आयात शुल्क के अनारोपण/कम आरोपण के परिणामस्वरूप 15.34 लाख रूपये के राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई /कम प्राप्ति हुई ।

इन प्रकरणों को इंगित किये जाने के बाद, जुलाई 2006 तथा जून 2007 के मध्य भोपाल, धार तथा ग्वालियर में आबकारी प्राधिकारियों द्वारा 13.32 लाख रूपये की वसूली की गई । बीयर की बोतलों पर 2.02 लाख रूपये के आयात शुल्क के अनारोपण के संबंध में आबकारी आयुक्त ने लेखापरीक्षा आपत्ति को इस आधार पर स्वीकार नहीं किया कि लाइसेंसधारियों द्वारा इन बीयर की बोतलों को वर्ष

2004–05 के दौरान निर्यात किया गया लेकिन जनवरी 2007 में इन्हें राज्य में वापस लाया गया था क्योंकि वे छः माह पुरानी थी तथा उनकी उपभोग अवधि समाप्त हो चुकी थी । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नियमों के अंतर्गत ऐसे प्रकरणों में आयात शुल्क के अनारोपण का प्रावधान नहीं है ।

3.2.21 विदेशी मदिरा का अनियमित विनिर्माण तथा बाटलिंग

मध्य प्रदेश विदेशी मदिरा नियमों (एम.पी.एफ.एल.आर.) में प्रावधान है कि मध्य प्रदेश के बाहर पूर्व से ही विनिर्मित किये जा रहे ऐसे नामपत्र अथवा ब्राण्डों की विदेशी मदिरा की बोतल भराई हेतु विशेष बोतल भराई लाइसेंस (एफ.एल. 9ए. लाइसेंस) केवल उन लाइसेंसधारियों को जारी किया जा सकता है जिनके पास मध्य प्रदेश में विदेशी मदिरा की बोतल भराई तथा विनिर्माण के लिए लाइसेंस (एफ.एल–9 लाइसेंस) है। दूसरे शब्दों में, एल.एल.–9ए लाइसेंस के अंतर्गत विदेशी मदिरा की बोतल भराई हेतु एफ.एल.–9 लाइसेंस आवश्यक है ।

जून 2007 में खरगौन की बोतल भराई इकाई के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि दो कम्पनियों[17] को आबकारी आयुक्त से अनुमति प्राप्त करने के बाद दूसरे लाइसेंस धारी से उप पट्टे पर विशेष बोतल भराई लाइसेंस (एफ.एल.–9ए लाइसेंस) प्राप्त हुआ । इन कम्पनियों ने बिना एफ.एल.–9 लाइसेंस के, एफ.एल. –9ए लाइसेंस के अंतर्गत विदेशी मदिरा का विनिर्माण किया जिस पर वर्ष 2006–07 के दौरान 5 लाख रूपये की लाइसेंस फीस आरोपणीय थी । इस प्रकार विदेशी मदिरा का विनिर्माण न केवल अनियमित था बल्कि इससे शासन 10 लाख रूपये की लाइसेंस फीस से वंचित हो गया ।

इन प्रकरणों को इंगित किये जाने के बाद, शासन ने अगस्त 2007 में बताया कि लाइसेंस फीस की वसूली के लिए नोटिस जारी किए जा चुके हैं ।

3.2.22 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा में पाया गया कि आबकारी विभाग द्वारा मदिरा पर आबकारी प्राप्तियों के संग्रहण हेतु संस्थापित प्रणालियां अपूर्ण थीं । निर्यात की गई मदिरा के सत्यापन प्रतिवेदन, आसवनियों में स्पिरिट के न्यूनतम स्टॉक का संधारण, मदिरा के निर्यात, परिवहन, भण्डारण तथा विनिर्माण आदि के दौरान हानियां आदि जैसे अति महत्वपूर्ण क्षेत्रों में परिवीक्षण का अभाव था । आंतरिक लेखापरीक्षा भी, जो कि आंतरिक नियंत्रण कार्यविधि का एक महत्वपूर्ण अवयव है, लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर अनुवर्ती कार्रवाई

17 डियाजियों इण्डिया प्रायवेट लिमिटेड, मुम्बई, डियाजियों रेडिको डिस्टिलरीज प्रायवेट लिमिटेड, नई दिल्ली

के अभाव में निष्प्रभावी हो गया । इसके अतिरिक्त, विभाग बहुत से क्षेत्रों जैसे कि मदिरा के विनिर्माण तथा विक्रय हेतु लाइसेंस जारी करना, लाइसेंस फीस का संग्रहण, मदिरा/स्पिरिट के परिवहन तथा आयात पर फीस का संग्रहण आदि के संबंध में अधिनियम/नियमों के प्रावधानों तथा शासन द्वारा जारी अनुदेशों का पालन करने में असफल रहने के परिणामस्वरूप मदिरा पर आबकारी प्राप्तियों की सारभूत राशि की प्राप्ति नहीं हुई/कम प्राप्ति हुई ।

3.2.24 सिफारिशों का सारांश

प्रणाली तथा अनुपालन संबंधी मुद्दों में सुधार करने के लिए शासन द्वारा निम्नलिखित सिफारिशें लागू किए जाने पर विचार किया जा सकता है :

- सत्यापन प्रतिवेदनों की प्राप्ति के परिवीक्षण हेतु उपयुक्त अभिलेखों के संधारण तथा ऐसे प्रकरणों के प्रभावी नियंत्रण तथा परिवीक्षण के लिए आबकारी आयुक्त को प्रस्तुत किये जाने हेतु एक आवधिक विवरणी निर्धारित करना।
- विदेशी मदिरा के परिवहन के प्रकरणों में सत्यापन प्रतिवेदनों के प्रभावी परिवीक्षण हेतु उपयुक्त अभिलेखों तथा विवरणियों का संधारण निर्धारित करना । मदिरा के परिवहन से संबंधित सत्यापन प्रतिवेदन आबकारी आयुक्त को प्रस्तुत करने के लिए शासन द्वारा समय सीमा भी निर्धारित की जा सकती है ।
- मदिरा के परिवहन तथा निर्यात के दौरान हानियों के प्रभावी परिवीक्षण हेतु उपयुक्त अभिलेखों का संधारण निर्धारित करना । अमान्य हानियों पर आबकारी शुल्क की वसूली करने के लिए समय–सीमा तथा आबकारी आयुक्त स्तर पर परिवीक्षण हेतु आवधिक विवरणी भी निर्धारित की जा सकती है ।
- शास्ति के आरोपण हेतु अमान्य हानियों के प्रकरणों को सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करने के लिए समय–सीमा निर्धारित करना । मदिरा के निर्यात के दौरान हानियों के प्रभावी परिवीक्षण हेतु उपयुक्त अभिलेखों का संधारण तथा आवधिक विवरणियों की प्रस्तुति निर्धारित किए जाने पर भी शासन द्वारा विचार किया जा सकता है ।
- आबकारी आयुक्त द्वारा विदेशी मदिरा के स्टॉक के निवर्तन के प्रभावी नियंत्रण एवं परिवीक्षण हेतु आवधिक विवरणियों का प्रस्तुतीकरण निर्धारित करना ।
- लॉटरी प्रणाली के अंतर्गत चूककर्ताओं से मदिरा की दुकानों के पुनर्विक्रय के कारण हुई हानि की वसूली हेतु प्रावधान करना ।

अध्याय – 4 : वाहनों पर कर

4.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 2006–07 के दौरान वाहनों पर कर से सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना जांच में 1,938 प्रकरणों में 20.05 करोड़ रूपये के कर का अनिर्धारण तथा राजस्व की हांनियां प्रकट हुई, जिन्हें निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है :–

क्रम संख्या	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि (करोड़ रूपयों में)
1	परिवहन विभाग में कम्प्यूटरीकरण परियोजना (सूचना प्रौद्योगिकी समीक्षा)	01	0.39
2	लोक सेवा वाहनों पर वाहन कर, शास्ति एवं प्रशमन शुल्क का अनारोपण/कम आरोपण	964	4.43
3	माल वाहनों पर वाहन कर एवं शास्ति का अनारोपण/कम आरोपण	717	1.54
4	अन्य अनियमितताएं	256	13.69
	योग	**1938**	**20.05**

विभाग द्वारा 1,938 प्रकरणों में 20.05 करोड़ रूपये के अवनिर्धारण/हानि आदि को स्वीकार किया गया जिन्हें वर्ष 2006–07 के दौरान लेखापरीक्षा में इंगित किया गया था।

परिवहन विभाग में कम्प्यूटरीकरण परियोजना की सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा समीक्षा सहित 5.39 करोड़ रूपये की राशि से अंतर्निहित निष्कर्षों की विवेचना आगामी कंडिकाओं में की गई है।

4.2 परिवहन विभाग में कम्प्यूटरीकरण परियोजना

प्रमुख विशेषताएं

- परिवहन विभाग द्वारा स्मार्ट कार्डों में संग्रहीत आंकडों (जानकारी) को अद्यतन न किये जाने तथा संग्रहीत आंकडों (जानकारी) को पढ़ने के लिए आवश्यक हैंड हेल्ड टर्मिनलों को उपयोग में न लाये जाने के कारण, विभाग स्मार्ट कार्डों के उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रहा । स्मार्ट कार्डों में अपेक्षित सुरक्षात्मक विशिष्टियों का भी अभाव था ।

(कंडिका 4.2.6)

- सॉफ्टवेयर में अनुप्रयोग नियंत्रणों की कमी के परिणामस्वरूप, राजस्व के अपवंचन को रोकने का उद्देश्य अप्राप्त रहा ।

(कंडिका 4.2.7)

- अनुप्रयोग नियंत्रणों के अभाव के परिणामस्वरूप जाली बीमा कवर नोटों, दोहरे पंजीयन, चैसिस तथा इंजन संख्याओं के उपयोग को संसूचित नहीं किया जा सका । कूट रचित तथा जाली दस्तावेजों के उपयोग को रोकने का उद्देश्य अप्राप्त रहा ।

(कंडिका 4.2.8)

- आवश्यक नियंत्रणों के अभाव के परिणामस्वरूप काफी मात्रा में आंकड़ों (डाटा) के अशुद्ध, दोहरे तथा लुप्त हो जाने के कारण बहुत से प्रकरणों में कम्प्यूटर डाटाबेस अविश्वसनीय तथा अपूर्ण हो गया ।

(कंडिका 4.2.10.2)

- राज्य शासन विक्रेता के साथ संविदा करते समय अपने हितों की रक्षा करने में विफल रहा ।

(कंडिका 4.2.13)

4.2.1 प्रस्तावना

राज्य शासन द्वारा स्मार्ट कार्ड आधारित कम्प्यूटरीकरण परियोजना अक्टूबर 2001 में शासकीय राजस्व के अपवंचन को रोकने, मोटर वाहनों के संबंध में कूटरचित तथा जाली दस्तावेजों के उपयोग पर रोक लगाने; एक प्रबंधन सूचना पद्धति स्थापित करने तथा विभागीय क्रियाकलापों में कार्य कुशलता तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्यों के साथ प्रारम्भ की गई थी ।

कम्प्यूटरीकरण के कार्य हेतु अक्टूबर 2001 में मेसर्स स्मार्ट चिप लिमिटेड की सेवाएं साढ़े पांच वर्ष की अवधि के लिए निर्माण–अधिपत्य–संचालन(बिल्ड–ओन–ऑपरेट) के आधार पर ली गईं थीं। अप्रैल, 2005 में संविदा को एक अनुपूरक अनुबंध द्वारा निर्माण–अधिपत्य–संचालन–हस्तांतरण (विल्ड–ओन–ऑपरेट–ट्रांसफर) में परिवर्तित कर दिया गया था । संविदा की अवधि अब अगस्त 2007 में नयी निविदा के अंतर्गत विक्रेता के चयन होने तक बढा दी गई है ।

4.2.2 संगठनात्मक संरचना

परिवहन विभाग पूर्ण रूप से प्रमुख सचिव (परिवहन) के अधीन कार्य करता है। ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना तथा वाहनों पर कर/शुल्क/शास्ति का आरोपण एवं संग्रहण की प्रक्रिया का प्रशासनिक नियंत्रण एवं परिवीक्षण परिवहन आयुक्त (प.आ.) द्वारा किया जाता है जिसकी सहायता के लिये मुख्यालय स्तर पर तीन उप परिवहन आयुक्त (उ.प.आ.) एवं आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा एवं 9 क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (क्षे.प.अ.),11 अपर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (अ.क्षे.प.अ), 25 जिला परिवहन अधिकारी (जि.प.अ.) क्षेत्रीय स्तर पर होते हैं। कम्प्यूटरीकरण परियोजना उप परिवहन आयुक्त (क्रियान्वयन) के प्रभाराधीन है ।

4.2.3 लेखापरीक्षा का उद्देश्य

समीक्षा का उद्देश्य इस बात का मूल्यांकन करना था कि

- स्मार्ट कार्ड आधारित कम्प्यूटरीकरण परियोजना के उद्देश्य कहां तक प्राप्त हुए हैं;
- क्या सूचना प्रौद्योगिकी नियंत्रण परिवहन विभाग में संधारित डाटा की पूर्णता, विश्वसनीयता तथा गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त थे; तथा
- क्या वाह्य सेवा अभिकरण के साथ अनुबंध/संविदायें प्रभावी ढंग से संविन्यासित एवं व्यवस्थापित की गईं ।

4.2.4 लेखापरीक्षा का कार्य क्षेत्र तथा कार्यविधि

कार्यालय परिवहन आयुक्त, ग्वालियर तथा सात क्षेत्रीय कार्यालयों[1] में अवधि अक्टूबर 2001 (जब कम्प्यूटरीकरण परियोजना प्रारम्भ की गई थी) तथा मई 2007 के मध्य की अवधि से संबंधित अभिलेखों तथा सामान्य नियंत्रणों की संवीक्षा अप्रैल 2007 से मई 2007 तक की गई थी । हालांकि, डाटा विश्लेषण जनवरी 2007[2] तक के डाटा का किया गया था । ग्वालियर में स्थापित केन्द्रीय सर्वर में संग्रहीत डाटा तथा अनुप्रयोग नियंत्रणों का भी विश्लेषण किया गया था । डाटा विश्लेषण के परिणामों को क्षेत्रीय कार्यालयों में संधारित हस्तलिखित अभिलेखों के साथ भी प्रति सत्यापित किया गया था ।

4.2.5 अभिस्वीकृति

लेखापरीक्षा निष्कर्षों को जुलाई 2007 में शासन/विभाग को प्रतिवेदित किया गया था । समीक्षा के निष्कर्षों पर चर्चा करने के लिए लेखापरीक्षा समीक्षा समिति की बैठक अगस्त 2007 में आयोजित की गई थी । विभाग का प्रतिनिधित्व परिवहन आयुक्त द्वारा किया गया जबकि प्रधान सचिव, परिवहन विभाग ने शासन का प्रतिनिधित्व किया । उन्होंने अधिकांश लेखापरीक्षा निष्कर्षों तथा अनुशंसाओं को स्वीकार किया और उनके उत्तरों को समीक्षा में सम्मिलित किया गया है ।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

प्रणाली में कमियां

4.2.6 स्मार्ट कार्ड जारी करने के उद्देश्य अप्राप्त रहे

4.2.6.1 कम्प्यूटरीकरण परियोजना के अनुसार, ड्राईविंग लाइसेंस तथा पंजीयन प्रमाणपत्र स्मार्ट कार्डों पर जारी किये जाने थे । स्मार्ट कार्ड पॉकेट साइज का एक प्लास्टिक कार्ड होता है जिसमें एक कम्प्यूटर चिप लगी होती है। कम्प्यूटर चिप में संग्रहीत जानकारी को पढ़ने तथा चालान बनाने के लिए एक विशेष हस्त धारित टर्मिनल (उपकरण) की आवश्यकता होती है ।

लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि लेखापरीक्षा किये गये 7 कार्यालयों में से किसी भी कार्यालय द्वारा क्रियान्वयन स्टाफ को हस्त धारित उपकरण (एच.एच.टी.) वितरित नहीं किये गये थे तथा

1 क्षे.प.का. : ग्वालियर तथा भोपाल; अ.क्षे.प.काः धार, छतरपुर, कटनी तथा शहडोल और जि.प.का. शाजापुर

2 डाटा प्रविष्टि जनवरी 2007 तक की गई थी । फरवरी 2007 के लिए यह प्रगति पर थी ।

उपकरण क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में अप्रयुक्त पड़े हुए थे । एच.एच.टी. के अभाव में, क्रियान्वयन स्टाफ द्वारा स्मार्ट कार्डों में संग्रहीत महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि अद्यतन कर, अनुज्ञापत्र तथा उपयुक्तता की स्थिति के संबंध में जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकी और न ही मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत किये गये अपराधों के प्रकरण में चालान जारी किये जा सके । आगे यह भी देखा गया कि अधिकांश प्रकरणों में व्यवसायिक वाहनों के स्मार्ट कार्डों में अद्यतन कर, अनुज्ञापत्र तथा उपयुक्ता संबंधी विवरणों को नियमित रूप से अद्यतन नहीं किया जा रहा था । एच.एच.टी. का उपयोग करने तथा स्मार्ट कार्डों में कर/उपयुक्तता/अनुज्ञापत्र संबंधी विवरणों को नियमित रूप से अद्यतन करने में विफलता के परिणामस्वरूप स्मार्ट कार्ड केवल प्लास्टिक कार्ड बनकर रह गये और इस प्रकार स्मार्ट कार्ड आधारित कम्प्यूटरीकरण परियोजना के उद्देश्य विफल हो गये । एच.एच.टी. को उपयोग में न लाये जाने के कारण, कम्प्यूटरीकरण परियोजना के उद्देश्य[3], जैसे कि क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों के स्थानीय सर्वर के साथ इन टर्मिनलों (उपकरणों) की नेटवर्किंग करना तथा हॉट लिस्ट बनाना आदि भी प्राप्त नहीं किये जा सके । इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में 92.9 लाख रूपये मूल्य के एच.एच.टी. उपकरण अप्रयुक्त पड़े हुए थे ।

शासन ने एच.एच.टी. उपकरणों का उपयोग न किये जाने तथा स्मार्ट कार्डों में संग्रहीत डाटा को अद्यतन न किये जाने संबंधी लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (अगस्त 2007)। शासन ने उत्तर दिया कि स्मार्ट कार्डों को नियमित रूप से अद्यतन करना व्यवहारिक नहीं था क्योंकि कर भुगतान के समय वाहन स्वामी उन्हें क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में नहीं लाते थे । एच.एच.टी. उपकरणों को उपयोग में न लाये जाने के कारणों में, विक्रेता द्वारा उनकी आपूर्ति में विलंब, क्षेत्रीय स्टाफ को प्रशिक्षण का अभाव तथा स्मार्ट कार्ड़ के विशेष विवरणों में बहुधा होने वाले परिवर्तनों का उल्लेख किया गया ।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि जब तक स्मार्ट कार्डों मे अद्यतन डाटा प्रविष्ट नहीं किया जाता है और उन्हें क्रियान्वयन स्टाफ को उपलब्ध नहीं कराया जाता है तब तक उनसे किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी । शासन द्वारा एच.एच.टी. उपकरणों के उपयोग तथा स्मार्ट कार्डों के नियमित अद्यतन को सुनिश्चित करने के लिए एक प्रणाली निर्मित की जा सकती है ।

3 एच.एच.टी. उपकरणों की नेटवर्किंग का उद्देश्य क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के स्थानीय सर्वर पर वाहन चालन के अपराधों संबंधी डाटा को दैनिक रूप से अद्यतन करना था । हॉट लिस्ट बनाने का उद्देश्य उन प्रकरणों में ड्राईविंग लाइसेंस अथवा पंजीयन प्रमाणपत्र को पुनः जारी करने से रोकना था जिनमें संबंधित को परिवहन विभाग द्वारा परिबद्ध किया जा चुका था ।

4.2.6..2 स्मार्ट कार्डों पर सुरक्षात्मक विशिष्टियों का न होना

केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989[4] के अनुसार, ड्राइविंग लाइसेंस स्मार्ट कार्डों में सुरक्षात्मक विशिष्टियों में काल्पनिक मुखाकृति (घोष्ट इमेज) तथा/अथवा होलोग्राम बनाया जाना था । लेखापरीक्षा में यह अवलोकित किया गया कि स्मार्ट कार्ड केन्द्रों से जारी किंये जा रहे स्मार्ट कार्डों में उपरोक्त दो सुरक्षात्मक विशिष्टियों में से एक भी विशिष्टि विद्यमान नहीं थी । साथ ही, स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस की प्रमाणिकता को स्थापित करने हेतु स्मार्ट कार्ड पर गोपनीय संख्या को पढ़ने के लिए विक्रेता द्वारा 400 अल्ट्रा वायलेट लैम्पों की आपूर्ति भी की जानी थी । यह पाया गया कि न तो स्मार्ट कार्डों पर गोपनीय संख्यायें मुद्रित की गई थीं और न ही विक्रेता द्वारा अल्ट्रा वायलेट लैम्पों की आपूर्ति की गई । स्मार्ट कार्डों पर उक्त वर्णित सुरक्षात्मक विशिष्टियों के अभाव में, क्रियान्वयन स्टाफ (चैक पोस्टों/उड़न दस्तों) द्वारा जांच करते समय उनको प्रस्तुत किसी ड्राइविंग लाइसेंस की प्रमाणिकता को स्थापित करना संभव नहीं है ।

शासन ने उत्तर दिया (सितम्बर 2007) कि अल्ट्रा बायलेट लैम्पों की आपूर्ति न करने के लिए विक्रेता को दण्डित करने हेतु कार्रवाई की जाएगी तथा शास्ति की राशि विक्रेता को किये जाने वाले अंतिम भुगतानों से काट ली जाएगी । सुरक्षात्मक विशिष्टियों के संबंध में शासन ने उत्तर दिया कि केन्द्रीय मोटरयान नियमावली में संशोधन हेतु सुझाव दिया जाएगा क्योंकि केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी एस.सी.ओ.एस.टी.ए.[5] की विशिष्टियों में होलोग्राम तथा काल्पनिक मुखाकृति एच्छिक विशिष्टियां हैं ।

4.2.7 राजस्व के अपवंचन को रोकने का उद्देश्य अप्राप्त रहा

राजस्व का अपवंचन सॉफ्टवेयर में पर्याप्त अनुप्रयोग नियंत्रणों को समाविष्ट कर रोका जा सकता है। **लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि सॉफ्टवेयर में, कर/शुल्क/शास्ति की गलत राशि जमा हो जाने की स्थिति में लेनदेन को अस्वीकार करने जैसे आवश्यक नियंत्रण संस्थापित नहीं किये गये थे।** कर/शुल्क/शास्ति वसूली की प्रक्रिया हस्तलिखित रूप से किये जाने के बाद कम्प्यूटरीकरण को केवल डाटा प्रविष्टि के साधन के रूप में प्रयोग किया जा रहा था । डाटा विश्लेषण के दौरान शुल्क/शास्ति के अनारोपण/कम आरोपण के बहुत से प्रकरण दृष्टिगत हुए जिनसे सॉफ्टवेयर में पर्याप्त अनुप्रयोग नियंत्रणों को संस्थापित कर बचा जा सकता था । ऐसे कुछ प्रकरणों का उल्लेख निम्नलिखित कंडिकाओं में किया गया है :

4 प्रारूप–7 के नीचे टिप्पणी [नियम 16(2)]

5 परिवहन अनुप्रयोग हेतु स्मार्ट कार्ड प्रचालन पद्धति (एस.सी.ओ.एस.टी..ए.)

4.2.7.1 विशेष शुल्क के आरोपण के बिना वाहनों को आरक्षित पंजीयन संख्याओं के आवंटन के कारण राजस्व की हानि

मध्य प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1994 के नियम 55 (क) के अनुसार, पंजीयन प्राधिकारी केवल विशेष शुल्क के भुगतान के पश्चात किसी वाहन को किसी श्रंखला की आरक्षित पंजीयन संख्याओं को आवंटित करेगा । उदाहरण के लिए, 1 से 9 तक की पंजीयन संख्याओं का आवंटन 15000 रूपये के विशेष शुल्क पर किया जाता है तथा 10 से 100 तक की संख्याओं का आवंटन 12,000 रूपये के विशेष शुल्क पर किया जाता है ।

मुख्य डाटाबेस से लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये गये डाटा के विश्लेषण से पता चला कि अपर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, छतरपुर में 15 फरवरी[6] 2001 तथा सितम्बर 2003 के मध्य वाहन स्वामियों से विशेष शुल्क की वसूली किये बगैर 177 वाहनों को आरक्षित पंजीयन संख्याओं का आवंटन किया गया । इसके परिणामस्वरूप 21.60 लाख रूपये के राजस्व की हानि हुई । अपर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, छतरपुर के अभिलेखों की वास्तविक नमूना जांच द्वारा डाटा विश्लेषण के परिणामों की पुष्टि की गई ।

4.2.7.2 वाहन कर के विलंबित भुगतान पर शास्ति का अनारोपण

मध्य प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 की धारा 13 के अनुसार, यदि वाहन स्वामी द्वारा देय कर का भुगतान निर्धारित अवधि अर्थात माल वाहन के संबंध में तिमाही की समाप्ति के पश्चात माह की 15 तारीख, के भीतर नहीं किया जाता है तो वाहन स्वामी कर की भुगतान न की गई राशि पर 4 प्रतिशत प्रति माह की दर से शास्ति के भुगतान का दायी होगा ।

डाटा के विश्लेषण में पता चला कि माल वाहनों[7] के ऐसे 8,422 प्रकरणों में, जिनमें वाहन कर का भुगतान 16 जनवरी 2006 अथवा 16 अक्टूबर 2006 को किया गया था, शास्ति प्रभारित नहीं की गई । इसके परिणामस्वरूप 14.16 लाख रूपये की शास्ति की वसूली नहीं हुई । क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, मुरैना के अभिलेखों की वास्तविक नमूना जांच द्वारा डाटा विश्लेषण के परिणामों की पुष्टि की गई । यह देखा गया कि 88 में से किसी भी प्रकरण में, जिनमें कर का भुगतान 15 जनवरी अथवा अक्टूबर की नियत तिथि के पश्चात अर्थात 16 जनवरी 2006 अथवा 16 अक्टूबर 2006 को किया गया था, शास्ति आरोपित नहीं की गई थी ।

6 दिनांक जिससे विशेष पंजीयन शुल्क आरोपित किया जाना था ।

7 16,200 कि.ग्रा. तथा 25,000 कि.ग्रा. के पंजीकृत लदान भार (आर.एल.डब्ल्यू) के साथ ।

4.2.7.3 अस्थायी अनुज्ञापत्र शुल्क का कम आरोपण

परिवहन विभाग ने अपनी अधिसूचना दिनांक 19 जनवरी 2006 में मोटरयान अधिनियम की धारा 87(i)(ख) तथा (ग) के अंतर्गत परिवहन वाहनों को प्रदान किये गये अस्थायी अनुज्ञापत्रों के संबंध में शुल्क की दर 500 रूपये से बढ़ाकर 750 रूपये कर दी थी ।

मुख्य सर्वर से उपलब्ध कराये गए डाटा विश्लेषण से पता चला कि 18 कार्यालयों[8] में 1,098 माल वाहनों तथा लोक सेवा वाहनों के स्वामियों ने 19.01.2006 के पश्चात 500 रूपये की दर से अस्थायी अनुज्ञापत्र शुल्क जमा किया था । इसके परिणामस्वरूप 2.74 लाख रूपये का कम आरोपण हुआ । क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, सागर के अभिलेखों की वास्तविक नमूना जांच द्वारा डाटा विश्लेषण के परिणामों की पुष्टि की गई । लेखापरीक्षा को प्रस्तुत की गई 71 फाइलों की संवीक्षा में सभी 71 प्रकरणों में अस्थायी अनुज्ञापत्र शुल्क के कम आरोपण की पुष्टि हुई । यह इंगित करता है कि कि शुल्क/शास्ति के सही आरोपण को सुनिश्चित करने के लिये सॉफ्टवेयर में पर्याप्त अनुप्रयोग नियंत्रणों को समाविष्ट नहीं किया गया था।

प्रकरणों को इंगित किये जाने पर, राज्य शासन द्वारा लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया गया (अगस्त 2007) यह बताया गया कि वसूली की कार्रवाई प्रारम्भ की जा रही थी तथा कर, शुल्क तथा शास्ति के सही आरोपण को सुनिश्चित करने के लिए सॉफ्टवेयर में पर्याप्त नियंत्रणों को समाविष्ट किया जाएगा ।

शासन यह सुनिश्चित करने पर विचार कर सकता है कि लेन देनों में पारदर्शिता लाने के लिए कम्प्यूटर प्रणाली के माध्यम से कर, शास्ति तथा शुल्क की गणना की जाए । कोई लेनदेन पूर्ण होने से पूर्व शुल्क/कर/शास्ति की सही राशि की वसूली सुनिश्चित करने के लिए सॉफ्टवेयर में आवश्यक नियंत्रणों को समाविष्ट किया जाना चाहिए ।

4.2.7.4 लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि लेखापरीक्षा किये गये सात कार्यालयों में से किसी भी कार्यालय में विभागीय चालानों का कोषालयों के साथ मिलान करने हेतु सॉफ्टवेयर माडयूल कार्यान्वयित नहीं किया गया । इस प्रकार जाली चालानों की पहचान कर माडयूल द्वारा समाधान के माध्यम से राजस्व की हानि कम करने का उद्देश्य अप्राप्त रहा ।

8 भोपाल, छतरपुर, छिंदवाड़ा, देवास, गुना, होशंगाबाद, इन्दौर, जबलपुर, खण्डवा, मुरैना, रीवा, सागर, सतना, सिवनी, शिवपुरी, सीधी, उज्जैन तथा विदिशा

4.2.8 कूटरचित तथा जाली दस्तावेजों का उपयोग रोकने का उद्देश्य

4.2.8.1 जाली बीमा कवर नोटों के उपयोग का पता न लगाना

पंजीयन, वाहन के स्वामित्व का हस्तांतरण, दोबारा पंजीयन प्रमाणपत्र आदि के लिये आवेदन पत्र के साथ एक वैध बीमा प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना वांछित है ।

लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये गये डाटा विश्लेषण में राज्य में दोहरे बीमा कवर नोट संख्याओं के 3,88,501 प्रकरणों का पता चला जिससे यह संकेत मिलता है कि उक्त वर्णित उद्देश्यों हेतु दो या अधिक वाहनों द्वारा एक बीमा कवर नोट (आई.सी.एन.) का अवैध रूप से उपयोग किया गया था ।

क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, मुरैना के वास्तविक अभिलेखों के साथ डाटा विश्लेषण के परिणामों का प्रति सत्यापन किया गया । लेखापरीक्षा को प्रस्तुत की गई 44 फाइलों की नमूना जांच में वाहन स्वामियों द्वारा जाली बीमा कवर नोटों का प्रयोग किये जाने की पुष्टि हुई । परिवहन प्राधिकारियों ने आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत बीमा कवर नोट की वैधता का सत्यापन नहीं किया। **इसके अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी विशेष वाहन के लिए दाखिल किए गए बीमा कवर को अन्य वैसे ही वाहनों के लिए पुनः उपयोग नहीं किया गया था, सॉफ्टवेयर में किसी वैधता जांच[9] को समाविष्ट नहीं किया गया था ।**

4.2.8.2 दोहरे पंजीयन, चैसिस तथा इंजन संख्याओं का पता न लगाना

चैसिस तथा इंजन संख्यायें किसी वाहन की अद्वितीय पहचान चिन्ह होती हैं जो मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों तथा उसके अधीन निर्मित नियमों के अंतर्गत वाहन के पंजीयन के लिए आवश्यक हैं । परिवहन विभाग द्वारा लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये गये वाहनों के आंकडों के विश्लेषण से दोहरी चैसिस तथा इंजन संख्याओं के क्रमशः 39,473[10] तथा 22,165[11] प्रकरणों का पता चला जो एक वाहन के कई बार पंजीयन होने का संकेत देता है । एक ही वाहन के ऐसे दोहरे पंजीयन होना न केवल अवैध है बल्कि इसमें इसी प्रकार के अवैध/चोरी के वाहनों का संचालन किये जाने तथा अस्तित्वहीन वाहनों का चोरी हो जाना घोषित कर बीमा संबंधी अनियमितताओं के किये जाने का खतरा है ।

9 यदि बीमा कवर नोट (आई.सी.एन) क्षेत्र सॉफ्टवेयर में एक अद्वितीय क्षेत्र बनाया गया होता तो कम्प्यूटर प्रणाली आई.सी. एन. को स्वीकार नहीं करती ।

10 16,584 वाहनों (चैसिस संख्याओं) को 39,473 पंजीयन संख्याएं दिया जाना पाया गया ।

11 10,527 वाहनों (इंजन संख्याओं) को 22,165 पंजीयन संख्याएं दिया जाना पाया गया ।

इसके अतिरिक्त, ऐसे 2,990 प्रकरण पाये गये जिनमें दो अथवा अधिक वाहनों (चैसिस) को एक ही पंजीयन संख्या प्रदान की गई थी । यह पाया गया कि 6,005 वाहनों को 2,990 पंजीयन संख्यायें प्रदान की गई थीं । परिवहन विभाग द्वारा प्रकरण की गहराई से जांच किये जाने की आवश्यकता है ।

लेखापरीक्षा आपत्ति को शासन द्वारा स्वीकार किया गया (सितम्बर 2007)। यह बताया गया कि जाली दस्तावेजों के प्रयोग को रोकने के लिए सॉफ्टवेयर में आवश्यक अनुप्रयोग नियंत्रणों को समाविष्ट कर वांछित संशोधन किया जा रहा था । जाली बीमा कवर नोटों के उपयोग के लिए मुरैना जिले में एक प्रथम सूचना प्रतिवेदन भी दर्ज कराया जा रहा था ।

4.2.9 ड्राइविंग लाइसेंस/पंजीयन प्रमाणपत्र को जारी करने से पूर्व ड्राइविंग टेस्ट/उपयुक्तता की जांच करने का उद्देश्य अप्राप्त रहा

4.2.9.1 कम्प्यूटरीकरण परियोजना के कथित उद्देश्यों में से एक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि आवेदक ड्राइविंग लाइसेंस जारी किये जाने के पूर्व मोटरयान अधिनियम तथा नियमों के अंतर्गत प्रयोज्य ड्राइविंग टेस्ट को आदेशात्मक शर्त के रूप में उत्तीर्ण करते हैं ।

क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, ग्वालियर के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि सितम्बर 2006 से मार्च 2007 के दौरान ड्राइविंग लाइसेंस बोर्ड द्वारा उत्तीर्ण किये गये मात्र 1,909 आवेदकों के विरूद्व 10,063 ड्राइविंग लाइसेंस जारी किये गये । अतः स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने से पूर्व ड्राइविंग टेस्ट उत्तीर्ण किए जाने को सुनिश्चित करने का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा रहा था । यह भी देखा गया कि ड्राइविंग टैस्ट के आवश्यक विवरण जैसे कि ड्राइविंग टैस्ट का दिनांक तथा उस वाहन की पंजीयन संख्या जिस पर ड्राइविंग टैस्ट लिया गया, कम्प्यूटर प्रणाली में उपलब्ध नहीं थी । विक्रेता द्वारा विकसित किये गये सॉफ्टवेयर में इन विवरणों की प्रविष्टि किये जाने की व्यवस्था नहीं थी। इसके अतिरिक्त, स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के 17.82 लाख प्रकरणों (73 प्रतिशत) में उस प्राधिकारी का नाम तथा पदनाम, जिसके द्वारा ड्राइविंग टैस्ट संचालित किया गया, दर्ज नहीं किया गया था । **सॉफ्टवेयर में ऐसे नियंत्रणों के अभाव के कारण, यह यथोचित रूप से सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि लाइसेंस जारी करने से पूर्व ड्राइविंग टैस्ट वास्तव में संचालित किये जा रहे थे ।**

4.2.9.2 सभी परिवहन वाहनों के पंजीयन के समय उपयुक्तता प्रमाणपत्र का होना अनिवार्य है । कम्प्यूटरीकरण परियोजना के उद्देश्यों में से एक यह भी था। अक्टूबर 2006 तक परिवहन विभाग द्वारा उपयुक्तता प्रमाणपत्र मॉडयूल विकसित एवं क्रियान्वयित न किये जाने के कारण परियोजना के प्रथम पांच वर्षों तक यह उद्देश्य अप्राप्त रहा । इसके अतिरिक्त, पंजीयन से पूर्व किसी वाहन की उपयुक्तता की जांच करने हेतु उपयुक्तता तथा पंजीयन मॉडयूलों में नियंत्रणों को समाविष्ट नहीं किया गया था ।

उपयुक्ता प्रमाणपत्रों से संबंधित आंकडों के विश्लेषण से पता चला कि राज्य में अक्टूबर[12] 2006 के पश्चात पंजीकृत किये गये 8,072 परिवहन वाहनों में से 5,571 वाहनों के उपयुक्तता प्रमाणपत्र संबंधी विवरण कम्प्यूटर में दर्ज नहीं थे ।

लेखापरीक्षा आपत्तियों को विभाग द्वारा स्वीकार किया गया (सितम्बर 2007) तथा यह बताया गया कि आवश्यक अनुप्रयोग नियंत्रणों का समावेश कर सॉफ्टवेयर को वांछित रूप से परिवर्तित किया जाएगा । **जाली दस्तावेजों के उपयोग को रोकने तथा डाटा की विश्वसनीयता तथा उपयोगिता को सुनिश्चित करने के लिए शासन द्वारा अनुप्रयोग नियंत्रणों को सशक्त बनाने पर विचार किया जा सकता है ।**

4.2.10 एक प्रभावी एम.आई.एस. प्रणाली क्रियान्वयित किये जाने का उद्देश्य

4.2.10.1 कम्प्यूटरीकरण परियोजना के उद्देश्यों में से एक बेहतर परिवीक्षण एवं मूल्यांकन तथा राजस्व के अपवंचन को रोकने के लिए एम.आई.एस. प्रतिवेदनों को उत्पन्न करना था ।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि मई 2006 अर्थात परियोजना के चार वर्षों से अधिक समय तक विक्रेता द्वारा परिवहन विभाग को वांछित एम.आई.एस. प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराये गये । एक लेखापरीक्षा प्रश्न के प्रत्युत्तर में सात क्षेत्रीय कार्यालयों में से पांच[13] ने प्रतिवेदित किया कि उनके द्वारा एम.आई. एस. प्रतिवेदनों का उपयोग नहीं किया जा रहा था । यह भी देखा गया कि महत्वपूर्ण प्रतिवेदन जैसे कि मांग एवं वसूली पंजी, उन व्यवसायिक वाहनों की सूची जिन्होंने कर भुगतान में चूक की है, लेखापरीक्षा किये गये सात कार्यालयों में से किसी में भी उत्पन्न नहीं किए जा रहे थे ।

शासन ने बताया (सितम्बर 2007) कि नई विचाराधीन संविदा में क्षेत्रीय कार्यालयों में कम्प्यूटरों की पर्याप्त संख्या के साथ प्रभावी एम.आई.एस. प्रणाली को सुनिश्चित किया जाएगा ।

4.2.10.2 मुख्य डाटाबेस के डाटा विश्लेषण में पता चला कि अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर बहुत सी अपूर्णताओं तथा वैधीकरण अपर्याप्तताओं से परिपूर्ण था । बहुत से इनपुट नियंत्रण या तो गायब थे या परिवहन विभाग में संधारित डाटा की विश्वसनीयता तथा उपयोगिता को सुनिश्चित करने के लिए अपर्याप्त थे । **आवश्यक नियंत्रणों की कमी के परिणामस्वरूप बहुत सा डाटा अशुद्ध, दोहरा तथा लुप्त हो जाने के कारण बहुत से प्रकरणों में कम्प्यूटर डाटाबेस अविश्वसनीय तथा अपूर्ण हो गया था ।** डाटा विश्लेषण के दौरान, अवलोकित की गई नियंत्रण अक्षमताओं के मॉडयूलवार उदाहरण नीचे दर्शाये गए हैं :

12 माह जिसमें उपयुक्तता प्रमाण पत्र मांडयूल प्रारम्भ किया गया ।

13 क्षे.प.का. भोपाल, अ.क्षे.प.का धार, कटनी एवं शहडोल तथा जि.प.का. शाजापुर

अनिवार्य क्षेत्र	लुप्त अभिलेखों की संख्या	बेकार / अनुपयोगी डाटा	प्रतिलिपिक अभिलेख
वाहन डाटाबेस (कुल अभिलेख : 20,43,804)			
पुंज्रीयन संख्या	44	2,265	6,005
बीमा कवर नोट संख्या	5,88,773	1,14,967	3,88,501
चैसिस संख्या	261		39,473
इंजन संख्या	234		22,165
वाहन का मूल्य	4,472	3,94,514	
पैन संख्या[14] (स्थायी लेखा संख्या)	17,76,990	3,255	
वाहन स्वामी की आय	17,80,377		
उपयुक्तता प्रमाणपत्र मॉडयूल (कुल अभिलेख : 49,325)			
उपयुक्तता परीक्षण प्राधिकारी	40,960		
उपयुक्तता परीक्षण का दिनांक	41,224		
अनापत्ति प्रमाणपत्र (एन.ओ.सी.) मॉडयूल (कुल अभिलेख : 41,204)			
स्थान जिसके लिए अनापत्ति प्रभावशील होने का दिनांक	9,914		
अनापत्ति प्रमाणपत्र के प्रभावशील होने का दिनांक	9,912		
अनापत्ति प्रमाण पत्र संख्या	2,013		27,478
अस्थायी अनुज्ञापत्र डाटाबेस (पी.एस.वी.) (कुल अभिलेख : 53,362)			
मार्ग की दूरी	28,647	2,263	
अनुज्ञापत्र संख्या	1,490		13,095
वाहन प्राप्ति मॉडयूल (कुल अभिलेख : 27,02,813)			
प्राप्ति संख्या	63		7,333
लाइसेंस प्राप्ति मॉडयूल (कुल अभिलेख : 16,75,794)			
प्राप्ति संख्या	193		3,48,923

[14] 31.05.2002 के बाद पंजीकृत किए गये वाहनों के लिए

शिक्षणार्थी लाइसेंस मॉडयूल (कुल अभिलेख : 13,83,740)			
आवेदक का लिंग	13,83,740		
लाइसेंस संख्या	14,629		250
स्थायी लाइसेंस मॉडयूल (कुल अभिलेख : 12,97,465)			
आवेदक का लिंग	12,97,465		
लाइसेंस संख्या	74		191

लेखापरीक्षा आपत्तियों को शासन द्वारा स्वीकार किया गया तथा यह बताया गया कि सॉफ्टवेयर में पर्याप्त अनुप्रयोग नियंत्रण संस्थापित किये जाएंगे ।

अन्य कमियां

4.2.11 प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने के लिए अपर्याप्त तैयारी

4.2.11.1 यह आवश्यक है कि कम्प्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर तथा डाटा पूर्ण रूप से अग्नि सुरक्षा संबंधी उपायों को अपनाते हुए रखा जाना चाहिये । लेखापरीक्षा के दौरान, अग्नि सुरक्षा उपाय अपर्याप्त पाये गये क्योंकि लेखापरीक्षा किये गये सात कार्यालयों में से किसी में भी अग्निशमक यंत्र, फायर अलार्म तथा धूम्र संसूचक प्रणालियां नहीं पाई गईं ।

राज्य शासन ने बताया (सितम्बर 2007) कि नई विचाराधीन संविदा में अग्नि सुरक्षा संबंधी उपायों को सुनिश्चित किया जाएगा ।

4.2.11.2 यह देखा गया कि किसी आपदा की स्थिति में विभागीय क्रियाकलापों को जारी रखने के लिए विभाग के पास कोई औपचारिक कार्य निरन्तरता तथा आपदा प्रबंधन योजना नहीं थी । विभाग की कोई औपचारिक समर्थन नीति भी नहीं थी । लेखापरीक्षा किये गये सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में, डाटा के बैकअप को किसी बाह्य माध्यम पर नहीं लिया जा रहा था जिससे इसे अग्नि से सुरक्षित किसी अन्य स्थान पर संग्रहीत किया जा सके तथा आवश्यकता पड़ने पर तत्काल उपलब्ध हो सके । डाटा को क्षति पहुंचने की स्थिति में, क्षेत्रीय कार्यालय ग्वालियर में स्थापित मुख्य सर्वर में संग्रहीत बैक अप डाटा पर निर्भर थे। यह भी देखा गया कि क्षेत्रीय कार्यालयों (विशेष तौर पर बड़े कार्यालयों) में बैक अप/स्टैंडवाई (सहायक) सर्वर संस्थापित नहीं किए गये थे जिससे किसी त्रुटि अथवा दुर्घटना के कारण सर्वर के असफल होने की स्थिति में कार्य को तत्काल फिर से प्रारम्भ किया जा सके ।

इस प्रकार किसी आपदा की स्थिति में कम्प्यूटर प्रणाली के बंद हो जाने पर परिवहन कार्यालयों में कार्य में व्यवधान होने की संभावना थी ।

उपरोक्त प्रकरणों को इंगित किए जाने के बाद, शासन ने सितम्बर 2006 में इस तथ्य को स्वीकार किया कि प्रोग्राम में कुछ कमियां पाई गई थी तथा बताया कि अब एक अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त परामर्शदाता की सेवाएं ली गई हैं तथा लेखापरीक्षा द्वारा पाई गई सभी कमियों को सुधारा जाएगा ।

4.2.12 उचित प्रलेखीकरण तथा प्रणालीगत विकास नियंत्रणों का अभाव

4.2.12.1 किसी कम्प्यूटर प्रणाली को विकसित करने से पूर्व, उपयोगकर्ता मांग संबंधी विशेष विवरण (यू.आर.एस) तथा सॉफ्टवेयर मांग संबंधी विशेष विवरण (एस.आर.एस.) जो विकसित की जाने वाली प्रणाली को पूर्ण रूप से वर्णित करता है, उच्चतर प्रबंधन द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिये जिससे विक्रेता संगठन की आवश्यकताओं को समझ सके । चूंकि कार्य " निर्माण–स्वामित्व–संचालन–हस्तांतरण" (बूट) संविदा के अंतर्गत बाह्य अभिकरण से कराया गया है, अतः प्रलेखीकरण जैसे कि यू.आर.एस., एस.आर.एस., विस्तृत डिजायन, डाटा प्रवाह रेखाचित्र, तिथि शब्दकोष, तालिकाओं के बीच संबंध इत्यादि परिवहन विभाग की कम्प्यूटर प्रणाली की निरंतरता के लिए निर्णायक है । अनुगामी विक्रेता, जिसे संविदा प्रदान की जाती है, के द्वारा उचित प्रलेखीकरण किया जाना आवश्यक है ताकि वह वर्तमान अनुप्रयोग को समझ कर अपने कार्यों का प्रभावशाली ढंग से निर्वहन कर सके । लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि विभाग के पास विक्रेता द्वारा विकसित लाइसेंस, पंजीयन, अनुज्ञापत्र, कर, उपयुक्तता तथा एन.ओ.सी. मॉडयूल्स का कोई उचित लिखित एवं प्रमाणीकृत प्रलेखीकरण नहीं था ।

राज्य शासन ने उत्तर में बताया (सितम्बर 2007) कि विक्रेता को संविदा अवधि की समाप्ति के पूर्व प्रलेखीकरण को पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया गया था ।

4.2.12.2 विक्रेता द्वारा विकसित किये गये माडयूल्स का क्षेत्रीय कार्यालयों में क्रियान्वयन किये जाने से पूर्व परीक्षण करने तथा औपचारिक रूप से स्वीकार करने के लिए कोई प्रणाली परिवहन विभाग में नहीं थी। साथ ही सॉफ्टवेयर में परिवर्तन करने के लिए कोई परिवर्तन प्रबंधन नीति अथवा स्वीकार्य औपचारिक प्रक्रिया नहीं थी । विक्रेता द्वारा सॉफ्टवेयर में किये जाने वाले परिवर्तनों को विभाग द्वारा औपचारिक रूप से प्राधिकृत नहीं किया गया था । अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर में किये गये परिवर्तनों का रिकॉर्ड भी संधारित नहीं किया जा रहा था । यह अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर के विकास के प्रति परिवहन विभाग का तदर्थ उपागमन तथा सन्निहित न होना दर्शाता है ।

उपरोक्त प्रकरणों को इंगित किए जाने के बाद, शासन ने सितम्बर 2007 में इस तथ्य को स्वीकार किया कि प्रोग्राम में कुछ कमियां पाई गईं थी तथा बताया कि अब एक अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त परामर्शदाता की सेवाएं ली गईं हैं तथा लेखापरीक्षा द्वारा पाई गई सभी कमियों को सुधारा जाएगा ।

4.2.13 संविदा प्रबंधन

मुख्य तथा अनुपूरक अनुबंधों की विषय–वस्तु तथा उनके क्रियान्वयन की संवीक्षा में गंभीर चूकों का पता चला जिनकी विवेचना आगामी कंडिकाओं में की गई है ।

4.2.13.1 विक्रेता का अनुचित पक्षपात

मुख्य अनुबंध (अक्टूबर 2001) की संवीक्षा में पता चला कि विक्रेता द्वारा संविदात्मक दायित्वों में चूक किये जाने की स्थिति में राज्य शासन के हितों की रक्षा करने के लिए संविदा में परिशोधित हानियों के संबंध में कोई खण्ड नहीं जोड़ा गया था । निविदा दस्तावेज में परिशोधित हानियों का उल्लेख होने तथा मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा दाण्डिक खण्ड को शामिल करने की अनुशंसा (जून 2001) के बावजूद भी, शासन मुख्य अनुबंध में उक्त खण्ड को शामिल करने में विफल रहा । शासन द्वारा नियुक्त की गई समिति द्वारा जून 2004 में यह पाया गया कि निष्पादन गारंटी तथा निविदाकृत दस्तावेजों के विवाचन खण्डों को संविदा करते समय विक्रेता के पक्ष में परिवर्तित किया गया था । इसके अतिरिक्त, निविदा दस्तावेज में सम्मिलित किया गया देयता खण्ड परिवहन विभाग को, विक्रेता द्वारा विफलता के कारण संविदा समाप्त होने की स्थिति में सफल बोली लगाने वाले के जोखिम तथा लागत पर परियोजना को पूर्ण करने की शक्तियां प्रदान करता था । इस खण्ड को संविदा में सम्मिलित नहीं किया गया । संविदा की शर्तों के अनुसार, विक्रेता की सतत विफलता के कारण संविदा समाप्त होने की स्थिति में भी शासन को विक्रेता से सभी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, स्मार्ट कार्ड इत्यादि संविदा के अंतर्गत निर्धारित किये गये मूल्य पर प्राप्त करना थे ।

'स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क तथा 'संविदा की अवधि' से संबंधित संविदा की शर्तें संक्षिप्त तथा निश्चित न होने के कारण उनमें संदिग्धता तथा अपनिर्वचन की पर्याप्त संभावना थी । संविदात्मक दायित्वों के संबंध में विक्रेता के निष्पादन का नियतकालिक रूप से मूल्यांकन करने के उद्देश्य से संविदा के अंतर्गत विभिन्न क्रियाकलापों को पूर्ण करने हेतु चरणबद्ध समय सीमा निर्दिष्ट नहीं की गई थी । इसके अतिरिक्त, कर भुगतान, रोकड़ तथा चालान प्रबंधन, अनुज्ञापत्रों को जारी करने जैसी प्रक्रियाओं जिनका विक्रेता द्वारा कम्प्यूटरीकरण किया जाना था, को संविदा में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट नहीं किया गया था । म.प्र. वित्तीय संहिता खण्ड–I के अंतर्गत वांछित तथा 14 जून 2001 को प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार राज्य शासन संविदा करने से पूर्व कानूनी सलाह लेने में भी विफल रहा ।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया था ; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2008) ।

4.2.13.2 मुख्य अनुबंध के निष्पादन के दौरान अवलोकित अनियमितताएं तथा चूकें

- मुख्य अनुबंध के अंतर्गत वांछित 50 लाख रूपये की बैंक गारंटी प्राप्त किए बगैर विक्रेता को 8.8 करोड़ रूपये के भुगतान किये गये । विक्रेता दो वर्षों से अधिक समय तक मुख्य डाटाबेस सृजित करने तथा एम.आई.एस. प्रतिवेदन उत्पन्न करने के उद्देश्य से डाटा प्रविष्टि प्रारम्भ करने में विफल रहा । संविदा के अंतर्गत "संतोषजनक निष्पादन" की परिभाषा के इन दो अवयवों पर असफलता के बावजूद, माह जुलाई 2003 तक विक्रेता को 8.8 करोड़ रूपये के भुगतान किये गये ।

- मुख्य अनुबंध (अक्टूबर 2001) के अनुसार, विक्रेता के निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए एम.ए.पी.आई.टी. नामक अभिकरण द्वारा कम्प्यूटरीकरण परियोजना की प्रणाली लेखापरीक्षा की जानी थी । परिवहन विभाग एम.ए.पी.आई.टी. द्वारा प्रणाली लेखापरीक्षा कराने में विफल रहा । विक्रेता के निष्पादन का प्रथम वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन परिवहन विभाग द्वारा संविदा के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष चार माह के बाद किया गया । परिणामस्वरूप, संविदा के अंतर्गत विभिन्न संविदात्मक दायित्वों को पूर्ण करने में विक्रेता की निरन्तर असफलता के बावजूद भी परिवहन विभाग द्वारा दो वर्षों से अधिक समय तक कोई सुधारात्मक कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की जा सकी । इसके अतिरिक्त, परिवहन आयुक्त ने विक्रेता के पक्ष में इस आशय का एक प्रमाण पत्र जारी किया (सितम्बर 2003) कि स्मार्ट कार्ड जारी किये जाने का कार्य सुचारू रूप से तथा शासकीय निर्देशों के अनुसार किया जा रहा था ।

मुख्य अनुबंध की शर्तें विक्रेता के पक्ष में होने तथा संविदा का अकुशल परिवीक्षण होने के कारण, विक्रेता के संविदात्मक दायित्वों का निर्वहन करने में निरन्तर रूप से विफल रहने पर भी राज्य शासन उसे उत्तरदायी नहीं ठहरा सका। साथ ही विक्रेता ने राज्य शासन द्वारा उसके भुगतानों को रोके जाने के विरूद्ध वर्ष 2004 में एक याचिका दायर की जिसमें राज्य शासन न्यायालय (जिला न्यायालय, भोपाल तथा माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर) में हार गया । इसके अलावा, अकुशल संविदा प्रबंधन दो वर्षों से अधिक समय तक परियोजना की असफलता के मुख्य कारणों में से एक था ।

परिवहन विभाग ने उक्त वर्णित आपत्तियों को स्वीकार किया (सितम्बर 2007) तथा उत्तर में यह बताया कि नई विचाराधीन संविदा का मसौदा किसी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सलाहकार की सेवाएं प्राप्त कर व्यवसायिक कुशलतापूर्वक तैयार किया जाएगा ।

4.2.13.3 विक्रेता द्वारा संविदात्मक दायित्वों का अभी तक निर्वहन नहीं किया गया है

जैसा कि कंडिका 4.2.6.1 में उल्लेख किया गया है, 400 अल्ट्रा वायलेट लैम्पों की आपूर्ति न करने तथा एच.एच.टी. उपकरणों की नैटवर्किंग न करने के अलावा, विक्रेता द्वारा निम्नलिखित संविदात्मक दायित्वों का निर्वहन अभी तक किया जाना है :–

- संविदा के अनुसार, पुराने वाहनों की डाटा प्रविष्टि का कार्य अक्टूबर 2006 तक पूर्ण किया जाना था । यह देखा गया कि 31 मार्च 2006 तक पंजीकृत किये गये कुल वाहनों की संख्या 46.09 लाख थी । इनमें से विक्रेता द्वारा जनवरी 2007 तक 17.12 लाख वाहनों की डाटा प्रविष्टि की गई । एक अभिलेख की डाटा प्रविष्टि की लागत 4 रूपये[15] मानते हुए, विक्रेता द्वारा 1.16 करोड़ रूपये मूल्य का डाटा प्रविष्टि कार्य अभी भी किया जाना शेष है । आगे क्षेत्रीय इकाईयों की लेखापरीक्षा के दौरान यह अवलोकित किया गया कि विक्रेता द्वारा की गई डाटा प्रविष्टि का विभागीय स्टाफ द्वारा प्रमाणीकरण तथा वैधीकरण न किये जाने के परिणामस्वरूप काफी मात्रा में डाटा अशुद्ध तथा लुप्त हो गया ।

लेखापरीक्षा आपत्तियों को शासन द्वारा स्वीकार किया गया तथा यह बताया गया कि अधूरे डाटा प्रविष्टि कार्य हेतु विक्रेता को किये जाने वाले अंतिम भुगतानों से कटौतियां कर ली जाएंगी ।

- अनुपूरक अनुबंध के अनुसार, परियोजना के प्रारम्भ में संस्थापित किये गये कम्प्यूटर हार्डवेयर का अक्टूबर 2006 तक उन्नयन किया जाना था । अनुबंध में उस नये हार्डवेयर के आरेख विन्यास को निर्दिष्ट नहीं किया था जिसमें पुराने हार्डवेयर का उन्नयन किया जाना था । लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि लेखापरीक्षित सात कार्यालयों में से किसी में भी पुराने हार्डवेयर का उन्नयन नहीं किया गया था (अप्रैल तथा मई 2007) ।

4.2.14 निष्कर्ष

स्मार्ट कार्ड आधारित कम्प्यूटरीकरण परियोजना द्वारा, जिसका उद्देश्य परिवहन विभाग के क्रियाकलापों में परिशुद्धता तथा पारदर्शिता लाना है, राजस्व के अपवंचन तथा जाली दस्तावेजों के उपयोग पर रोक लगने की पर्याप्त संभावना है। लेकिन अकुशल क्रियान्वयन तथा विभिन्न क्रियाकलापों के कम्प्यूटरीकरण हेतु एक विस्तृत मार्ग मानचित्र उपलब्ध कराने में उच्चतर प्रबंधन की विफलता एवं के

15 अनुसंधान तथा औद्योगिक स्टाफ निष्पादन केन्द्र (सी.आर.आई.एस.पी.) द्वारा किये गये आंकलन के अनुसार इस एजेंसी को परिवहन विभाग में कम्प्यूटरीकरण की तकनीकी लेखापरीक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था ।

कारण परियोजना के उद्देश्य अप्राप्त रहे । ड्राइविंग लाइसेंस तथा पंजीयन प्रमाणपत्र आवेदकों से स्मार्ट कार्ड की कीमत के रूप में 200 रूपये अतिरिक्त वसूल किये जा रहे हैं जबकि उनसे कोई लाभ नहीं मिल रहा है । साढ़े पांच वर्षों बाद भी अनुज्ञापत्रों के जारी किए जाने तथा कर वसूली की प्रक्रियाओं का कम्प्यूटरीकरण न किया जाना विभागीय क्रियाकलापों में पारदर्शिता लाने के प्रति प्रतिबद्धता की कमी को दर्शाता है । इसके अतिरिक्त, परिवहन विभाग में संधारित किये गये डाटा की विश्वसनीयता तथा उपयोगिता को सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली में पर्याप्त अनुप्रयोग नियंत्रणों को समाविष्ट नहीं किया गया है । परिणामस्वरूप, परिवहन विभाग कम्प्यूटरीकरण के अधिकांश लाभों को प्राप्त नहीं कर सका है तथा अपने अधिकांश क्रियाकलापों के लिए हस्तलिखित प्रक्रियाओं पर निर्भर है ।

4.2.15 सिफारिशों का सारांश

प्रणाली तथा अन्य मुद्दों में सुधार करने के लिए शासन द्वारा निम्नलिखित सिफारिशों के क्रियान्वयन पर विचार किया जा सकता है :

- क्षेत्रीय कार्यालयों के विभिन्न क्रियाकलापों के कम्प्यूटरीकरण हेतु परिवहन विभाग द्वारा निर्दिष्ट समय सीमा में एक विस्तृत मार्ग–मार्गचित्र उपलब्ध कराया जाना चाहिये ;
- स्मार्ट कार्डों में अद्यतन कर, अनुज्ञापत्र तथा उपयुक्तता संबंधी विवरणों के नियमित अद्यतन को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए ;
- लेनदेनों में पारदर्शिता लाने के लिए कर, शास्ति तथा शुल्क की गणना कम्प्यूटर प्रणाली के माध्यम से की जानी चाहिये । शुल्क/कर/शास्ति की सही राशि की वसूली को सुनिश्चित करने के लिये लेनदेन पूर्ण करने से पूर्व सॉफ्टवेयर में आवश्यक नियंत्रण समाविष्ट किये जाने चाहिये ; तथा
- जाली दस्तावेजों के उपयोग को रोकने तथा डाटा की विश्वसनीयता तथा उपयोगिता को सुनिश्चित करने के लिए अनुप्रयोग नियंत्रणों को सशक्त बनाया जाए ।

4.3 वाहनों पर वाहन कर तथा शास्ति की वसूली न होना

मध्य प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम,1991 के प्रावधानों तथा इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार, राज्य में उपयोग में लाये गये या राज्य में उपयोग के लिए रखे गये प्रत्येक मोटर वाहन पर अधिनियम की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों से कर आरोपणीय होगा । यदि देय कर का भुगतान नहीं किया गया है तो वाहन स्वामी, देय कर के भुगतान के अतिरिक्त, व्यतिक्रम के प्रत्येक माह के लिए कर की भुगतान न की गई राशि के 4 प्रतिशत की दर से लेकिन कर की भुगतान न की गई राशि के दुगुने से अनधिक शास्ति के भुगतान के लिए दायी होगा । भुगतान न करने की स्थिति में, कराधान प्राधिकारी एक मांग सूचना–पत्र जारी कर देय राशि की वसूली भू–राजस्व के बकाया के रूप में करेगा।

जून 2006 तथा मार्च 2007 के मध्य 12[16] क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि 1,171 वाहनों के संबंध में अप्रैल 2003 से मार्च 2006 की अवधि से संबंधित 3.34 करोड़ रूपये के वाहन कर का न तो वाहन स्वामियों द्वारा भुगतान किया गया और न ही कराधान प्राधिकारियों द्वारा इसका आरोपण किया गया । इसके अतिरिक्त, 1.71 करोड़ रूपये की शास्ति भी यद्यपि आरोपणीय थी, आरोपित नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप नीचे दिये गये विवरणानुसार 5.05 करोड़ रूपये की वसूली नहीं हुई।

क्र.सं.	कार्यालयों की संख्या	वाहनों की श्रेणियॉं	वाहनों की संख्या	भुगतान न किया गया कर	आरोपणीय शास्ति	योग
1	12[17]	मंजिली गाड़ियों[18] के रूप में संचालित लोक सेवा वाहन	157	1.10	0.53	1.63
2		आरक्षित वाहन	258	1.20	0.58	1.78
3		माल वाहन	690	0.92	0.52	1.44

16 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (भोपाल, ग्वालियर, होशंगाबाद, जबलपुर, मुरैना, रीवा तथा सागर)
अपर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (छतरपुर तथा धार)
जिला परिवहन कार्यालय (बैतूल, दतिया तथा शिवुपरी)

17 कोई मोटर वाहन जिसे किराये पर अथवा पारिश्रमिक के लिए यात्रियों को ले जाने के उद्देश्य से प्रयोग में लाया जाता है अथवा प्रयोग में लाने हेतु अनुकूलित किया जाता है तथा इसमें मैक्सी कैब, मोटर कैब, ठेका गाड़ी तथा स्टेज वाहन सम्मिलित हैं।

18 कोई मोटर वाहन जिसे किराये पर या पारिश्रमिक पर अलग अलग यात्रियों के लिए अथवा उनके द्वारा सम्पूर्ण यात्रा अथवा यात्रा के विभिन्न चरणों हेतु अदा किये गये अलग अलग किरायों पर ड्राइवर को छोड़कर छः से अधिक यात्रियों को ले जाने के लिए निर्मित अथवा अनुकूलित किया जाता है।

4	3[19]	मैक्सी केब	63	0.08	0.06	0.14
5	2[20]	अखिल भारतीय पर्यटक अनुज्ञापत्रों पर संचालित किये जा रहे लोक सेवा वाहन	03	0.04	0.02	0.06
		योग	**1171**	**3.34**	**1.71**	**5.05**

प्रकरणों को इंगित किये जाने के बाद, क्षे.प.अ./अ.क्षे.प.अ. तथा जि.प.अ. ने जून 2006 तथा मार्च 2007 के मध्य बताया कि प्रकरणों की संवीक्षा के उपरान्त वसूली हेतु कार्रवाई की जाएगी । आगामी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2008) ।

प्रकरण जुलाई 2006 तथा अप्रैल 2007 के मध्य परिवहन आयुक्त तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2008) ।

4.4 ठेका गाड़ी अनुज्ञापत्रों पर संचालित लोक सेवा वाहनों पर कर का कम आरोपण तथा शास्ति का अनारोपण

मध्य प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, राज्य में ठेका गाड़ी के रूप में उपयोग में लये गये अथवा उपयोग के लिए रखे गये प्रत्येक लोक सेवा वाहन पर अधिनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट दरों पर कर आरोपित किया जाएगा। अधिनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट कर की दर या तो ऐसे वाहनों के लिए लागू है जो किसी निजी/शैक्षणिक संस्था के स्वामित्व के अधीन हैं अथवा ऐसे वाहन के लिए जो पूरे समय के लिए संविदा पर रखे जाते हैं । इसके अलावा, कर का भुगतान न होने की स्थिति में, वाहन स्वामी निर्धारित दरों पर शास्ति का भुगतान करने के लिए दायी होगा।

जून 2006 में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय भोपाल तथा रीवा के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि अप्रैल 2005 तथा मार्च 2006 के मध्य की अवधि के दौरान 12 संचालकों के 14 लोक सेवा वाहनों के लिए 24 अस्थायी ठेका गाड़ी अनुज्ञापत्र जारी किये गये । संचालकों द्वारा संविदा वाहनों के लिए लागू दरों की बजाय निजी/शैक्षणिक संस्थान की बसों के लिए लागू दरों से कर जमा कराया गया । इसके परिणामस्वरूप 20.77 लाख रूपये के कर का कम आरोपण तथा 5.19 लाख रूपये की शास्ति के अनारोपण के रूप में कुल 25.96 लाख रूपये की हानि हुई ।

19 क्षे.प.का. (ग्वालियर) अ.क्षे.प.का. (छिन्दवाड़ा तथा धार)

20 जि.प.का. (दतिया तथा शिवपुरी)

प्रकरणों को इंगित किये जाने के बाद, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों ने जून 2006 में बताया कि प्रकरणों की संवीक्षा के उपरान्त वसूली हेतु कार्रवाई की जाएगी । आगामी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2008) ।

प्रकरण जुलाई 2006 तथा अप्रैल 2007 के मध्य परिवहन आयुक्त तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2008) ।

4.5 निम्नतर दरों पर कर जमा करने के कारण कर का कम आरोपण तथा शास्ति का अनारोपण

मध्य प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम के प्रावधानों तथा इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार, राज्य में उपयोग में लाये गये अथवा उपयोग हेतु रखे गये प्रत्येक लोक सेवा वाहन पर निर्धारित दरों से कर आरोपित किया जाएगा । कर की गणना वाहन की बैठक क्षमता तथा अनुमत्य मार्ग की दूरी के आधार पर की जाएगी । आरक्षित वाहनों हेतु निर्धारित दर पर कर का आरोपण केवल कराधान प्राधिकारी की अनुमति से वाहन स्वामी द्वारा अनुज्ञापत्र का उपयोग न करने की घोषणा के साथ अनुज्ञापत्र जमा करने की स्थिति में किया जाएगा । देय कर का भुगतान न करने की स्थिति में, वाहन स्वामी निर्धारित दरों पर शास्ति का भुगतान करने के लिए दायी होगा।

जून तथा जुलाई 2006 में दो क्षे.प.का.[21] एक अ.क्षे.प.का.[22] तथा एक जि.प.का.[23] के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि 31 नियमित अनुज्ञापत्रों पर संचालित किये जा रहे 32 लोक सेवा वाहनों तथा दो आरक्षित वाहनों का अप्रैल 2004 तथा मार्च 2006 के मध्य की अवधि से संबंधित वाहन कर संचालकों द्वारा 5.44 लाख रूपये कम जमा कराया गया । इसके अतिरिक्त, कर की भुगतान न की गई राशि पर 2.33 लाख रूपये की शास्ति भी आरोपणीय थी, लेकिन आरोपित नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप 7.77 लाख रूपये के वाहन कर का कम आरोपण तथा शास्ति का अनारोपण हुआ ।

प्रकरणों को इंगित किये जाने के बाद, क्षे.प.अ./अ.क्षे.प.अ./जि.प.अ. ने जून तथा जुलाई 2006 में बताया कि प्रकरणों की संवीक्षा के उपरान्त वसूली हेतु कार्रवाई की जाएगी । आगामी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2008) ।

प्रकरण जुलाई 2006 तथा अप्रैल 2007 के मध्य परिवहन आयुक्त तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2008) ।

21 भोपाल तथा रीवा

22 छतरपुर

23 बैतूल

अध्याय –5 अन्य कर प्राप्तियाँ

5.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

मुद्रांक शुल्क,पंजीयन फीस, मनोरंजन शुल्क तथा भू–राजस्व के निर्धारण एवं संग्रहण से संबंधित अभिलेखों की वर्ष 2006–07 के दौरान की गई नमूना जांच में 1,08,176 प्रकरणों में 214.35 करोड़ रूपये के राजस्व के अनिर्धारण/अवनिर्धारण एवं मांग जारी न करने के प्रकरण दृष्टिगत हुए जिन्हें मोटे तौर पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है : –

क्रम संख्या	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि (करोड़ रूपये में)
	क : मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस		
1	प्रकरणों के निराकरण में असाधारण विलम्ब	1524	4.38
2	सम्पत्ति के कम मूल्यांकन के कारण मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की कम वसूली/भुगतान में गलत छूट	2876	3.02
3	विलेखों के गलत वर्गीकरण के कारण हानि	137	1.22
4	सहकारी समितियों के पक्ष में निष्पादित विलेखों में हानि	59	0.59
5	अन्य	384	0.95
	योग	*4,980*	*10.16*

	ब : मनोरंजन शुल्क		
1	मनोरंजन शुल्क की वसूली न होना	153	0.11
2	वी.सी.आर. तथा वी.सी.पी. के संचालकों द्वारा मनोरंजन शुल्क जमा न किया जाना/कम जमा किया जाना	348	0.11
3	मनोरंजन शुल्क के भुगतान से अनियमित छूट	68	0.01
4	अन्य	287	0.31
5	*योग*	856	0.54
	ग : भू – राजस्व		
1	राजस्व वसूली प्रमाण पत्रों का पंजीयन न किया जाना	1,914	14.35
2	राजस्व के बकाया की वसूली न होना	2,256	6.34
3	प्रक्रिया व्यय की वसूली न होना	2,928	4.53
4	व्यपवर्तन लगान, प्रब्याजि एवं अर्थदण्ड/शास्ति की मांग सृजित न करना	19,957	2.93
5	नजूल भूमि का नवीनीकरण न होने से राजस्व की हानि	838	0.50
6	अन्य	74,447	175.00
	योग	***1,02,340***	**203.65**
	महायोग	***1,08,176***	***2,14.35***

वर्ष 2006–07 के दौरान विभाग ने 1,12,553 प्रकरणों में अंतर्निहित 291.79 करोड़ रूपये के कर का अचनिर्धारण स्वीकार किया जिनमें से 205.12 करोड़ रूपये के 1,04,635 प्रकरण वर्ष 2006–07 के दौरान लेखापरीक्षा में इंगित किए गए तथा शेष प्रकरण पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित हैं। 2893 प्रकरणों में 24.20 करोड़ रूपये की राशि की वसूली हो चुकी थी ।

कुछ उदाहरणात्मक प्रकरणों जिनमें 3.63 करोड़ रूपये की राशि अंतर्निहित है, का उल्लेख इस अध्याय में किया गया है ।

क – मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस

5.2 मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की प्रतिपूर्ति न होना

शासन की अधिसूचना दिनांक 1 सितम्बर 1989 के अनुसार, नर्मदा घाटी विकास परियोजनाओं (एन.वी.डी.पी.) के कारण विस्थापित परिवारों के सदस्यों के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु उनके पक्ष में निष्पादित पट्टा/विक्रय विलेखों पर आरोपणीय मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की प्रतिपूर्ति नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण (एन.वी.डी.ए.) द्वारा उसी वित्तीय वर्ष के भीतर, जिसमें विक्रय/पट्टा विलेखों का पंजीयन किया गया हो, पंजीयन विभाग को की जाएगी । इसके अतिरिक्त अधिसूचना दिनांक 12 जुलाई 2002 के अनुसार उप पंजीयक (एस.आर.) द्वारा प्रस्तुत मांग पत्र के आधार पर प्रतिपूर्ति की जाएगी ।

सितम्बर 2006 एवं अगस्त 2007 के मध्य आठ उप पंजीयक कार्यालयों[1] के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि एन.वी.डी.पी. के कारण विस्थापित व्यक्तियों के पक्ष में सितम्बर 2004 से मार्च 2007 के दौरान 341 विक्रय विलेख निष्पादित किए गए । परन्तु एन.वी.डी.ए. द्वारा शासन को मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के रूप में 1.29 करोड़ रूपये की प्रतिपूर्ति नहीं की गई। यहां तक कि उप पंजीयकों द्वारा एन.वी.डी.ए. को इसकी प्रतिपूर्ति हेतु मांग पत्र भी जारी नहीं किए गए थे । इसके परिणामस्वरूप 1.29 करोड़ रूपये की राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई ।

प्रकरण अक्टूबर 2006 एवं मार्च 2007 के मध्य महानिरीक्षक पंजीयन एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया। महानिरीक्षक पंजीयन ने जून 2007 में बताया कि सम्बन्धित विभाग को प्रतिपूर्ति हेतु मांग सूचना पत्र जारी कर दिये गये हैं। उप पंजीयक मनावर (धार) ने आगे अगस्त 2007 में बताया कि मार्च 2007 तक 27.17 लाख रूपये की राशि वसूल की जा चुकी है । शासन का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ हैं (जनवरी 2008) ।

[1] बड़वानी, धरमपुरी (धार), देवास, इंदौर, कुक्षी (धार), महेश्वर (खरगौन) मनावर (धार) एवं टीकरी (खरगौन)

5.3 *विलेखों के गलत वर्गीकरण के कारण राजस्व की प्राप्ति न होना*

भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 के तहत, विलेखों पर उनके वर्गीकरण के अनुसार तथा अधिनियम की अनुसूची I-A में विनिर्दिष्ट दरों पर मुद्रांक शुल्क आरोपणीय है।

चार[2] उप पंजीयक कार्यालयों के अभिलेखों की अगस्त 2006 एवं फरवरी 2007 के मध्य नमूना जांच में पाया गया कि अप्रैल 2005 एवं जनवरी 2006 के मध्य पंजीकृत किए गए छः विलेखों में गलत वर्गीकरण के कारण निम्न दरों पर मुद्रांक शुल्क लगाया गया । गलत वर्गीकरण एवं दरों के गलत अनुप्रयोग के परिणामस्वरूप नीचे दर्शाए गए विवरण के अनुसार 71.57 लाख रूपये के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की कम प्राप्ति हुई :

(रूपये लाख में)

क्र. सं.	उप पंजीयक का नाम	निष्पादन का दिनांक/प्रतिफल की राशि	आपत्ति का स्वरूप	आरोपणीय/आरोपित मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की राशि	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की कम आरोपित राशि
1.	उप पंजीयक, भोपाल	27.4.2005 1,600	व्यवस्थापन[3] विलेख को वसीयत[4] विलेख के रूप में वर्गीकृत किया गया ।	64.51 निरंक	64.51
2.	उप पंजीयक, देवास	2.2.2006 35.84	विक्रय विलेख[5] को मुख्तारनामा[6] के रूप में वर्गीकृत किया गया।	3.17 0.74	2.43

2 भोपाल, देवास, ग्वालियर तथा जबलपुर

3 व्यवस्थापन – सम्पत्ति के स्वामी द्वारा अपने परिवार के सदस्यों के बीच सम्पत्ति का विभाजन करने के उद्देश्य से की गई चल अथवा अचल सम्पत्ति की कोई लिखित इच्छापत्रेतर व्यवस्था ।

4 वसीयत – यदि दस्तावेज में निष्पादक को इसे रद्द करने का अधिकार देने की शर्त निहित है अथवा यदि कोई दस्तावेज की शर्तों से रद्द करने का अधिकार प्राप्त कर सकता है ।

5 विक्रय विलेख– ऐसा लेनदेन जहां अचल सम्पत्ति का हस्तान्तरण पूर्ण हो जाता है, विक्रय विलेख कहलाता है ।

6 मुख्तारनामा– जिसमें किसी व्यक्ति को सम्पत्ति के स्वामी की ओर से कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है ।

3.	उप पंजीयक, जबलपुर	28.12.2005 35.92	संयुक्त विलेख[7] को निर्मुक्ति[8] विलेख के रूप में वर्गीकृत किया गया ।	3.45 0.29	3.16
4.	उ पपंजीयक, ग्वालियर	12.1.2006 5.54	विक्रय विलेख को प्रत्यार्पण विलेख के रूप में वर्गीकृत किया गया ।	0.48 निरंक	0.48
5.	उप पंजीयक, ग्वालियर	30.1.2006 5.47	दान लिखत[9] को विभाजन[10] की लिखत के रूप में वर्गीकृत किया गया ।	0.54 0.07	0.47
6.	उप पंजीयक, जबलपुर	27.9.2005 8.60	दान लिखत को व्यवस्थापन विलेख के रूप में वर्गीकृत किया गया ।	0.76 0.24	0.52
	योग	1,691.37			71.57

प्रकरणों को अगस्त 2006 एवं फरवरी 2007 के मध्य इंगित किये जाने के पश्चात, उप पंजीयक ग्वालियर ने बताया कि इन प्रकरणों को अगस्त 2007 में मुद्रांक संग्राहक के न्यायालय में पंजीकृत कर लिया गया है तथा दो प्रकरणों में वसूली के आदेश जारी कर दिए गए हैं। शेष प्रकरणों में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ हैं ।

प्रकरण सितम्बर 2006 एवं अप्रैल 2007 के मध्य शासन एवं महानिरीक्षक पंजीयन को प्रतिवेदित किया गया । महानिरीक्षक पंजीयन ने जून 2007 में बताया कि प्रकरणों को पंजीकृत किया जा चुका है तथा निराकरण हेतु कार्रवाई की जा रही है ।

5.4 सम्पत्ति का कम मूल्यांकन करने के कारण राजस्व की कम प्राप्ति

भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 के अनुसार, सम्पत्ति के बाजार मूल्य को सम्पत्ति के हस्तांतरण विलेख में आरोपणीय मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के निर्धारण हेतु निर्दिष्ट किया जाना अपेक्षित है। प्रत्येक लिखत पर उसकी प्रकृति एवं सम्पत्ति के मूल्य के आधार पर अधिनियम में विहित दरों के

7 संयुक्त विलेख– कोई लिखत जिसमें कई पृथक विषय/मामले समाविष्ट हैं अथवा उनसे संबंधित है अथवा जिसमें एक से अधिक लेनदेन समाविष्ट है ।

8 निर्मुक्ति विलेख– ऐसे विलेख जिनके द्वारा कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर अथवा किसी निर्दिष्ट सम्पत्ति के विरूद्ध किसी दावे का परित्याग करता है ।

9 दान विलेख– ऐसी लिखत जो व्यवस्थापन, वसीयत अथवा हस्तांतरण नहीं है ।

10 विभाजन विलेख–कोई विलेख जिसके द्वारा किसी सम्पत्ति के सहस्वामी किसी सम्पत्ति का विभाजन करते हैं अथवा ऐसी सम्पत्ति का कई भागों में विभाजन करने पर सहमत हो जाते हैं ।

अनुसार मुद्रांक शुल्क देय है। कम मूल्यांकित प्रकरणों[11] को उप पंजीयक द्वारा पंजीयन करने से पूर्व मुद्रांक संग्राहक को विचारार्थ प्रेषित किया जाना अपेक्षित है।

चार उप पंजीयक कार्यालयों[12] के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि अप्रैल 2005 से जनवरी 2006 के मध्य पंजीबद्ध हुए 22 विक्रय विलेखों में, नीचे दिए गए विवरणानुसार सम्पत्ति के बाजार मूल्य का कम मूल्यांकन किया गया –

क्र. सं.	उप पंजीयक का नाम	दस्तावेजों की संख्या	विभाग द्वारा निर्धारित किया गया सम्पत्ति का मूल्य	मार्ग दर्शिका के अनुसार मूल्य	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की कम प्राप्ति
1.	उप पंजीयक, जबलपुर	3	26.23	56.64	1.32
2.	उप पंजीयक, इंदौर	1	4.80	7.74	0.43
3.	उप पंजीयक, ग्वालियर	7	27.05	94.56	3.84
4.	उप पंजीयक, भोपाल	11	264.43	353.85	7.69
	योग –	**22**	**322.51**	**512.79**	**13.28**

सम्पत्तियों के कम मूल्यांकन के परिणामस्वरूप 13.28 लाख रूपये के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण हुआ।

प्रकरणों को इंगित किये जाने के बाद, महानिरीक्षक पंजीयन ने जून 2007 में बताया कि सभी 22 दस्तावेजों को मुद्रांक संग्राहक के न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया एवं प्रकरणों का निराकरण किए जाने की कार्रवाई प्रगति पर थी।

5.5 सहकारी गृह निर्माण समितियों द्वारा/के पक्ष में निष्पादित विलेखों में राजस्व की कम प्राप्ति

शासन की 24 अक्टूबर 1980 की अधिसूचना के अनुसार, गृह निर्माण प्रयोजन के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु प्राथमिक सहकारी गृह निर्माण समितियों के पक्ष में निष्पादित विलेख, मुद्रांक शुल्क के भुगतान से मुक्त हैं। विभाग ने अगस्त 2001 में निर्देश दिए कि ऐसे सभी प्रकरणों की समीक्षा की जानी चाहिए जहां समितियों को गृह निर्माण प्रयोजनों हेतु भूमि क्रय करने के लिए हस्तांतरण विलेखों पर मुद्रांक शुल्क के

[11] कम मूल्यांकित प्रकरण – मार्ग दर्शिका में दी गई दरों के अनुसार आंकलित बाजार मूल्य की तुलना में कम बाजार मूल्य वाले प्रकरण ।

[12] भोपाल, ग्वालियर, इंदौर एवं जबलपुर

भुगतान से छूट दी गई थी, जहां बाद में ऐसी भूमि का उपयोग गृह निर्माण के बजाय किसी अन्य प्रयोजन के लिए किया गया था, अतः मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस में इस प्रकार दी गई छूट की वसूली की जानी चाहिए थी ।

इंदौर एवं ग्वालियर के उप पंजीयक कार्यलयों के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि मई 1997 से अक्टूबर 2003 के मध्य छः प्राथमिक सहकारी गृह निर्माण समितियों द्वारा 33 विलेखों के माध्यम से क्रय की गई 1.42 करोड़ रूपये मूल्य की भूमि को, समिति के सदस्यों द्वारा गृह निर्माण के उद्देश्य हेतु उपयोग नहीं किया गया एवं इसे बाद में अप्रैल 2005 से मार्च 2006 के मध्य समितियों के सदस्यों को छोड़कर अन्य व्यक्तियों को बेचा गया । अतः क्रय के समय प्रदान की गई 12.66 लाख रूपये के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की छूट वसूली योग्य हो गई । फिर भी इस राशि की वसूली हेतु कार्रवाई नहीं की गई थी ।

प्रकरणों को जून 2006 तथा फरवरी 2007 के मध्य इंगित किये जाने के पश्चात महानिरीक्षक पंजीयन ने बताया कि सभी प्रकरणों को मुद्रांक संग्राहक के न्यायालय में पुनर्मूल्यांकन हेतु पंजीबद्ध किया गया है और निराकरण की कार्रवाई प्रगति पर है।

प्रकरणों को मई 2007 में शासन को प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2008) ।

5.6 व्यापारिक खदानों से मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की कम प्राप्ति

खनिज संसाधन विभाग द्वारा मार्च 1993 एवं अक्टूबर 1994 में जारी किये गये अनुदेशों तथा महानिरीक्षक पंजीयन द्वारा जारी अनुवर्ती अनुदेशों (मई 2005) के अनुसार, व्यापारिक खदानों के अनुबंधों के पंजीयन के समय सम्पूर्ण अवधि के लिए खदान की नीलामी हेतु निर्धारित राशि जो एक मुश्त अथवा वार्षिक किश्तों में भुगतान योग्य है, को प्रब्याजि मानते हुए भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 के अंतर्गत मुद्रांक शुल्क आठ प्रतिशत की दर से आरोपणीय है । इसके अतिरिक्त, पंजीयन अधिनियम, 1908 के अंतर्गत मुद्रांक शुल्क का 75 प्रतिशत भी पंजीयन फीस के रूप में देय है ।

तीन[13] उप पंजीयक कार्यालयों के अभिलेखों की जून 2006 एवं फरवरी 2007 के मध्य नमूना जांच में पाया गया कि जुलाई 2004 से मार्च 2007 के मध्य 33 व्यापारिक खदानें निजी व्यक्तियों को दो वर्ष के लिए नीलाम की गई। अनुबन्धों के पंजीयन के समय, विभाग द्वारा व्यापारिक खदानों की नीलाम की

[13] चितरंगी (सीधी), ग्वालियर एवं शिवपुरी

राशि पर दो वर्ष के लिए आरोपणीय मुद्रांक शुल्क 13.01 लाख रूपये एवं पंजीयन फीस 9.75 लाख रूपये के विरूद्ध केवल एक साल के प्रतिफल पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के रूप में क्रमशः 6.52 लाख रूपये तथा 4.89 लाख रूपये की राशि आरोपित की गई । इसके परिणामस्वरूप 6.49 लाख रूपये के मुद्रांक शुल्क तथा 4.86 लाख रूपये की पंजीयन फीस का कम आरोपण हुआ ।

प्रकरणों को जून 2006 एवं मार्च 2007 के मध्य इंगित किये जाने के बाद, महानिरीक्षक पंजीयन ने जून 2007 में बताया कि 33 प्रकरणों में से 15 निराकृत कर दिए गए हैं तथा तीन प्रकरणों में कुल 1.03 लाख रूपये की वसूली कर ली गई है । 30 प्रकरणों में वसूली के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2008) ।

प्रकरण मई 2007 में शासन को प्रतिवेदित किया गया उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2008)।

5.7 पट्टा विलेखों में मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की कम वसूली

भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 के प्रावधानों के अनुसार, जहां पट्टा विलेख 30 वर्ष से अधिक अवधि हेतु निष्पादित किया गया हो अथवा जहां पट्टा विलेख में कोई अवधि विनिर्दिष्ट नहीं की गई हो, तो इस प्रकार के विलेखों में हस्तान्तरण विलेखों के समान सम्पत्ति के बाजार मूल्य के आठ प्रतिशत की दर से मुद्रांक शुल्क आरोपणीय हैं ।

उप पंजीयक, ग्वालियर के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि दो पट्टा विलेख जनवरी 2006 में 30 वर्ष से अधिक अवधि हेतु निष्पादित/पंजीकृत किये गये थे, परन्तु विभाग द्वारा दस्तावेज के पंजीयन के समय, पट्टा अवधि को 30 वर्ष से अधिक अवधि न मानते हुए आरोपणीय मुद्रांक शुल्क 6.70 लाख रूपये एवं पंजीयन फीस 67,000 रूपये के विरूद्ध, 24,000 रूपये का मुद्रांक शुल्क एवं 18,000 रूपये की पंजीयन फीस आरोपित की गई । इसके परिणामस्वरूप 6.95 लाख रूपये के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण/वसूली हुई ।

जनवरी 2007 में प्रकरणों को इंगित किये जाने पर, अगस्त 2007 में उप पंजीयकों ने बताया कि ये प्रकरण अगस्त 2007 में मुद्रांक संग्राहक के न्यायालय में पंजीबद्ध किये जा चुके हैं एवं कुल 6.29 लाख रूपये की वसूली हेतु आदेश जारी किए जा चुके हैं ।

प्रकरण मार्च 2007 में महानिरीक्षक पंजीयन एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2008) ।

ख – मनोरंजन शुल्क

5.8 केबल ऑपरेटरों से मनोरंजन शुल्क की वसूली न करना

मध्य प्रदेश मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 1936 एवं मध्य प्रदेश केबल टेलीविजन नेटवर्क (प्रदर्शन) नियमों 1999 में प्रावधान है कि केबल सेवा के माध्यम से मनोरंजन उपलब्ध कराने वाले प्रत्येक केबल ऑपरेटर निर्धारित दरों से मनोरंजन शुल्क का भुगतान करेगा ।

चार जिला आबकारी कार्यालयों[14] के अभिलेखों की अप्रैल 2006 से अक्टूबर 2006 के मध्य नमूना जांच में पाया गया कि केबल सेवा के माध्यम से अप्रैल 2003 से सितम्बर 2006 के दौरान मनोरंजन उपलब्ध कराने वाले 90 केबल ऑपरेटरों से 7.16 लाख रूपये का मनोरंजन शुल्क न तो वसूल किया गया और न ही विभाग द्वारा मांग–सूचना पत्र जारी किये गये । इसके परिणामस्वरूप 7.16 लाख रूपये के मनोरंजन शुल्क की प्राप्ति नहीं हुई ।

प्रकरणों को इंगित किये जाने के बाद जिला आबकारी अधिकारी, खरगोन ने बताया (अप्रैल 2006) कि वसूली की कार्रवाई की जाएगी, जिला आबकारी अधिकारी, शाजापुर ने जुलाई 2006 में बताया कि वसूली की कार्रवाई की जा रही है तथा शेष जिला आबकारी अधिकारियों ने सितम्बर 2006 में बताया कि वसूली की कार्रवाई प्रगति पर थी ।

प्रकरण जुलाई 2006 से मई 2007 के मध्य आबकारी आयुक्त एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2008) ।

14 बैतूल, दमोह, खरगोन एवं शाजापुर

ग – भू राजस्व

5.9 प्रक्रिया व्यय का अनारोपण/वसूली न होना

मध्य प्रदेश लोकधन अधिनियम, 1987 के प्रावधानों तथा इसके तहत बनाए गये नियमों के अंतर्गत चूककर्ताओं से वसूल की गई मूल राशि के तीन प्रतिशत की दर से प्रक्रिया व्यय वसूल कर चालान द्वारा कोषालय में जमा कराया जाएगा ।

अक्टूबर 2006 एवं मार्च 2007 के मध्य 12 तहसीलों[15] के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि अवधि अक्टूबर 2001 से सितम्बर 2006 के मध्य जारी राजस्व वसूली प्रमाण पत्रों (आर.आर.सी.) के विरूद्ध वसूल की गई 14.30 करोड़ रूपये की मूल राशि पर वसूली योग्य प्रक्रिया व्यय की राशि 42.91 लाख रूपये न तो वसूली अधिकारियों द्वारा मांग में शामिल की गई और न ही यह राशि बैंक द्वारा जमा कराई गई। इसके परिणामस्वरूप 42.91 लाख रूपये का अनारोपण हुआ /वसूली नहीं हुई ।

प्रकरणों को इंगित किए जाने के बाद तहसीलदारों ने अक्टूबर 2006 एवं मार्च 2007 के मध्य बताया कि प्रक्रिया व्यय की वसूली हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाएगी ।

प्रकरण दिसम्बर 2006 और अप्रैल 2007 के मध्य आयुक्त, भू अभिलेख और शासन को प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ हैं (जनवरी 2008) ।

5.10 व्यपवर्तन लगान, प्रब्याजि एवं अर्थ दण्ड की मांग सृजित न करना

मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (एम.पी.एल.आर.सी.) के अंतर्गत जारी मध्य प्रदेश राजस्व पुस्तक परिपत्र (आर.बी.सी.) के अनुसार, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विवरण पत्रक बी–1 में प्रत्येक निर्धारिती से वसूली योग्य देय राशियों के बारे में संबंधित तहसीलदार को सूचित करेगा । इस विवरण पत्रक में मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता के दाण्डिक प्रावधान के अंतर्गत आरोपित प्रब्याजि, व्यपवर्तन

15 बालाघाट, बैतूल, धार, जावद (नीमच), जावरा (रतलाम), करेली (नरसिंहपुर), महू (इंदौर), नरसिंहगढ़ (राजगढ़), रतलाम, शाजापुर, शुजालपुर (शाजापुर), तिमरनी (हरदा) ।

लगान एवं अर्थदण्ड की मांग सम्मिलित होती है । बी–I विवरण पत्रक की प्राप्ति पर तहसीलदार पटवारियों के माध्यम से देय राशियों की वसूली करता है ।

जनवरी 2007 में कलेक्टर कार्यालय, रतलाम (व्यपवर्तन अनुभाग) में संधारित दागरा रजिस्टर[16] की नमूना जांच में पाया गया कि 2004–05 से 2005–06 की अवधि में 28 ग्रामों के 108 प्रकरणों में व्यपवर्तन लगान, प्रब्याजि एवं अर्थदण्ड की कुल राशि 37.31 लाख रूपये देय थी। कलेक्टर कार्यालय के व्यपवर्तन अनुभाग ने तहसीलदार को मांग कायम करने हेतु बी–I विवरण पत्रक तैयार कर प्रेषित नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप 37.31 लाख रूपये की प्राप्ति नहीं हुई ।

प्रकरणों को इंगित किए जाने के बाद, प्रभारी अधिकारी ने जनवरी 2007 में बताया कि विवरण पत्रक बी–I तैयार कर सम्बन्धित तहसीलदारों को वसूली की कार्यवाही हेतु भेजा जाएगा ।

प्रकरण फरवरी तथा मार्च 2007 के मध्य आयुक्त, भू–अभिलेख एवं बन्दोवस्त तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ हैं (जनवरी 2008) ।

5.11 वसूली प्रभार की वसूली न होना

पंचायत राज अधिनियम, 1993 एवं इसके अधीन जारी अनुदेशों (जून 1999) के अनुसार, भू–राजस्व उपकर, फीस तथा अन्य करों के रूप में शासन द्वारा वसूल की गई राशि में से राशि का 10 प्रतिशत वसूली प्रभार के रूप में काटने के पश्चात शेष राशि पंचायत राज निधि में जमा की जाएगी ।

अक्टूबर 2006 और नवम्बर 2006 के मध्य दो तहसीलों[17] के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि अक्टूबर 2004 से सितम्बर 2006 की अवधि के मध्य वसूल की गई राजस्व राशि 180.90 लाख रूपये को तहसीलदारों द्वारा वसूली प्रभार की राशि 18.09 लाख रूपये की कटौती किए बिना पंचायत राज निधि में जमा किया गया । इसके परिणामसवरूप राजस्व की वसूली नहीं हुई ।

प्रकरणों को इंगित किए जाने के बाद, तहसीलदार शाजापुर ने स्वीकार किया कि वसूली प्रभारों की कटौती नहीं की गई थी और बताया कि भविष्य में वसूली प्रभार की कटौती की जाएगी । शेष प्रकरणों में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ।

16 पंजी जिसमें राजस्व प्रकरण कार्यवाही हेतु पंजीकृत किए जाते हैं ।

17 महू (इन्दौर) तथा शाजापुर

प्रकरण दिसम्बर 2006 और जनवरी 2007 के मध्य आयुक्त, भू–अभिलेख एवं बदोबस्त और शासन को प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ हैं (जनवरी 2008) ।

5.12 व्यपवर्तन लगान पर पंचायत उपकर का अनिर्धारण

मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1981 में प्रावधान है कि प्रत्येक सावधिक पट्टाधारी तथा सरकारी पट्टाधारी पर उसके द्वारा ग्राम पंचायत क्षेत्र में धारित भूमि के संबंध में प्रत्येक राजस्व वर्ष के लिए प्रत्येक भू–भाग के लिए निर्धारित भू–राजस्व या भू–भाटक के प्रति रूपये पर 50 पैसे की दर से पंचायत उपकर आरोपणीय है । यह उपकर भू–राजस्व या भू–भाटक के अतिरिक्त आरोपणीय है । मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता के अंतर्गत, व्यपवर्तन लगान भू–राजस्व की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है; अतः व्यपवर्तन लगान पर भी पंचायत उपकर आरोपणीय है।

दो तहसीलों[18] के अभिलेखों के नमूना जांच में पाया गया कि 72 ग्रामों के 152 प्रकरणों में ग्राम पंचायत क्षेत्रों से संबंधित भूमि के संबंध में वर्ष 2004–05 तथा 2005–06 के लिए 14.32 लाख रूपये के व्यपवर्तन लगान पर 7.16 लाख रूपये के पंचायत उपकर का आरोपण नहीं किया गया । इसके परिणामस्वरूप 7.16 लाख रूपये के राजस्व का अनारोपण हुआ ।

प्रकरणों को जनवरी 2007 में इंगित किये जाने के बाद, तहसीलदारों ने बताया कि मांग कायम करने हेतु कार्रवाई की जाएगी ।

प्रकरण मार्च 2007 में आयुक्त, भू–अभिलेख एवं बन्दोबस्त और शासन को प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ हैं (जनवरी 2008) ।

5.13 नजूल भू–खण्डों के अस्थायी पट्टों का नवीनीकरण न करना

शासन द्वारा जारी अनुदेशों (अगस्त 1994) के अनुसार, नजूल भूमि के अस्थायी पट्टों का नवीनीकरण उसकी समाप्ति पर पूर्व पट्टाधारी के आवेदनों के आधार पर किया जाना चाहिए तथा राजस्व पुस्तक परिपत्र के अनुसार, विगत वर्ष की मार्गदर्शिका में उल्लिखित भूमि के औसत बाजार मूल्य के आधार पर प्रब्याजि तथा भू–भाटक की गणना की जाएगी ।

[18] जावद (नीमच) तथा रतलाम

जनवरी 2007 में रतलाम के कलेक्टर कार्यालय (नजूल) के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि अस्थायी पट्टों के 10 प्रकरणों में पट्टों का नवीनीकरण अप्रैल 2004 में किया जाना था । पट्टाधारी लगातार अनधिकृत रूप से भूमि पर कब्जा किये रहे । विभाग ने पूर्वोक्त पट्टों का न तो नवीनीकरण किया और न ही पट्टाधारी से कब्जा हटाने के लिए कोई कार्रवाई की । इसके परिणामस्वरूप 5.56 लाख रूपये के राजस्व का अनारोपण हुआ ।

प्रकरण इंगित किये जाने के बाद, संयुक्त कलेक्टर (नजूल) रतलाम ने जनवरी 2007 में बताया कि अस्थायी पट्टा प्रकरणों का नवीनीकरण हेतु कार्यवाही की जा रही है तथा वसूली की जाएगी ।

प्रकरण अक्टूबर 2007 में आयुक्त, भू–अभिलेख एवं बन्दोबस्त और शासन को प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2008) ।

अध्याय –6 : खनन प्राप्तियां

6.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 2006–07 के दौरान खनन प्राप्तियों के निर्धारण एवं संग्रहण से सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना जांच में 38.84 करोड़ रूपये की राशि के राज्यांश, अनिवार्य किराए का अनिर्धारण/कम निर्धारण, संविदा राशि, राज्यांश, खनिज क्षेत्र विकास उपकर की वसूली न होना तथा राज्यांश के विलम्बित भुगतान पर ब्याज के कम आरोपण आदि से संबंधित 1,258 प्रकरणों का पता चला, जिन्हें विस्तृत रूप से निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है :

(करोड़ रूपये में)

क्रम संख्या	*श्रेणी*	*प्रकरणों की संख्या*	*राशि*
1.	राज्यांश के विलम्बित भुगतानों पर ब्याज का कम आरोपण	59	3.04
2.	खनिज क्षेत्र विकास उपकर एवं राजस्व वसूली प्रमाण–पत्रों के विरूद्ध राजस्व की वसूली न करना/कम करना	19	1.04
3.	गौण खनिजों पर राज्यांश एवं शास्ति का अनारोपण तथा संविदा राशि, मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की वसूली न होना	98	0.49
4.	राज्यांश एवं अनिवार्य किराए का अनिर्धारण	76	0.24
5.	अन्य	1,006	34.03
	योग	***1,258***	***38.84***

वर्ष 2006–07 के दौरान, विभाग द्वारा 1,746 प्रकरणों में अंतर्निहित 293.16 करोड़ रूपये के राज्यांश एवं अनिवार्य किराये का अवनिर्धारण आदि स्वीकार किया गया जिनमें से 38.84 करोड़ रूपये के वित्तीय प्रभाव से अंतर्निहित 1,258 प्रकरणों को वर्ष 2006–07 के दौरान इंगित किया गया था तथा शेष प्रकरण पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित थे। 96 प्रकरणों में 49 लाख रूपये की राशि वसूल की गई थी।

कुछ उदाहरणात्मक प्रकरणों, जिनमें 5.20 करोड़ रूपये की राशि अंतर्निहित है, का उल्लेख इस अध्याय में किया गया है।

6.2 *पट्टा विलेखों का नवीनीकरण न किये जाने के कारण राजस्व की वसूली न होना*

खनिज रियायत नियमवली, 1960 के अनुसार,यदि राज्य शासन द्वारा खनिज पट्टे के नवीनीकरण हेतु प्राप्त आवेदन का खनिज पट्टे की अवधि समाप्ति के दिनांक के पूर्व निराकरण नहीं किया जाता है, तो उस पट्टे की अवधि स्वतः बढ़ी हुई समझी जाएगी ।

पंजीकरण अधिनियम, 1908 के अन्तर्गत, एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये पट्टा धारण अधिकारों को अभिहस्तांतरित करने वाले विलेखों का पंजीकरण किया जाना अनिवार्य है। भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 के अनुसार यदि किसी खदान के पट्टे के प्रकरण में जिसमें राज्यांश अथवा उत्पाद का हिस्सा भाड़े या भाड़े के किसी भाग के रूप में प्राप्त किया जाता है, औसत वार्षिक राज्यांश पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस आरोपणीय हैं।

अक्टूबर तथा नवम्बर 2006 के मध्य खनन कार्यालयों कटनी तथा सतना के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि अक्टूबर 1976 तथा मई 2002 के मध्य 20 वर्षों की अवधि के लिए खनन पट्टा धारक चार पट्टाधारियों ने अक्टूबर 1995 तथा मई 2001 के मध्य अपने पट्टों के नवीनीकरण हेतु आवेदन किया । विभाग द्वारा औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात उनके आवेदन को राज्य शासन को अग्रेषित कर दिया गया था (अक्टूबर 1997 तथा सितम्बर 2004 के मध्य) । शासन द्वारा नवीनीकरण पर कोई निर्णय न लिए जाने के परिणामस्वरूप मुद्रांक शुल्क आरोपित नहीं किया जा सका । इसके परिणामस्वरूप मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस के रूप में 7.29 रूपये के राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई ।

प्रकरणों को जनवरी 2007 में संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया; निदेशक ने बताया (सितम्बर 2007) कि वसूली की कार्रवाई प्रगति पर हैं ।

प्रकरण जनवरी 2007 में शासन को प्रतिवेदित किया गया । उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2008)

6.3 *खनिज पट्टाधारकों से ग्रामीण अवसंरचना एवं सड़क विकास कर की वसूली न होना*

मध्य प्रदेश ग्रामीण अवसंरचना तथा सड़क विकास अधिनियम, 2005 के प्रावधानों तथा सितम्बर 2005 की अधिसूचना के अनुसार, ग्रामीण अवसंरचना एवं सड़क विकास कर, खनिजों के वार्षिक मूल्य के पांच प्रतिशत की दर से प्रति वर्ष आरोपित किया जाएगा ।

अक्टूबर एवं नवम्बर 2006 के मध्य कटनी एवं सतना खनन कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि 10 खनिज पट्टाधारकों ने जो अक्टूबर 1976 से जून 2035 तक विभिन्न अवधियों हेतु

पट्टा धारित करते थे, अवधि अगस्त 2005 से अक्टूबर 2006 के मध्य 107.25 लाख टन खनिज उत्खनन कर पट्टा क्षेत्र से हटाया । खनिज का विक्रय मूल्य 63.61 करोड़ रूपये आंकलित किया गया जिस पर 3.18 करोड़ रूपये का ग्रामीण अवसंरचना एवं सड़क विकास कर आरोपणीय था। विभाग द्वारा कर की वसूली हेतु कोई कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की गई ।

प्रकरणों को संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म तथा शासन को जनवरी 2007 में प्रतिवेदित किए जाने के पश्चात संचालक ने सितम्बर 2007 में बताया कि सतना जिले में 20 हजार रूपये की वसूली की जा चुकी है । शेष प्रकरणों में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2008)।

प्रकरण जनवरी 2007 में शासन को प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2008)।

6.4 राज्यांश की कम वसूली होना

खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 के अनुसार, प्रत्येक खनिज पट्टा धारक को पट्टे पर दिए क्षेत्र से खनिजों के हटाने/खपत के संबंध में द्वितीय अनुसूची में निर्धारित दर से राज्यांश का भुगतान करना होगा। अपरिष्कृत सफेद मिट्टी पर राज्यांश की दर 12 सितम्बर 2000 से 10 रूपये प्रतिटन से बढ़ाकर 21 रूपये प्रति टन कर दी गई थी ।

अक्टूबर 2006 में खनन अधिकारी, कटनी के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि एक खनन पट्टा धारक ने, जिसके पास चूना पत्थर के खनन एवं सीमेंट के विनिर्माण हेतु खनन पट्टा था, जनवरी 2005 से मार्च 2006 के मध्य पट्टा क्षेत्र से 3.77 लाख टन मिट्टी खनिज का उत्खनन किया एवं हटाया । पट्टा धारक ने 21 रूपये प्रतिटन के स्थान पर 10 रूपये प्रतिटन की दर से कुल 35.62 लाख रूपये राज्यांश के रूप में जमा किये । इसके परिणामस्वरूप कम दर से राज्यांश के भुगतान के कारण 43.55 लाख रूपये के राजस्व की हानि हुई।

प्रकरणों को जनवरी 2007 में संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म तथा शासन को प्रतिवेदित किए जाने के पश्चात संचालक ने बताया कि सितम्बर 2007 में वसूली हेतु मांग सूचना पत्र जारी किया गया है। शासन से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2008) ।

6.5 उत्खनि पट्टाधारकों से राज्यांश की कम वसूली

मध्य प्रदेश गौण खनिज नियमावली, 1996 के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक उत्खनि पट्टाधारक उसके द्वारा पट्टा क्षेत्र से हटाये गये खनिजों के संबंध में नियमों की अनुसूची III में विनिर्दिष्ट दर पर राज्य शासन को राज्यांश का भुगतान करेगा।

अक्टूबर 2006 में खनन अधिकारी कार्यालय कटनी के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि तीन पट्टाधारकों द्वारा मई 2002 से जून 2006 के मध्य पट्टा क्षेत्र से 82,361.50 घन मीटर संगमरमर खनिज हटाया गया । पट्टाधारकों द्वारा 330.28 लाख रूपये के भुगतान योग्य राज्यांश के विरूद्ध 287.59 लाख रूपये राज्यांश का भुगतान किया गया । शेष राजस्व रूपये 42.69 लाख की वसूली हेतु विभाग द्वारा पट्टाधारकों के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई थी ।

प्रकरणों को जनवरी 2007 में संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म तथा शासन को प्रतिवेदित किये जाने के पश्चात, संचालक ने बताया (सितम्बर 2007) कि 20.41 लाख रूपये की वसूली की जा चुकी है तथा शेष राशि की वसूली हेतु कार्रवाई प्रगति पर है । शासन से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2008) ।

6.6 विलंबित भुगतान पर ब्याज का अनारोपण

खनिज रियायत नियमावली,1960 के अनुसार पट्टाधारक निर्धारित तिथि तक राज्यांश का भुगतान करने के दायित्वाधीन होता है, इसमें विफल होने पर वह निर्धारित तिथि की समाप्ति के 60वें दिन से ऐसे राज्यांश के भुगतान होने तक 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने का दायी होगा । मध्य प्रदेश गौण खनिज नियमावली 1996 एवं संविदा करार की शर्तों के अनुसार, व्यापारिक खदानों[1] के ठेकेदारों को उनके संविदा करार में इंगित तिथियों को या उससे पूर्व संविदा राशि का भुगतान करना होगा, इसमें विफल होने पर ठेकेदार को संविदा राशि के अतिरिक्त भुगतान न होने तक उस पर 24 प्रतिशत की वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान करना होगा।

जून 2006 एवं मार्च 2007 के मध्य, खनन कार्यालयों रीवा एवं शिवपुरी के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि एक खनन पट्टाधारक एवं व्यापारिक खदानों के नौ ठेकेदारों द्वारा 11.72 करोड़ रूपये के राज्यांश/संविदा राशि का भुगतान करने में एक माह से नौ माह की अवधि का विलम्ब किया गया।

1 व्यापारिक खदानों से आशय ऐसी खदानों से है जो नीलामी द्वारा तीन वर्षो की अधिकतम अवधि हेतु प्रदान की गई थी।

विभाग द्वारा विलम्बित भुगतानों पर ब्याज के आरोपण हेतु कोई कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की गई थी । इसके परिणामस्वरूप 37.87 लाख रूपये के ब्याज का अनारोपण हुआ।

प्रकरणों को जून 2006 एवं अप्रैल 2007 के मध्य संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म तथा शासन को प्रतिवेदित किए जाने के पश्चात संचालक ने बताया (सितम्बर 2007) कि वसूली की कार्रवाई प्रगति पर है । शासन से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ हैं (जनवरी 2008) ।

6.7 संविदा राशि की कम वसूली

मध्य प्रदेश गौण खनिज नियमावली, 1996 के अंतर्गत, यदि संविदा राशि का भुगतान तीन माह से अधिक समय तक नहीं किया जाता है, तो शासन ठेके को निरस्त कर खदान का अधिग्रहण कर मूल ठेकेदार के जोखिम तथा व्यय पर इसकी पुर्ननीलामी कर सकेगा। ठेके के निरस्तीकरण एवं इसकी पुर्ननीलामी की प्रक्रिया के परिणामस्वरूप हुई हानि की वसूली भू–राजस्व के बकाया के रूप में की जाएगी ।

जून 2006 से जनवरी 2007 के मध्य पांच खनन कार्यालयों[2] के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि अप्रैल 2005 से मार्च 2007 के मध्य 30 व्यापारिक खदानें विभिन्न अवधियों हेतु नीलाम की गई । ठेकेदारों के द्वारा भुगतान योग्य संविदा राशि 67.85 लाख रूपये के विरूद्ध मात्र 28.32 लाख रूपये का भुगतान करने पर भी विभाग द्वारा न तो ठेका निरस्त कर पुर्ननीलामी की और न ही बकाया राशि की वसूली की कार्रवाई की गई। इसके परिणामस्वरूप 39.53 लाख रूपये की संविदा राशि की कम वसूली हुई ।

प्रकरण संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म तथा शासन को प्रतिवेदित किए गए (जून 2006 एवं मार्च 2007) । संचालक ने बताया (सितम्बर 2007) कि वसूली की कार्रवाई प्रगति पर है । शासन से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2008) ।

6.8 अनिवार्य किराए की वसूली न होना/कम होना

मध्य प्रदेश गौण खनिज नियमावली, 1996 के अनुसार, पट्टाधारक पट्टे के प्रथम वर्ष को छोड़कर प्रत्येक वर्ष अनुसूची IV में विनिर्दिष्ट दरों से पूरे वर्ष हेतु, आगामी वर्ष के प्रथम माह की 20 तारीख को या उससे पूर्व अनिवार्य किराए का अग्रिम भुगतान करेगा ।

2 छतरपुर, गुना, ग्वालियर, होशंगाबाद तथा शिवपुरी ।

सात खनन कार्यालयों[3] के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि 43 उत्खनि पट्टाधारकों द्वारा अनिवार्य किराए का या तो भुगतान नहीं किया गया था या कम भुगतान किया गया था । अवधि मार्च 2001 से दिसम्बर 2006 तक अनिवार्य किराया 33.58 लाख रूपये देय था, जिसके विरूद्ध 7.50 लाख रूपये का भुगतान किया गया । इसके परिणामस्वरूप 26.08 लाख रूपये के राजस्व की कम प्राप्ति हुई ।

प्रकरण अगस्त 2006 एवं अप्रैल 2007 के मध्य संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म तथा शासन को प्रतिवेदित किए जाने के पश्चात संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म ने बताया कि 8.86 लाख रूपये की वसूली की जा चुकी है । शेष राशि की वसूली की कार्रवाई प्रगति पर थी । शासन से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2008) ।

6.9 मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण

खनिज संसाधन विभाग द्वारा मार्च 1993 एवं अक्टूबर 1994 में जारी अनुदेशों के अनुसार, व्यापारिक खदानों के अनुबंध के पंजीयन के समय खदान की नीलामी हेतु निर्धारित सम्पूर्ण राशि प्रब्याजि मानी जाएगी तथा भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899, के अंतर्गत 8 प्रतिशत की दर से मुद्रांक शुल्क आरोपणीय होगा । इसके अतिरिक्त, भारतीय पंजीयन अधिनियम, 1908 के अंतर्गत मुद्रांक शुल्क के 75 प्रतिशत की दर से पंजीयन फीस भी आरोपणीय है ।

जून 2006 तथा जनवरी 2007 के मध्य खनन कार्यालय ग्वालियर तथा शिवपुरी के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि 17 व्यापारिक खदानों की नीलामी दो वर्ष की अवधि हेतु अर्थात अप्रैल 2005 से मार्च 2007 तक 76.16 लाख रूपये प्रतिवर्ष की संविदा राशि के आरोपण पर की गई । दस्तावेजों के पंजीयन के समय विभाग द्वारा मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के रूप में क्रमशः 12.18 लाख रूपये तथा 9.18 लाख रूपये की आरोपणीय राशि के विरूद्ध क्रमशः 6.09 लाख रूपये एवं 4.59 लाख रूपये की राशि आरोपित की गई । इसके परिणामस्वरूप 6.09 लाख रूपये के मुद्रांक शुल्क तथा 4.59 लाख रूपये की पंजीयन फीस का कम आरोपण हुआ ।

प्रकरण संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, मध्य प्रदेश एवं शासन को जुलाई 2006 एवं अप्रैल 2007 के मध्य प्रतिवेदित किया गया; संचालक भौमिकी एवं खनिकर्म ने बताया (सितम्बर 2007) कि वसूली की कार्रवाई प्रगति पर थी । शासन से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2008) ।

3 बड़वानी, भोपाल, गुना, कटनी, नीमच, सतना तथा शिवपुरी ।

अध्याय – 7 अन्य कर–भिन्न प्राप्तियां

7.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 2006–07 के दौरान लोक निर्माण, जल संसाधन, वन तथा विद्युत शुल्क विभागों से संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच में 12,466 प्रकरणों में 509.45 करोड़ रूपये की राशि के राजस्व की वसूली न होना/कम वसूली एवं हानि प्रकट हुई जिन्हें निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है :–

क्रम संख्या	*श्रेणी*	*प्रकरणों की संख्या*	*राशि (करोड़ रूपये में)*
	क – वित्त विभाग		
	ब्याज प्राप्तियां (एक समीक्षा)	**01**	**379.72**
	योग	**01**	**379.72**
	ख – लोक निर्माण विभाग		
1.	निक्षेप कार्यों पर प्रतिशत प्रभारों का अनारोपण	89	5.12
2.	पट्टा किराये की वसूली न होना	13	4.59
3.	शासकीय आवास के गलत वर्गीकरण के कारण लाइसेंस फीस का कम आरोपण	465	0.03
4.	लाइसेंस फीस तथा दाण्डिक दरों का अनारोपण	01	0.02
5.	अन्य	1,384	6.55
	योग	**1,952**	**16.31**

ग – विद्युत शुल्क			
1.	विद्युत उपकर का कम निर्धारण	01	0.02
2.	विद्युत संस्थापनाओं का निरीक्षण न किए जाने के कारण राजस्व की हानि	3,513	1.51
	योग	**3,514**	**1.53**
घ – वन प्राप्तियां			
1.	वन प्राप्तियों की वसूली न होना/कम वसूली होना	110	37.08
	योग	***110***	***37.08***
ड़ – जल संसाधन विभाग			
1.	समुन्नति अंशदान का अनारोपण	01	1.07
2.	विलंबित भुगतान पर शास्ति का अनारोपण	01	0.06
3.	कृषि उपकर का कम आरोपण	01	0.01
4.	अन्य	4,346	52.25
	योग	***4,349***	***53.39***
च – सहकारिता विभाग			
1.	अन्य	1,071	7.30
	योग	***1,071***	***7.30***

	छ – खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग		
1.	अभिग्रहीत माल का निवर्तन न होना	01	0.13
2.	अन्य	93	13.01
	योग	**94**	**13.14**
	ज – कृषि विभाग		
1.	संस्थाओं का पंजीयन न होने के कारण हानि	170	0.05
2.	अन्य	34	0.52
	योग	***204***	***0.57***
	झ – लोक स्वास्थ्य विभाग		
1.	अन्य	1,171	0.41
	योग	***1,171***	***0.41***
	महायोग	***12,466***	***509.45***

वर्ष 2006–07 के दौरान, संबंधित विभागों ने 11,097 प्रकरणों में अन्तर्निहित 60.82 करोड़ रूपये के कर का अवनिर्धारण स्वीकार किया जिनमें से पांच प्रकरणों में 17.27 लाख रूपये की राशि वसूल की गई थी। इन सभी प्रकरणों को वर्ष 2006–07 के दौरान इंगित किया गया था।

" ब्याज प्राप्तियों " पर एक समीक्षा सहित कुछ उदाहरणात्मक प्रकरणों, जिनमें 278.58 करोड़ रूपये की राशि अन्तर्निहित है, का उल्लेख कंडिकाओं में किया गया है ।

क – वित्त विभाग

7.2 ब्याज प्राप्तियां

प्रमुख विशेषताएं

- *अभिलेखों के संधारण का परिवीक्षण तथा ऋण संवितरक विभागों द्वारा विवरणियों की नियमित प्रस्तुति सुनिश्चित करने में वित्त विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप विलम्बित देय मूलधन तथा ब्याज की स्थिति के संबंध में पूर्ण जानकारी का अभाव था ।*

(कंडिका 7.2.6)

- *यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रशासनिक विभागों द्वारा निबंधन एवं शर्तों को निर्दिष्ट करने के बाद ही ऋणों का संवितरण किया गया था, वित्त विभाग द्वारा परिवीक्षण के अभाव के परिणामस्वरूप 2001–02 से 2005–06 की अवधि के दौरान ऋण तथा उस पर ब्याज/दाण्डिक ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु निबंधन एवं शर्तों को निर्धारित किए बगैर विभिन्न ऋणग्रहीताओं को 678.66 करोड़ रूपये के ऋण स्वीकृत किए गए । इसके परिणामस्वरूप 263.81 करोड़ रूपये के ब्याज तथा दाण्डिक ब्याज की हानि हुई ।*

(कंडिका 7.2.7)

- *मूलधन तथा उस पर ब्याज की वसूली पर निगरानी रखने के लिए आवश्यक संबंधित अभिलेखों का संधारण करने में प्रशासनिक विभागों की विफलता तथा इन विभागों द्वारा ऋणों का संवितरण तथा वसूली का परिवीक्षण करने के लिए वित्त विभाग में प्रणाली के अभाव के परिणामस्वरूप 114.95 करोड़ रूपये के ब्याज तथा दाण्डिक ब्याज का निर्धारण नहीं हुआ/मांग सृजित नहीं की गई ।*

(कंडिका 7.2.8)

- *ऋणों के संवितरण में विलम्ब के परिणामस्वरूप 96 लाख रूपये के ब्याज की हानि हुई ।*

(कंडिका 7.2.9)

7.2.1 प्रस्तावना

ब्याज प्राप्तियां राज्य शासन के कर–भिन्न राजस्व का एक महत्वपूर्ण भाग हैं और इसमें विभिन्न सरकारी उपक्रमों, स्थानीय निकायों, सहकारी संस्थाओं इत्यादि एवं सरकारी कर्मचारियों सहित व्यक्तियों को स्वीकृत ऋणों एवं अग्रिमों पर वसूली योग्य ब्याज शामिल रहता है ।

मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता के अनुसार, ब्याज की दर प्रत्येक वर्ष उस ब्याज की दर को ध्यान में रखकर निश्चित की जाएगी, जिस दर से शासन खुले बाजार से उधार लेता है अथवा उधार ले सकता है अथवा उस दर से जिस पर भारत सरकार से अथवा अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त किए जाते हैं । ब्याज दर ऋण की प्रकृति एवं उद्देश्य तथा पुनर्भुगतान की समयावधि के अनुसार 8.3 से 13.25 प्रतिशत वार्षिक के मध्य होती है । सम्बन्धित स्वीकृति आदेश में निर्दिष्ट निबन्धनों एवं शर्तों के अनुसार, मूलधन एवं ब्याज का समय पर पुनर्भुगतान करने में चूक होने की दशा में दाण्डिक ब्याज भी वसूली योग्य है ।

वर्ष 2001–02 से 2005–06 के दौरान शासन के बकाया ऋणों एवं अग्रिमों की स्थिति[1] निम्नानुसार रही :

(करोड़ रूपये में)

क्र.सं.	विवरण	2001–02	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06
1.	प्रारम्भिक शेष	2,990.98	2,001.91	2,439.89	2,608.42	5,866.08
2.	वर्ष के दौरान अग्रिम दी गई राशि	598.58	480.69	204.36	3,310.86	834.45
3.	वर्ष के दौरान वापसी की राशि	1,587.65	42.71	35.83	53.20	2,851.99[2]
4.	अंत शेष	2,001.91	2,439.89	2,608.42	5,866.08	3,848.54

इस प्रकार वर्ष 2005–06 को छोड़कर जिसमें वर्ष 2004–05 में प्रदान किए गए 2,749.36 करोड़ रूपये राशि के ब्याज मुक्त ऋण को शासन द्वारा ईक्विटी में परिवर्तित किया गया था, बकाया ऋणों एवं

1 आंकड़े वित्त लेखा के अनुसार हैं ।

2 इस राशि में शासन द्वारा वर्ष 2004–05 में मध्य प्रदेश विद्युत मंडल को बिना ब्याज के दिए गए ऋण 2,749.36 करोड़ रूपये का समायोजन शामिल है जिसे आगे वर्ष 2005–06 में अंश पूंजी में परिवर्तित किया गया ।

अग्रिमों में लगातार वृद्धि हुई है । यह भी कि पिछले चार वर्षों के दौरान बकाया ऋणों की राशि/इस अवधि के दौरान शासन द्वारा जारी किये गये ऋणों की राशि की तुलना में ऋणग्रहीताओं द्वारा वापिस की गई राशि बहुत कम रही ।

ब्याज प्राप्तियों पर एक समीक्षा मध्य प्रदेश सरकार की प्राप्तियों के 31 मार्च 1999 को समाप्त वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल की गई थी । लोक लेखा समिति (पी.ए.सी.) ने मार्च 2006 में अनुशंसा की थी कि विभाग मूलधन एवं उस पर ब्याज की तत्परता से वसूली किया जाना सुनिश्चित करें ताकि शासन को हानि से बचाया जा सके । यद्यपि मध्य प्रदेश शासन संसदीय कार्य विभाग द्वारा जारी 2 नवम्बर 1994 के अनुदेशों में निर्धारित किया गया है कि संबंधित शासकीय विभाग द्वारा पी.ए.सी. की अनुशंसाओं की प्राप्ति के छह माह के भीतर की गई कार्रवाई के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए, फिर भी सात वर्षों के बाद भी शासन से पी.ए.सी. की अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाई के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है । ब्याज प्राप्तियों की वर्तमान समीक्षा में काफी संख्या में प्रणालीगत एवं अनुपालन संबंधी कमियां प्रकट हुईं, जिनकी चर्चा अनुवर्ती कन्डिकाओं में की गई है ।

7.2.2 संगठनात्मक संरचना

इच्छुक ऋणगृहीता संगठनों द्वारा संबंधित विभागाध्यक्षों को ऋणों के प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाते हैं । संबंधित विभागों द्वारा प्रस्तावों पर कार्यवाही कर वित्त विभाग की सहमति से ऋण स्वीकृत किए जाते हैं। ऋण, ब्याज और उस पर आरोपणीय दाण्डिक ब्याज की वसूली पर निगरानी का उत्तरदायित्व सम्बंधित विभागाध्यक्ष पर होता है । विभागों के बकाया ऋणों की स्थिति वित्त विभाग द्वारा परिवीक्षित की जाती है ।

7.2.3 लेखापरीक्षा का कार्य क्षेत्र तथा कार्यविधि

समीक्षा में 2001–02 से 2005–06 की अवधि शामिल की गई तथा समीक्षा कार्य जून से दिसम्बर 2006 के दौरान किया गया । चार विभाग अर्थात ऊर्जा, स्थानीय स्वशासन, आवास एवं पर्यावरण तथा सहकारिता जिनमें 2001–02 से 2005–06 की अवधि के दौरान स्वीकृत किये गये कुल ऋणों का 86 प्रतिशत लेखांकित है, लेखापरीक्षा के लिये चयनित किये गये ।

7.2.4 अभिस्वीकृति

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक जानकारी तथा अभिलेख उपलब्ध कराने में वित्त, उर्जा, स्थानीय स्वशासन, आवास एवं पर्यावरण तथा सहकारिता विभागों के सहयोग को स्वीकार करता है । समीक्षा के लेखापरीक्षा निष्कर्षों को अप्रैल 2007 में शासन/विभाग को प्रतिवेदित किया गया तथा अगस्त 2007 में आयोजित लेखापरीक्षा समीक्षा समिति की बैठक में इन पर चर्चा की गई जिसमें शासन का प्रतिनिधित्व सचिव, वित्त विभाग ने किया । शासन के उत्तरों को समीक्षा में सम्मिलित कर लिया गया है ।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

7.2.5 राजस्व की प्रवृत्ति

31 मार्च 2006 को समाप्त पिछले पॉच वर्षों में ब्याज प्राप्तियों की प्रवृत्ति का विवरण निम्नानुसार है :

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक	भिन्नता (+) वृद्धि (–) कमी	प्रतिशत वृद्धि/कमी
2001–02	271.68	246.59	(–) 25.09	(–) 9.24
2002–03	89.79	32.05	(–) 57.74	(–) 64.31
2003–04	82.09	19.22	(–) 62.87	(–) 76.59
2004–05	43.49	25.90	(–) 17.59	(–) 40.45
2005–06	526.70	527.20	(–) 0.50	(+) 0.09

वर्ष 2005–06 के दौरान ब्याज प्राप्तियों में अतिशय वृद्धि के संबंध में विभाग द्वारा बताया गया कारण राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल को देय वित्तीय सहायता के विरूद्ध 464.60 करोड़ रूपये के ब्याज का समायोजन था । अनुरोध किए जाने के बाद भी (मई 2007) विभाग द्वारा 2002–03 से 2004–05 तक बजट अनुमानों तथा वास्तिविक प्राप्तियों में सारभूत भिन्नताओं के कारणों के संबंध में सूचित नहीं किया गया (जनवरी 2008)। 2002–03 से 2004–05 तक अनुमानित तथा वास्तविक प्राप्तियों में विचलन बजट बनाने की प्रक्रिया पर गहराई से ध्यान देने की आवश्यकता को इंगित करता है ।

प्रणालीगत कमियां

7.2.6 मूलधन, ब्याज एवं दाण्डिक ब्याज की वसूली पर नियंत्रण में कमी

वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में अभिलेखों का संधारण किए जाने के संबंध में मई 1978, जनवरी 1990 एवं जुलाई 1993 में प्रशासनिक विभागों को अनुदेश जारी किये गये थे जिससे मूलधन की किश्तों, ब्याज एवं दाण्डिक ब्याज की वसूली पर निगरानी रखी जा सके । विभागों द्वारा बकाया मूलधन तथा ब्याज की स्थिति दर्शाते हुए निर्धारित प्रारूप में वार्षिक विवरणियां वित्त विभाग को प्रस्तुत की जानी अपेक्षित थीं । **लेखापरीक्षा में पाया गया कि प्रशासनिक विभागों द्वारा न तो अभिलेख संधारित किया गया था/न तो विवरणियां प्रस्तुत की गईं थी और न ही इन विभागों द्वारा अभिलेखों के संधारण तथा विवरणियों की प्रस्तुति का परिवीक्षण करने के लिए वित्त विभाग द्वारा कोई प्रणाली संस्थापित की गई थी ।**

ऊर्जा, नगरीय प्रशासन एवं विकास, आवास एवं पर्यावरण तथा सहकारिता विभागों के अभिलेखों की नमूना जांच में प्रकट हुआ कि किसी भी विभाग में निर्धारित प्रारूपों में अभिलेख संधारित नहीं किए गये थे। किसी भी विभाग द्वारा ऋण प्रपंजियां अथवा संबंधित ऋणवार जानकारी जैसे ऋण के भुगतान का दिनांक, ऋण की अवधि, ऋण के पुनर्भुगतान तथा उस पर ब्याज/दाण्डिक ब्याज का विवरण और देय ब्याज/दाण्डिक ब्याज की राशि को दर्शाने वाली मांग तथा वसूली एवं बकाया पंजियां संधारित नहीं की गईं थीं । इसके अलावा विभागों द्वारा बकाया मूलधन एवं ब्याज की स्थिति को दर्शाने वाली निर्धारित वार्षिक विवरणियां भी वित्त विभाग को प्रस्तुत नहीं की गईं । **इस प्रकार ऋण संवितरक विभागों द्वारा अभिलेखों के संधारण का परिवीक्षण तथा विवरणियों की नियमित प्रस्तुति को सुनिश्चित करने में वित्त विभाग की विफलता के कारण विलंबित देय बकाया मूलधन एवं ब्याज की स्थिति से संबंधित पूरी जानकारी न तो प्रशासनिक विभाग के पास और न ही वित्त विभाग के पास उपलब्ध थी ।**

प्रकरणों को इंगित किये जाने के बाद, शासन ने बताया (अगस्त 2007) कि सम्बन्धित विभागों को निर्धारित प्रारूप में संबंधित अभिलेखों का संधारण करने के संबंध में अनुदेश जारी किए जाएंगे ।

ऋण संवितरक विभागों द्वारा अभिलेखों का संधारण तथा विवरणियों की प्रस्तुति सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायित्व लागू करने संबंधी उपायों पर शासन द्वारा विचार किया जा सकता है जिससे ऋणों तथा उस पर देय ब्याज के पुनर्भुगतान का परिवीक्षण किया जा सके।

7.2.7 ऋण के निबंधनों एवं शर्तों को निर्धारित करने में विफलता के कारण ब्याज एवं दाण्डिक ब्याज की हानि

ऋणों के भुगतान हेतु शासन द्वारा जारी स्वीकृति पत्रों में ऋण अदायगी के निबंधनों एवं शर्तों जैसे मूलधन एवं ब्याज की अदायगी की किश्तों की संख्या, प्रथम किश्त के आरम्भ होने का दिनांक एवं वर्ष तथा वसूली योग्य ब्याज/दाण्डिक ब्याज की दर का उल्लेख होना चाहिये । यह भी कि मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता खण्ड–एक के नियम 224 के अनुसार, ऋणों पर ब्याज की दर प्रत्येक वर्ष उस दर को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाएगी, जिस दर से शासन खुले बाजार से उधार लेता है अथवा उस दर से जिस पर भारत सरकार से अथवा अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त होता है । **लेखापरीक्षा में पाया गया कि वित्त विभाग की ओर से यह सुनिश्चित करने के लिए कोई परिवीक्षण नहीं किया गया कि प्रशासनिक विभागों द्वारा निबंधनों एवं शर्तों को निर्दिष्ट करने के बाद ही ऋण संवितरित किए गए थे ।**

तीन विभागों[3] के अभिलेखों की नमूना जांच में प्रकट हुआ कि 2001–02 से 2005–06 की अवधि के दौरान कुल 126 प्रकरणों में से 55 प्रकरणों (47 प्रतिशत) में, ऋणग्रहीताओं को कुल 678.66 करोड़ रूपये के ऋण उस पर ब्याज/दाण्डिक ब्याज की वापस अदायगी हेतु निबंधनों एवं शर्तों को निर्धारित किए बिना स्वीकृत किए गए । इस प्रकार, वित्त विभाग की ओर से परिवीक्षण की कमी के परिणामस्वरूप 263.81 करोड़[4] रूपये के दाण्डिक ब्याज सहित ब्याज का निर्धारण एवं वसूली नहीं की गई ।

प्रकरणों को इंगित किये जाने के बाद, शासन ने अक्टूबर 2007 में सूचित किया कि उपरोक्त उल्लिखित ऋणों के सम्बन्ध में निबंधनों एवं शर्तों के निर्धारण हेतु अनुदेश जारी किये जा रहे थे । आगे यह भी बताया गया कि ऋणों के लिये निबंधनों एवं शर्तों को बनाने हेतु दिशा निर्देश भी तैयार किये जा रहे थे ।

यह सुनिश्चित करने के लिए ऋण के निबंधनों एवं शर्तों को निर्दिष्ट किए बगैर ऋण संवितरित नहीं किए जाते हैं, शासन वित्त विभाग द्वारा परिवीक्षण हेतु एक कार्यविधि संस्थापित करने पर विचार कर सकता है ।

3 सहकारिता, आवास एवं पर्यावरण तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

4 ब्याज/दाण्डिक ब्याज की गणना उस दर से की गई है जिस दर पर केन्द्र सरकार/अन्य संस्थाओं से ऋण प्राप्त किया गया था अथवा उस दर से जिस पर राज्य शासन द्वारा अन्य समान ऋणग्रहीताओं जैसे नगरीय स्थानीय निकायों एवं सहकारी क्षेत्रों को ऋण दिया जा रहा था ।

7.2.8 ब्याज एवं दाण्डिक ब्याज का अनिर्धारण तथा मांग सृजित न किया जाना

मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता के अनुसार विभाग, शासन को देय राजस्व के त्वरित मूल्यांकन एवं वसूली के लिए उत्तरदायी हैं । विभागों द्वारा वसूली सम्बन्धी प्रगति पर निगरानी रखने तथा किसी बकाया राशि की वसूली हेतु तत्परता से कार्रवाई करने के लिए इस संबंध में संबंधित अभिलेख संधारित किया जाना भी अपेक्षित है । **लेखापरीक्षा में पाया गया कि प्रशासनिक विभागों द्वारा मूलधन तथा उस पर ब्याज की वसूली पर निगरानी रखने के लिए संबंधित अभिलेख संधारित नहीं किया गया । इसके अलावा इन विभागों द्वारा ऋणों के संवितरण तथा वसूली का परिवीक्षण करने के लिए वित्त विभाग में कोई प्रणाली विद्यमान नहीं थी ।**

7.2.8.1 दो विभागों[5] के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में प्रकट हुआ कि नमूना जांच किये गये कुल 116 ऋण प्रकरणों में से 56 ऋण प्रकरणों में आरोपणीय ब्याज एवं दाण्डिक ब्याज का निर्धारण नहीं किया गया था। हालांकि इन 56 प्रकरणों में 2001–02 से 2005–06 की अवधि के दौरान 37.36 करोड़ रूपये की राशि ऋणग्रहीताओं को वितरित की गई थी । विभागों द्वारा मूलधन एवं उस पर ब्याज की वसूली पर निगरानी रखने हेतु आवश्यक संबंधित अभिलेख संधारित नहीं किए गए थे । इस प्रकार प्रशासनिक विभागों द्वारा अभिलेखों का संधारण न किए जाने तथा वित्त विभाग द्वारा परिवीक्षण की कमी के कारण ब्याज की राशि 14.07 करोड़ रूपये एवं दाण्डिक ब्याज 56 लाख रूपये की मांग जारी नहीं की गई तथा ऋणग्रहीताओं से वसूली नहीं हुई जिसका विवरण निम्नानुसार है ।

(करोड़ रूपये में)

क्र.सं.	विभाग का नाम	ऋण की राशि	प्रकरणों की संख्या	ऋण की अवधि	ब्याज की राशि	दाण्डिक ब्याज की राशि
1	सहकारिता	34.44	24	3/2002 से 1/2005	13.15 (अगस्त 2006 तक)	0.51
2	नगरीय प्रशासन एवं विकास	2.92	32	5/2001 से 6/2005	0.92 (सितम्बर 2006तक)	0.05
	योग	**37.36**	**56**		**14.07**	**0.56**

5 सहकारिता तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास

7.2.8.2 उर्जा विभाग की लेखापरीक्षा के दौरान, मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल के वार्षिक लेखाओं से यह देखा गया कि 31 मार्च 2006 की स्थिति में इसके विरूद्व 100.32 करोड़ रूपये का ब्याज बकाया था। तथापि विभाग के पास ऋणों, जिन पर 100.32 करोड़ रूपये का ब्याज आरोपणीय था, का स्वीकृति वार तथा वर्ष वार विवरण उपलब्ध नहीं था । परिणामस्वरूप, विभाग इस राशि की वसूली हेतु मांग जारी करने में असफल रहा । इसके अतिरिक्त, राज्य शासन द्वारा ब्याज प्राप्तियों के रूप में 464.60 करोड़ रूपये मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल को वर्ष 2005–06 के दौरान देय वित्तीय सहायता के विरूद्व समायोजित कर दिया गया । उर्जा विभाग के पास इस समायोजित राशि का विवरण भी उपलब्ध नहीं था जो ऋणों और उस पर ब्याज के पुनर्भुगतान के परिवीक्षण में कमी को दर्शाता है ।

प्रकरण को इंगित किए जाने के बाद, शासन ने बताया (अगस्त 2007) कि अभिलेख विद्युत निरीक्षणालय द्वारा, जो विभाग का आहरण एवं संवितरण प्राधिकारी था, तैयार किये जा रहे थे । लेकिन लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि विद्युत निरीक्षणालय द्वारा इस प्रकार के कोई अभिलेख संधारित नहीं किए जा रहे थे।

उर्जा विभाग ऋण तथा उस पर ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु समय पर मांग सूचना पत्र जारी किया जाना सुनिश्चित करने पर विचार कर सकता है । द्वितीय एवं पश्चातवर्ती ऋणों की स्वीकृति हेतु कार्यवाही करते समय, ब्याज/दाण्डिक ब्याज सहित पिछले बकाया ऋणों की स्थिति की जांच एवं समीक्षा की जानी चाहिये । इसके अतिरिक्त शासन द्वारा देयताओं की त्वरित वसूली सुनिश्चित करने के लिए ऋण प्रकरणों की नियतकालिक समीक्षा करते हुये आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था तंत्र को सशक्त बनाने पर विचार किया जा सकता है ।

अनुपालन में कमियां

7.2.9 ऋण के संवितरण में विलम्ब के कारण ब्याज की हानि

शासन द्वारा स्वीकृत एवं संबंधित विभाग द्वारा आहरित ऋणों का ऋणग्रहीताओं को तत्काल बिना किसी अनुचित विलम्ब के भुगतान कर देना चाहिये, जिससे शासन को ब्याज की हानि न हो ।

तीन विभागों[6] के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि वर्ष 2001–02 एवं 2002–03 के दौरान 5 प्रकरणों में विभाग प्रमुखों द्वारा कुल 26.39 करोड़ रूपये के ऋण आहरित किए गए और ऋणग्रहीताओं को वितरित करने से पूर्व दो माह से 12 माह तक की अवधि के लिए उन्हें 'सिविल डिपाजिट' शीर्ष के

6 सहकारिता, आवास एवं पर्यावरण तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

अन्तर्गत रखा गया । ऋणों के संवितरण में विलम्ब के परिणामस्वरूप 96.42 लाख[7] रूपये के ब्याज की हानि हुई ।

प्रकरणों को लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने के बाद, शासन ने बताया (अगस्त 2007) कि राशि ऋणग्रहीताओं को तुरन्त उपलब्ध नहीं कराई जा सकी क्योंकि राज्य की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं थी । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इसमें से अधिकतर राशि भारत सरकार/अन्य संस्थाओं से विशिष्ट योजनाओं के अंतर्गत ऋण के रूप में प्राप्त हुई थी जिस पर राज्य शासन स्वयं ब्याज का भुगतान कर रहा था । राशियों को मार्च के महीने में आहरित किया गया था और उन्हें ऋणग्रहीताओं को वितरित करने के बजाय सिविल डिपाजिटस में रखा गया था।

7.2.10 विभागीय प्राप्तियों के आंकड़ो का कोषालय के आंकड़ों से मिलान न किया जाना

मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता के अनुसार प्रत्येक माह के अन्त में आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा राज्य शासन के राजस्व से संबंधित कोषालय में जमा की गई राशियों का एक विवरण पत्रक तैयार करना और उसे संबंधित कोषालय अधिकारी से सत्यापित कराना अपेक्षित है । प्राप्तियों का सही लेखांकन सुनिश्चित करने तथा जाली चालानों द्वारा राजस्व की चोरी को रोकने के लिए मिलान किया जाना आवश्यक है ।

अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि चारों विभाग प्रमुखों में से किसी ने भी ब्याज प्राप्तियों के संबंध में उपरोक्त उल्लिखित विवरण पत्रक न तो तैयार किये और न ही उन्हें कोषालय अभिलेख से सत्यापित कराया । मिलान न किए जाने के कारण सार्वजनिक धन की प्राप्तियों में धोखाधड़ी तथा गबन की आशंका थी ।

प्रकरण इंगित किए जाने के बाद, सहकारिता विभाग ने सितम्बर 2007 में बताया कि इस संबंध में संबंधित इकाईयों को अनुदेश जारी कर दिये गये हैं । शेष तीन विभागों से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ।

7 ब्याज की गणना संबंधित स्वीकृति पत्रों में निर्दिष्ट दरों से अथवा उन दरों से की गई है जिन पर भारत सरकार/ अन्य संस्थाओं से ऋण प्राप्त किए गये थे (उन ऋणों के प्रकरण में जिनमें स्वीकृति आदेशों में निबंधन एवं शर्तें निदिष्ट की गई थीं ।)

7.2.11 निष्कर्ष

ऋणों से ब्याज प्राप्तियां राज्य शासन के कर–भिन्न राजस्व के स्त्रोंतों में से एक हैं । ऋण की स्वीकृति तथा उस पर ब्याज की वसूली पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए यह आवश्यक है कि विभागों द्वारा निर्धारित अभिलेख उचित ढंग से संधारित किए जाएं । लेखापरीक्षा संवीक्षा में पता चला कि इन का संधारण नहीं किया गया था । वित्त विभाग द्वारा परिवीक्षण न किए जाने से ऋण संवितरक विभागों द्वारा निबंधनों एवं शर्तो को निर्धारित किए बगैर ऋण स्वीकृत किए गए । ऋण स्वीकृतिकर्ता विभागों द्वारा विलंबित देय ऋण तथा ब्याज का कोई परिवीक्षण नहीं किया गया । शासन के लिए ऋणों तथा ब्याज की त्वरित वसूली हेतु प्रणाली तथा प्रक्रिया पर गहराई से ध्यान देना आवश्यक है ।

7.2.12 सिफारिशों का सारांश

प्रणाली तथा अनुपालन संबंधी मुद्दों में सुधार करने के लिए शासन द्वारा निम्नलिखित सिफारिशों को लागू करने पर विचार किया जा सकता है :

- ऋणों तथा ब्याज के पुनर्भुगतान के परिवीक्षण को सुगम बनाने के लिए ऋण संवितरक विभागों द्वारा अभिलेखों के उचित संधारण तथा विवरणियों की प्रस्तुति हेतु उत्तरदायित्व लागू करने संबंधी उपायों को निर्धारित करना;

- यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऋण के निबंधनों एवं शर्तो को निर्दिष्ट किए बिना ऋण संवितरित नहीं किए जाते हैं, वित्त विभाग द्वारा परिवीक्षण हेतु एक कार्य विधि संस्थापित करना

- ऋण तथा उस पर ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु उर्जा विभाग द्वारा समय पर मांग सूचना पत्र जारी किया जाना सुनिश्चित करना । द्वितीय एवं पश्चातवर्ती ऋणों की स्वीकृति हेतु कार्यवाही करते समय, ब्याज/दाण्डिक ब्याज सहित पिछले बकाया ऋणों की स्थिति की जांच एवं समीक्षा की जानी चाहिए । इसके अतिरिक्त देयताओं की त्वरित वसूली सुनिश्चित करने के लिए ऋण प्रकरणों की नियतकालिक समीक्षा करते हुए आंतरिक नियंत्रण कार्यविधि को सशक्त बनाने पर विचार किया जा सकता है ।

ख – लोक निर्माण विभाग

7.3 संविदा राशि की प्राप्ति न होना

मध्य प्रदेश निर्माण विभाग नियमावली, 1983 में पट्टे पर दिये गये पुलों पर पथकर संग्रहण का प्रावधान है । पथकर वसूली हेतु पट्टा विलेख के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार, पट्टा धारी द्वारा पट्टा विलेख में उल्लिखित तिथियों पर पट्टा धन राशि की किस्तों का भुगतान किया जाना अपेक्षित है । इसमें असफल रहने पर पट्टा निरस्त किया जा सकेगा तथा पट्टे की शेष अवधि को मूल पट्टाधारी के जोखिम एवं व्यय पर पुनर्नीलाम किया जा सकेगा अथवा पथकर की वसूली विभागीय तौर पर की जा सकती है । संविदा करार की शर्तो के उल्लंधन की स्थिति में विभाग के पास जमा ठेकेदार की प्रतिभूति राशि राजसात की जा सकेगी । चूककर्ता, राज्य शासन को हुई हानि का भुगतान करने का दायी होगा तथा राशि भू–राजस्व के बकाया की भांति वसूली योग्य होगी ।

अप्रैल एवं जुलाई 2006 के मध्य कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं पथ) संभाग सीधी एवं सतना के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि दो ठेकेदारों को मार्च 2003 एवं मार्च 2005 में वर्ष 2003–04 एवं 2005–06 के लिए 21.78 लाख रूपये में पथकर वसूली का अधिकार दिया गया था । ठेकेदारों द्वारा संविदा राशि सात किस्तों में शासकीय खाते में जमा किया जाना अपेक्षित था; अन्तिम किस्त क्रमशः फरवरी 2004 एवं फरवरी 2006 में जमा करनी थी । ठेकेदारों ने अप्रैल 2003 एवं जनवरी 2006 के मध्य कुल 10.23 लाख रूपये जमा किये तथा शेष राशि का भुगतान करने में चूक गये । विभाग द्वारा पट्टे की शेष अवधि को पुनर्नीलाम करने हेतु संविदा निरस्त नहीं की गई । प्रतिभूति जमा 2.91 लाख रूपये भी राजसात नहीं की गई । इसके परिणामस्वरूप 14.46 लाख रूपये के राजस्व की कम प्राप्ति हुई ।

प्रकरणों को इंगित किये जाने के बाद, कार्यपालन यंत्री, सतना ने अप्रैल 2006 में बताया कि प्रतिभूति जमा की राशि राजसात की जा रही है तथा कार्यपालन यंत्री, सीधी ने जुलाई 2006 में बताया कि वसूली की कार्रवाई की जाएगी ।

प्रकरण जुलाई 2006 एवं अप्रैल 2007 के मध्य विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया । पुनः मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग भोपाल से अगस्त 2007 में प्रकरण में आगामी प्रगति मांगी गई थी; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2008)।

ग – विद्युत शुल्क एवं सुरक्षा

7.4 विद्युत संस्थापनाओं का निरीक्षण न किये जाने के कारण हानि

भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 एवं भारतीय विद्युत नियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार, विद्युत संस्थापनाओं के निरीक्षण के लिए उनकी श्रेणियों के अनुसार निर्धारित दरों पर फीस आरोपणीय है । मध्यम वोल्टेज की विद्युत संस्थापनाओं का निरीक्षण तीन वर्ष में एक बार तथा अन्य प्रकरणों में यह वर्ष में एक बार किया जाता है ।

सितम्बर एवं दिसम्बर 2006 के मध्य संभागीय यंत्री (विद्युत एवं सुरक्षा) सीहोर एवं छिन्दवाड़ा के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि 2003–04 से 2005–06 की अवधि के दौरान 45,469 उच्च वोल्टेज विद्युत संस्थापनाओं तथा 1,65,810 मध्यम वोल्टेज विद्युत संस्थापनाओं का निर्धारित प्रतिमानकों के अनुसार निरीक्षण नहीं किया गया था । इसके परिणामस्वरूप निरीक्षण फीस के रूप में 92.93 लाख रूपये की हानि हुई ।

प्रकरणों को इंगित किये जाने के बाद, संभागीय यंत्री (विद्युत एवं सुरक्षा) सीहोर तथा छिन्दवाड़ा ने सितम्बर एवं दिसम्बर 2006 के मध्य बताया कि स्टाफ की कमी के कारण निरीक्षण नहीं किया जा सका।

प्रकरण जनवरी एवं अप्रैल 2007 के मध्य मुख्य अभियन्ता (विद्युत एवं सुरक्षा) तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2008)।

घ – वन प्राप्तियां

7.5 पट्टा किराया की वसूली न करने के परिणामस्वरूप मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम को अनुचित लाभ

राज्य शासन द्वारा नवम्बर 1979 में निर्णय लिया गया कि मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम (एम.पी. एस.एफ.डी.सी.) द्वारा परियोजना–I[8] क्षेत्रों के बांसों एवं सागौन के विक्रय से प्रति वर्ष अर्जित शुद्ध राजस्व में से दो प्रतिशत कमीशन काट कर शेष राशि का भुगतान राज्य शासन को पट्टा किराया के रूप में किया जाएगा । हालांकि, राज्य शासन के आदेश में निगम द्वारा प्रतिवर्ष पट्टा किराया जमा करने हेतु कोई नियत तिथि निर्धारित नहीं की गई थी । आदेश में निगम द्वारा विलम्बित भुगतानों पर शास्ति के आरोपण का भी प्रावधान नहीं किया गया था जो विलम्बित भुगतान के निवारक के रूप में कार्य कर सके ।

सितम्बर 2006 में कार्यालय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि वर्ष 2004–05 के अन्त तक मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम के विरूद्ध राज्य शासन को पट्टा किराया के रूप में भुगतान हेतु 38.50 करोड़ रूपये की राशि बकाया थी । मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम द्वारा वर्ष 2005–06 के दौरान केवल 2.00 करोड़ रूपये की राशि का भुगतान किया गया तथा 36.50 करोड़ रूपये की राशि भुगतान हेतु शेष रही । लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि वन विभाग द्वारा मध्य प्रदेश वन विकास निगम द्वारा देय पट्टा किराया राशि की मांग करने में असफल रहने से राज्य शासन द्वारा 36.50 करोड़ रूपये की वसूली नहीं की जा सकी । साथ ही वन विभाग द्वारा देय राशि की वसूली की कार्रवाई में कमी के कारण निगम को अनुचित लाभ दिया गया, क्योंकि उसके द्वारा वर्ष 2004–05 के दौरान अनुसूचित बैंकों में 32.68 करोड़ रूपये की सावधि जमाओं पर 1.61 करोड़ रूपये ब्याज के रूप में अर्जित किए गए ।

8 परियोजना–I अथवा फसल I क्षेत्र ऐसी वन भूमि है जिसमें बांस तथा इमारती लकड़ी की फसल खड़ी होती है तथा जिसे वन विभाग द्वारा विदोहन हेतु मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम को हस्तांतरित किया जाता है ।

लेखापरीक्षा में प्रकरण इंगित किए जाने के बाद (सितम्बर 2006) मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम ने पट्टा किराया के रूप में 12.59 करोड़ रूपये नवम्बर 2006 में एवं 15 करोड़ रूपये अप्रैल 2007 में राज्य शासन के खाते में जमा किए ।

राज्य सरकार अन्य राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की तरह, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम द्वारा वार्षिक पट्टा किराया जमा करने हेतु नियत तिथि के निर्धारण तथा निगम द्वारा विलम्बित भुगतानों पर ब्याज के आरोपण हेतु प्रावधान पर भी विचार कर सकती है ।

प्रकरण प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया (मार्च 2007); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (जनवरी 2008) ।

(एम.रे. भट्टाचार्य)
महालेखाकार
(निर्माण एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा)
मध्य प्रदेश

भोपाल
दिनांक 12 MAR 2008

प्रतिहस्ताक्षरित

(विनोद राय)
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक 14 MAR 2008